हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 अप्रैल, 1978

खंड 1 अंक 15

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978

पृष्ठ

संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर –

(15)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित (15)

27

उत्तर नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

स्थगित तारांकित प्रश्नों के (15)

28

लिखित उत्तर अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(15) 57

ध्यानाकर्षण सूचनायें. (15)

64

बहिर्गमन (15)

66

ध्यानाकर्षण सूचनायें (पुनरारम्भ) (15)

67

सचिव द्वारा घोषणा–

वर्ष 1977– 78 के लिये सरकारी आश्वासनों

सम्बन्धी समिति की नोवी– रिपोर्ट की एक

(टाईप की हुई) प्रति सदन की मेज पर रखने

के सम्बन्ध मे । (15)

69

कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

रिपोर्टस पेश करना :–

(15) 69

(1) लोक लेखा समिति की 12 वीं रिपोर्ट

(15) 74

(2) प्राक्कलन समिति की 10 वी रिपोर्ट

(15) 74

मेज पर रखे गये कागज–पत्र

(15) 74

दि पंजाब शूगरकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड

सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैट बिल, 1978

(15) 74

वैयक्तिक स्पष्टीकरण (15)

90

दि पंजाब शूगरकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड

सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

(15) 90

दि हरियाणा अरबन (कंट्रोल आफ रैट एंड एविक्शन)

अमैंडमैंट बिल, 1978 (15)

99

शेष बिलों का स्थगन

(15) 125

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Supply of Water in Mewat Area

***343 Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to supply drinking water in Mewat area; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिह) : जी हां, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 484 गांवों में से 70 गांवों में पहले जल वितरण सुविधा प्रदान की जा चुकी है । 15 गांवों में जल वितरण सुविधा देने का कार्य प्रगति में है । इन योजनाओं का पूरा होना धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : मन्त्री महोदय ने बताया कि 15 गांवों में आलरेडी प्रोग्रैस है । इस एरिये के और गांवों की तरफ से भी डिमांड आई होगी । क्या मन्त्री महोदय बतायेगे वे 15 गांव कौन–कौन से हैं और इन में वाटर सप्लाई स्कीम कब तक

कम्पलीट हो जाएगी? यह भी बतायें कि कौन–कौन से गांवों की डिमांड आई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक डिमांड का ताल्लुक है, सभी जगह के लोग चाहते हैं कि वाटर सप्लाई की स्कीम लागू कर दी जाए । स्पैसिफिकली किस–किस गांव की डिमांड गवर्नमैंट को वसूल हुई है, वह इस समय नहीं बताई जा सकती और इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी । जहां तक 15 गांवों का ताल्लुक है, इन 15 गांवों में से 7 गांव आलरेडी कम्पलीट हो चुके हैं, केवल 8 बाकी रहते हैं और ये भी जल्दी ही कम्पलीट हो जाएंगे ।

चौधरी भजन लाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि मेवात के एरिये में कितने गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी खारा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सारे हरियाणा में जहां खारा पानी है टोटल गांव चार हजार हैं । मेवात के एरिये में कितने हैं, यह इस समय नहीं बताया जा सकता ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मन्त्री महोदय ने 'कम्पलीशन आफ दी स्कीम्ज के बारे में कहा है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 'कम्पलीशन आफ स्कीम्ज का क्या मतलब है? जिन गांवों के अन्दर वाटर वर्क्स हैं लेकिन वाटर हैड टैक्स नहीं हैं इनकी वजह

से पानी गांव तकनहीं पहुंचता उन्हें हम क्या समझे कि कम्पलीट हैंया इनकम्पलीट?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो प्रोजैक्ट होता है, उसको कम्पलीट तब माना जाता है जब सारा प्रोजैक्ट, जो प्रोवाइडिड है, कम्पलीट कर दिया जाए । जब किसी जगह पानी दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रोजैक्ट कम्पलीट हॅं और उस काम को इनकम्पलीट ही छोड़ दिया जाए ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि मेवात के एरिये में वाटर सप्लाई की स्कीम कब तक मुकम्मल कर दी जायेगी? क्या मन्त्री महोदय कोई डेट फिक्स करेंगे कि फलां डेट तक तमाम गांवों में पानी सप्लाई कर दिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं की जा सकती क्योकि हर चीज अवेलेबिलिटी आफ फण्ड्ज पर डिपैड करती है ।

चौधरी पीर चन्द : मन्त्री महोदय ने बतलाया कि मेवात के एरिये मे पीने के पानी की स्कीम का काम चालू है । इसी तरह से और भी कई हल्के हैं जिन में खारा पानी है और लोगों ने पैसा दाखिल किया हुआ है । क्या मन्त्री महोदय ऐसे गांवों में फर्स्ट फेज में वाटर सप्लाई करेंगे?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फतेह चन्द विज : मेवात के एरिये में तहसील फिरोजपुर झिरका बहुत पिछडा हुआ इलाका है । क्या वहां पर पानी सप्लाई करने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . जिस इलाके के बारे में आपने पूछा है उसका जवाब नही दिया जा सकता क्योंकि आपने स्पैसिफिक इलाके के बारे में पूछा है । इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी खुरशीद अहमद : मेवात के एरिये में बहुत से गांवों में ब्रैकिश वाक्य है । क्या मन्त्री महोदय प्रैफेंस देकर टाईम लिमिट के अन्दर वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम को पूरा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेवात में ही नही, हरियाणा में बहुत से गांवों में ब्रैकिश वाटर हए । शायद एक दो जिलों, कुरुक्षेत्र और करनाल में, मीठा पानी मिलता है । जहां बैकिश वाटर है उन सब को आहिस्ता–आहिस्ता कवर करने की कोशिश करेगे ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने जहां–जहां आम तौर पर वाटर सच्चाई टैक बनाये है वे सारे–कें–सारे टूटे हुए हैं । मसाला गलत लगाते रहे और टैक खराब होते रहे । क्या सरकार आगे के लिए मसाला ठीक लगवाने की तरफ तवज्जुह देगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर कहीं मसाले में गड़बड़ किसी सदस्य को नजर आती है तो वह सरकार के नोटिस में लाए । हम

पूरी कोशिश करेंगे कि जिस रे शो से मसाला लगना चाहिए, उसी रेशो से लगे ।

श्री मूल चन्द मंगला : मेवात के इलाके में जब फ्लड आता है तो सारे इलाके में पानी भर जाता हए तथा पीने का पानी नही मलता । क्या मन्त्री महोदय इन दिनों फ्लडकदा इलाकों में पीने के पानी की स्कीम को प्रै फरेंस दें गे ताकि लोग फ्लड के दिनों में मीठा पानी पी सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कहीं तो फलड की दिक्कत बुश और कही ऐसी भी दिक्कत है कि गांवों में दो–दो । तीन–तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है । इस वक्त यह कमिटमैंट नही की जा सकती कि किसी खास एरिये को प्रैफ्रेंस दी जाएगी ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम लागू की जाएगी, उनमें जो वाटर कनैक्शन होगा! क्या वह प्राईवेट तौर पर दिया जाएगा या सामुहिक तौर पर दिया जाएगा? जो इस पानी का टैक्स कुलैक्शन होगा । वह किस तरीके से चार्ज किया जाएगा?

श्री बीरेन्द्र सिंह : कि लहाल प्राईवेट तौर पर कनैक्शन दे ने की कोई पालिसी सरकार की नही है । कहीं–कहीं पर कुछ गांव हैं! यह नैगलिजिबल नम्बर है! जिन में पिछली सरकार ने रिलैक्से शन दी है और एक आम केसिज में इस टाईम भी की गई

है । जहां तक इसकी मेन्टेनेंस का ताल्लुक है और टैक्स कुलैक्शन का ताल्लुक है । इसकी पंचायत जिम्मेवार होगी ।

सरदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था और टा ईम दिया था कि सारे हरियाणा के गांवों एग मीठा पानी दें गे । क्या मन्त्री महोदय मे बात के लिये के लिय कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते? क्या यह पहले आश्वासन का कंट्राडिक्शन नहीं हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने यह अश्योरैस कब दी थी पहले माननीय सदस्य मुझे यह बतायें? यह जरूर कहा होगा कि जनता पार्टी की सरकार कोशिश करे गी कि जल्दी से जल्दी एक–ए क गांव में खारे पानी की जगह मोठ पानी दिया जाए ।

Boundary Dispute

***316. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any dispute regarding the boundaries of villages of Haryana and U.P.; if so, the reasons for which. the same has not been settled so far; and

(b) the total number of villages involved in the boundary dispute?

Revenue Minister (Shri Preet Singh):

(a) Yes. The Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundries) Bill, 1976 based on the Dixit Award

is yet to be introduced in Parliament whereafter it will become an Act.

(b) 98 villages.

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि बाउडरी डिसप्यट किस तारीख को पैदा हुआ था और जो यह दीक्षित अवार्ड आया है इसको कब तक लागू करना देंगे?

श्री प्रीत सिंह : यह बहुत पुराना डिसप्यूट था । इसके बारे में 1 3 मई, 1974 कौ यू0 पी0 और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्ज की मीटिंग हुई थी और उसके बाद श्री दीक्षित जीं को आर्बिटेरटर मुकर्रर किया गया था । उस अवार्ड को हम लागू करवा रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : दूसरा सबाल मैंने यह पूछा था कि यह कानून कब तक लागू करवा देगें, आज तक इतना लम्बा टाईम कैसे बीत गया?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने फरमाया कि यह लागू करवा रहे है ।

चौधरी गया लाल : जमना नदी के रुख बदलने से यू 0 पी0 और हरियाणा के लोगों में पलवल तहसील में झगड़ा हो गया और वह अभी तक चल रहा है । दो साल पहले इस झगड़े में दो आदमी मारे भी जा चुके हैँ । इस झगडे का फैसला नहीं हुआ

और खतोखिताब चल रहा है । क्या मन्त्री महोदय इस विषय पर विचार करेंगे ताकि यह विवाद जल्दी खत्म किया जाए?

श्री प्रीत सिंह : जहां तक झगड़ों का सवाल है, उनकी तरफ गवर्नमैंट पूरा ध्यान दे रही है और कई जगह पुलिस चौकियां ज्यादा बिठा दी गई हैं । बाकी अगर कोई और ऐसा केस होगा तो उस पर फौरी ऐक्शन लिया जाएगा ।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, यह झगड़ा स्टेट लेवल का है और इसमें हरियाणा के काफी आदमियों के पर मुकदमें चले हुए हैं । उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता0 कि गुरवाडी सीमा पर एक झगड़ा हुआ और उसमें हरियाणा के चौघट गांव का एक आदमी मारा गया और एक आदमी उत्तर प्रदेश का मारा गया । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस झगड़े को स्टेट लेवल पर जल्दी से निपटाने की ओर ध्यान दिया जाएगा?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, पहले तो यह कायदा था कि जमना रिवर अगर रुख बदल जाए तो जो जमीन जिस तरफ वह छोड़ जाए वह उस तरफ की स्टेट की होती थी । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब भी यही कायदा है या इसमें कोई तबदीली हो गई है?

श्री प्रीत सिंह : अब भी वही कायदा है कि जमना रिवर जिधर रुख बदल जाता है उससे दूसरी तरफ की जमीन उस तरफ

की स्टेट की हो जाती है । लेकिन मैं यह बता दूं कि इन झगड़ों को मिटाने के लिए ही दीक्षित अवार्ड दिया गया था और उसमें नवम्बर, 74 और जनवरी, 75 के अन्दर गवर्नमैंट आफ इंडिया के सर्वे औफिसर्ज ने सर्वे करने के बाद जो मिड स्ट्रीम लाईन दी है उसको बाउडरी के लिए गाईड लाईन माना गया है ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब अभी मन्त्री जी ने बताया कि जो दीक्षित अवार्ड था उसके पर पार्लियामैंट ने कानून बनाना था । क्या वे बतायेंगे कि उस कानुन को बनाने में देर क्यों हो रही है और उसे जल्दी पास करवाने के लिये हरियाणा सरकार क्या हिस्सा अदा कर रही हे?

श्री प्रीत सिंह : जहां तक हरियाणा सरकार का ताल्लुक है इसनै एक तो बिल पास करके पार्लियामैंट को भेज दिया है और दूसरे यह उनसे पल व्यवहार भी कर रही है और उम्मीद है कि वह बिल जल्दी ही पास हो जाएगा ।

चौधरी राम किशन : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी बताया कि बहुत सी पुलिस चौकियां बिठा दी गई है । क्या वे बतायेंगे कि उनकी कुल तादाद कितनी है और वे किस– किस नाम से बिटाई गई हें?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब,गुडगांव जिले के मेरे एक साथी ने अभी बताया कि वहां बहुत सी ऐसी जमीन है,

जिसे जमना ने छोड़ दिया है और उसके पर हमारे लोगों ने कब्जा किया हुआ है लेकिन यू 0 पी 0 वालों ने झगड़े में हमारे आदमी को मार दिया । यह बात हम पहले भी सरकार के नोटिस में लाए हैं लेकिन इसकी तरफ हमारी गवर्नमैंट की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । क्या सरकार क्य इस सम्बन्ध में कोई ऐक्शन लेगी ताकि यू0 पी 0 वाले इस तरह के झगड़े फिर न करें ।

श्री प्रीत सिंह : इस बारे में हमारे डिजिक्ट सोनीपत और गुड़गांव के रैवेन्यू आफिसर्ज और यू0 पी 0 के रैवेन्यू आफिसर्ज के बीच कई दफा मीटिंग हो चुकी है लेकिन इसके बारे में और भी विचार किया जाएगा ।

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब, यह कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं है । (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि हरियाणा असैम्बली ने तो कानून पास कर दिया लेकिन पार्लियामैंट में देर हो रही है । मैं अब मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है? क्या हरियाणा सरकार ने सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के साथ इस सम्बन्ध में कोई पल व्यवहार किया है ताकि वह बिल जल्दी पास हो सके?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, राह डन्फर्मेशन अभी अत्रेलेवल नही है । अगर माननीय सदस्य इसे लेना चाहे तो मै आफिस में इन्हे दे दूगा ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी कहा कि पालियामैन्ट कानून पास करने जा रही है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हु कि क्या दीक्षित अवार्ड को ही कानून की शकल दी जाएगी या कोई कानून बनाया जाएगा?

श्री प्रीत सिंह : दीक्षित अवार्ड को ही कानुन बनाने के लिये कहा गया है ।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, यह जो जमना की जमीन का विवाद है, इसका फैसला तो दीक्षित अवार्ड में हो चुका था और सीमा के पिलर्ज भी काफी जगह दोनों साईड में लग चुके है लेकिन पलवल और बल्लभगढ के बीच कुछ जमीन ऐसी है जहां दोनों साईड पिलर्ज नहीं बने हैं और वह अभी तक विवाद में ही चल रही है । यह जमीन हमारे माल महकमे में हमारे रिकार्ड पर है लेकिन यू0 पी0 वाले उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और उसे अपनी बताते है । जब कभी हम जमीन की बिजाई करते हैं तो वे उजाड़ देते है और उसी पर झगड़ा हो जाता है । क्या सरकार इस झगड़े को निपटाने की कृपा करेगी?

श्री प्रीत सिंह : यह एक स्पैसिफिक इंस्टांस है । अगर माननीय सदस्य इस बात को अलग से सरकार के नोटिस में

लाएंगे तो इसे हम यू0 पी0 गवर्नमैन्ट के साथ जरूर टेक–अप करेंगे ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, यह बात सरकार के नोटिस में भी है कि जमना रिवर के दोनों तरफ सैकड़ों झगड़े रोजाना होते रहते हैं । क्या सरकार यू0 पी0 गवर्नमैन्ट से बातचीत करके स्वयं इन झगड़ों को निपटाने के बारे में सोच रही है?

श्री प्रीत सिंह : अभी तक ऐसा विचार नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मेरे माननीय साथी ने पलवल तहसील में झगड़ों के कुछ उदाहरण दिए । मैं भी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पानीपत तहसील में भी जमना से मिलते हुए कुछ ऐसे गांव हैजैसे मिर्जापुर, नन्हेडा आर गोला आदि जहां यू0 पी0 वाले हरियाणा के लोगों की जमीन पर झगड़ा करते रहते हैं । क्या सरकार उन झगड़ों को निपटाने का भी कोई प्रयत्न करेगी?

श्री प्रीत सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि अगर अलग से इस किस्म के इंस्टासिज हमारे नोटिस में लाए जाएंगे तो हम यू0 पी0 गवर्नमैंट से जरूर बात करेंगे ।

Committee on amendment of Haryana Urban (Rent and Eviction) Control Act.

***411. Shri Mool Chand Jain** :-Will the Minister for

Industries be pleased to state—

(a) whether the committee constituted for making recommendation to amend the Haryana Urban (Rent and Eviction) Control Act has submitted its report; if so a copy of the report be laid on the Table of the House together with the action taken thereon ; and

(b) the expenditure incurred so far by the Committee ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) After consideration of the report of the Committee the Government have already sponsored a Bill for introduction in the current Session of the Vidhan Sabha.

(b) As all the meetings of the Committee were held at Chandigarh no separate expenditure for the working of the Committee exclusively has been incurred.

श्री मूल चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल में यह साफ कहा है कि कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को मिंत्री है उसकी एक नकल हमें भी दी जाए परन्तु वह रिपोर्ट हमें नहीं पी गई । क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया?

डाक्टर मंगल सैन : अध्यक्ष. महोदय, वह रिपोर्ट बिल की शकल में इनके पास मौजूद है । इनकी बिल के पर एक अमैंडमैंट भी आई है । आज ही इस हाउस मे उस बिल पर विचार भी हो रहा है ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब मन्त्री महोदय मुझ. से ज्यादा पुराने पार्लियामैन्टेरियन हैं और ये जानते होंगे कि रिपोर्ट अलग चीज है और बिल अलग चीज है । यह जरूरी नहीं हैकि जो रिपोर्ट है वह सारी की सारी बिल में आ गई हो । इसलिये मैं चहता था कि वह रिपोर्ट ये हाउस को दिखाते ।

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब वह जो रिपोर्ट है वह सारी बिल में शामिल है । हमने सोचा कि दोबारा क्यों इनको कष्ट दिया जाए ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस कमेटी द्वारा कोई क्वैश्चनेयर तैयार करके पब्लिक में सरकुलेट किया गया था और उसकी कोई रिप्लाई उन्हें मिंत्री या सिर्फ कमेटी ने ही बैठकर यह फैसला किया है?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, हमने अखबार में छपवाया था कि हम इस सम्बन्ध में संशोधन करने जा रहे है और अगर किसी ने कोई सुझाव भेजना हो तो भेजे ।

चौधरी खुरशीद अहमद : सर, इस क्वैश्चन में स्पैसिफिकली लिखा है कि रिपोर्ट आन दी टेबल आफ दी हाउस रखी जाए । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इनको ऐसा करने में क्या एतराज है?

डाक्टर मंगल सैन : कोई एतराज नहीं हुँ लेकिन हमने सोचा कि इनको डबल तकलीफ क्यो दी जाए क्योंकि आज ही इस विल पर बहस हो रही है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो रिपोर्ट आई है वह क्यों की त्यों बिल में लाई गई है या उसमें कुछ परिवर्तन करके इसमें रखा गया है?

श्री अध्यक्ष : उन्होने पहले कहा है कि वह सारी इस बिल में कवर हो गई है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि उस कमेटी को यह लिखा गया था कि जिस तरीके से हद से ज्यादा खेती बा डी की जमीन को सरप्लस करार देकर के मुजारों को मालिक बनाने का कानून बना हुआ है इसी ढंग से शहरी जायदाद की हद बनाई जाये और अगर किसी के पास हद से ज्यादा हो और उस पर किरायेदार बैठे हों तो उनको भी उसी तरीके से मालिक बनाया जाए जैसे कि खेती की जमीन पर मालिक बनाए जाते हैं?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह पता करने के लिये माननीय सदस्य मुझे सैपरेट नोटिस दें ।

Battalions in the Haryana Armed Police

***429. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the number of Battalions in the Haryana Armed Police alongwith the time when these were raised together with the strength of each of these Battalions rank wise ;

(b) whether any Constables were discharged from each of the Battalions as referred to in Part (a) above under rule 12.21 of the Police Rules, if so, their year-wise number since January 1967 to date ;

(c) whether any of the discharged Constables were taken back in service, if so, -their number alongwith the period for which each of them remained out of service ; and

(d) whether Govt. had to pay for the period for which these constables remained out of service, if so, whether any enquiry was conducted and responsibility fixed for this financial loss and the action taken or proposed to be taken by the Govt. against the officers/officer responsible for the said loss ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) Five. A statement showing the dates of their raising and their sanctioned strenght is placed on the Table of the House.

(b) yes,

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
1st Bn.	41	26	14	3	—	2	1	2	11	8	10	-

2nd Bn.	61	33	4	25	23	19	15	4	13	3	5	-
3rd Bn.	—	—	—	9	14	30	29	13	33	8	3	-
4th Bn.	—	—	—	—	—	—	—	18	32	21	4	—
5th Bn.	—	—	—	—	—	—	—	13	48	32	25	—

(c)

Yes

.

2nd Bn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3rd Bn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	-
4th Bn.	—											
5th Bn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Period for which they remained out of service. 1st Bn. Nil.

2nd Bn. 17-5-77 to 15-9-77

3rd Bn.

(1) 16-5-73 to 10-8-77

(2) 2-7-73 to 28-6-77

(3) 26-6-73 to 28-9-77

(4) 23-9-75 to 11-9-77

(5) 17-12-75 to 24-10-77

4th Bn. (1) 22-8-74 to 9-10-74

(2) 7-6-76 to 13-6-77

5th Bn. (1) 13-7-76 to 3-8-77

(d) Yes. They were paid the following amount on return. 1st Bn. Nil.

2nd Bn. There was only one case of this Battalion. His period of absence was treated as leave of the kind due and he was paid as admissible to him. He was paid Rs. 467.35.

3rd Bn.

(1) Rs. 946.60.

(2) Rs. 15850.00.

(3) Rs. 775.01.

(4) Rs. 391.10.

(5) Rs. 462.30.

4th Bn.

(1) Rs. 11.00.

(2) Rs. 287.15.

5th Bn. (1) His period was treated as leave without pay and he was not paid anything.

In one case a constable was taken back in service in compliance with court orders and in the remaining cases on account of acceptance of their appeals. In view of this the

question of fixing responsibility does not arise.

STATE MENT

Dates of raising and Strength of Haryana Armed Police Battalions.

	SP-	DSP	Inspr.	ADA.	SI	ASI	HC	Const.	Head Clerk	Clerk	Stenotypist	Daf-tri	Peon	Doc-tor	Com-pou-nder	Nur-se	Jama-dar and Sweep-er	Coo-ks	Dho-bis	W/Can-ier	Mali	Bar-ber	Tai-lor	Mo-ch-ies	Car-pen-ter	Mas-on	No. & date vide which battalion raised
Ist Battalion																											
	1	3	8	1	21	1	141	655	1	6	1	1	4	1	2	—	16	25	12	14	1	6	2	3	2	1	Received from Joint Punjab in the share

																											of Haryana State on 1-11-1966.
2nd Battalion																											
1	3	10	1	21	2	145	699	1	6	1	1	4	1	1	1	16	25	12	14	2	6	2	3	1	—		—do-
3rd Battalion																											
1	3	8	—	22	1	140	654	1	6	1	1	4	1	—	—	16	25	12	10	—	6	2	2	1	1		Sanctioned vide No. 12885-3H-69/30922 dated 17-12-

69.

4th HAP Battalion	1	4	9	—	27	—	182	841	1	6	2	1	4		—	—	21	33	16	19	—	8	2	4	1	1	Sanctioned vide No. 5213-3H-73/31782 dated 14-9-73 and 7893-3H-74/30385, dated-26-9-74.

5th HAP Battalion	3	8	—	2	1	140	655	1	6	1	1	4	1	2	—	16	25	12	14	—	6	2	3	1	1	Sanctioned vide No. 5400-3H-74/ dated 30-7-74.

श्री शमशेर सिंह : मंत्री महोदय ने 'डी' पार्ट के जवाब में बताया है कि सरकार को पैसा देना पड़ा और नुक्सान हुआ तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस के कारण नुक्सान हुआ उसकी रिसपोंसिबिलटी फिक्स करेंगे?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब जो लोग पुलिस रूल 12 21 के तहत निकाल दिये गये थे, मैंने उनकी गिनती बतायी थी लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो खर्चा हुआ या नुक्सान हुआ है वह किस की जिम्मेदारी है । वास्तव में यह जो कान्ड हुआ है यह उस समय हुआ है जिन दिनों मेरे मोहतरिम साथियों की सरकार हुआ करती थी । अब हमने उनको री– इन्सटेट कर दिया है । जो उनकी शिकायतें थीं उनको डी0आई 0जी0 साहब ने रिव्यू किया और ठीक कर दिया ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां हरियाणा में एच 0 ए0 पी0 की बटालियन कम होने की वजह से सी0 आर0 पी0 की बटालियन लगायी हुई है तो क्या उनकी जगह सरकार की कोई प्रोपोजल है कि एच0 ए0 पी0 की और बटालियन खडी की जायेंगी, अगर हए तो कब और कितनी खड़ी की जाएंगी?

डाक्टर मंगल सैन : यह रेलेवेन्ट नहीं है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कितनी और बटालियन बड़ी करने की प्रोपोजल हए?

डाक्टर मंगल सैन : इसके लिये सैपेरेट नोटिस दें ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : गृह मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति 12. 21 रूल के तहत डिसचार्ज किये जाते हैं, उनको कहीं पर अपील करने की इजाजत नहीं है, क्या उनको हायर अथोरिटीज को अपील करने की हल्ज में प्रोविजन करेंगे?

डाक्टर मंगल सैन : जिन को डिसचार्ज किया था, उनको तभी तो री–इनस्टेट किया है जब हायर अथोरिटी की कम्पीटेन्सी थी ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सन् 1947 के पहले और बाद में कितनी पुलिस थी, अब तक उसमें कितनी बढ़ौतरी की गई हे?

डाक्टर मंगल सैन : इसके लिए सैपेरेट नोटिस दें ।

श्री भले राम : क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि इन बटालियनों में कितने परसैन्ट हरिजन हैं और कितने परसैन्ट बैकवर्ड क्लासिज के लोग हें?

डाक्टर मंगल सैन : यह रैलेवेन्ट नहीं है ।

श्री शमशेर सिंह : मिनिस्टर साहब के डी पार्ट के जवाब के बारे में मैंने सप्लीमेंटरी किया था लेकिन उसका उत्तर सपष्ट नही आया । मैं मंत्री महोदय में पूछना चाहता हूं कि जो

खर्चा सरकार का उठाना पड़ा है या नुक्सान उठाना पड़ा, अगर सरकार किसी अफसर की गलती नहीं समझती है, तो बताये और अगर गलती समझती है तो क्या रिसपरेसिबिलिटी फिक्स करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं कि उसको रिव्यू कर दिया । एक बटालियन कमान्डैन्ट ने डिसचार्ज किया है और डी0आई 0जी0 ने उनको रीइन्सटेट कर दिया है । It is a normal thing which happens everywhere.

चौधरी हरस्वरूप बूरा : स्पीकर साहब मैंने मिनिस्टर साहब से सवाल किया था उसका जवाब नही आया । मैंने कम्पीटेन्सी की बात की है । मंडी जी ने जवाब दिया है कि री–इनस्टेट कर दिये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको जो री–इनस्टेट किया गया है किसी हायर अथोरिटी को अपील करने पर किया गया या जिस अथोरिटी ने डिसचार्ज किया उसी ने इनको री–इनस्टेट कर दिया?

डाक्टर मंगल सैन : उनके द्वारा अपील करने पर ही किया है ।

Complaints against the Controller, Printing and Stationery Department

***492. Chaudhri De s Ra & Shri Shamsher Singh** 1 Put by Shri Shamsher Singh : Will

the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) whether the Government has received any complaint against the Controller Printing and Stationery Department, Haryana from 1-1-197 6 to date ; and

(b) if so, whether any enquiry was conducted thereon and in case the reply is in affirmative, the result thereof ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(क) जी हां, दो ।

(ख) उनमें से एक शिकायत मिथ्या नाम से थी और इसे सिद्ध करने के लिये कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया । अतः यह फाईल कर दी गई । दूसरी शिकायत उसे तंग करने का आरोप लगाते हुए एक कर्मचारी द्वारा की गई थी । यह शिकायत अभी सरकार के विचाराधीन है ।

चौधरी संत कंवर : मन्त्री महोदया ने यह बताया है कि सिर्फ दो शिकायतें इस अफसर के खिलाफ आयी लेकिन असलियत में इस अफसर के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से कई शिकायतें आयी है और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने फार्वर्ड करके मंत्री महोदया के आफिस में भेजी हैं । तो क्या माननीय मंत्री महोदया को इनके अफसरों ने गलत रिपोर्ट नहीं भेजी है क्योंकि उन्होंने पचास दरखास्तों में से सिर्फ दो दरखास्तों का जिक्र किया है?

श्रीमती सुष्मा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदन के माननीय सदस्य रिप्रैजैन्हेशंन और कम्पलेन्ट को इकट्ठा समझ पे है । शिकायतें दं आयी हैं और आवेदन पख मेरे पास कई आये जिनको रिप्रैजैन्टेशन कहा जाता है और कुछ कर्मचारियो की टर्मिनेशन और डिसमिसल की अपीलज थी, वे कम्पलेन्टस में नही आती है । शिकायत की परिभाषा में दो शिकायते आयी हए जिनका व्योरा मैंने सदन के सामने रखा है ।

चौधरी संत कंवर : यह अच्छी बात हुई, मिनिस्टर महोदया ने शिकायत की परिभाषा दी । वे शिकायत और रिप्रैजम्टेशन में फर्क बता कर सदन को मिस–गाइड करती है । मैं चौलेन्ज करता हूं कि लोगों की कम्पलेन्टस हैं । रिप्रैजैन्टेशन के अलावा कम्पलेन्टस आयी हैं । उन कम्पलेन्टस के अलावा दो की कापी तो मैं साथ भी लाया हूं । जिन लोगों ने कम्पलेन्टस की थी उन लोगों के खिलाफ इनके अफसर ने कार्यवाही भी की है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन दो कम्पलेन्टस के अलावा, अगर माननीय सदस्य के पास कम्पलेन्टस हैं तो मैं उनको देख लूंगी कि वाकई इनकी स्टेटमैंट सही है या गलत है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : मंत्री महोदया ने बताया है कि एक कम्पलेन्ट विचाराधीन है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कम्पलेन्ट कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : 3 1– 1 2– 1977 को यह शिकायत आयी । मैंने उसको मार्क करके सैक्रेटरी को भेजा और सैकेटरी साहब ने कन्ट्रोलर को टिप्पणी के लिए भेजा । कन्ट्रोलर प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी से टिप्पणी प्रान्त होने के पश्चात् शिकायत कर्त्ता को बुलाया गया । शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुआ इसलिये अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया । अभी भी शिकायतकर्त्ता को सुनवाई का मौका दिया जा रहा है । जिस दिन वह उपस्थित हो जायेगा अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

राय वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल में दो–तीन चीजें मंत्री महोदया ने बतायी हैं । पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शिकायत की जो नई डैफिनिशन इन्होंने निकाली है वह ठीक रही है । इन्होंने बताया है कि किसी अफसर के खिलाफ शिकायत और रिप्रैजैन्टेशन में फर्क है । मन्त्री महोदया ने इस तरीके से जवाब को घुमाने की कोशिश की है जो बड़ी अफसोसनाक बात है । क्या किसी रिप्रैजैन्टेशन को ये किसी अफसर के खिलाफ शिकायत समझेंगे या रिप्रैजैन्टेशन समझेंगे पहली बात तो यह साफ कर दें? दूसरी बात यह है कि एक अफसर के खिलाफ शिकायत इतने दिनों से सरकार के विचाराधीन है । जो शिकायत विचाराधीन है उसके पर जो कुछ ऐक्शन लिया गया, उसके बारे इन्होंने सफाई पेश की । तो मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन है या उस पर क्या ऐक्शन लिया जा रहा है? इसके अलावा वे यह भी स्पष्टीकरण दें कि एक

शिकायत 1977 से आयी हुई है, साल भर उसको आये हुए हो गया । उसमें एक अफसर को पेश होने का मौका दिया गया और वह हाजिर नहीं हु आ तो फिर उसको नोटिस दिया जा रहा है । जो शिकायत है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । सरकार के बुलाने पर और इन्कवायरी अफसर की रिपोर्ट आने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्या यह समझा जाये कि उस अफसर को बचाने की कोशिश की जा रही हे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले तो अफसोस इस बात का है कि राव साहब जैसे पढ़े–लिखे इस सदन के सदस्य भी रिप्रैजैन्टेशन और कम्पलेन्ट में जो अन्तर होता है, वह समझने में काबिल नहीं है । इसलिये– मैं उन्हें यह कहूंगी कि वे रिप्रैजैन्हेशन और कम्पलेन्ट की डैफीनीशन देंखे कि क्या डैफीनीशन दी हुई है । शिकायत किसी अफसर के विरुद्ध की जाती है, जैसे कि कोई गबन के मामले में हो या किसी के खिलाफ पर्सनल शिकायत की जाती हए और रिप्रेजैटेशन जो है यह एक चौनल है अपनी ग्रीवैस रिमूव करवाने का, जैसे कि किसी आदमी की गलत टर्मी– नेशन हुई हो, उसके अगेक्ट या किसी और ऐसे ही एक्शन के खिलाफ जो अपील की जाती है उसे रिप्रैजैन्टेशन कहा जाता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि राव साहब देख लें कि रिप्रैजैन्टेशन और कम्पलेन्ट का कान्टैक्सट ही अलग होता है । दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछा कि क्या कार्यवाही की है? शायद राव साहब ने मेरे जवाब को ध्यान से मुना नहीं था

—या फिर जो मैंने बताया यह उन्होंने समझा ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुआ । मैंने यह नहीं कहा कि अफसर हाजिर नही हुआ । मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि कन्ट्रोलर की तो टिप्पणी आ गयी थी लेकिन शिकायतकर्ता को जब बुलाया गया तो वह हाजिर नहीं हुआ । अगर चाहती तो मै उस शिकायत को उसी समय फाईल भी कर सकती थी या कन्ट्रोलर को यह कह सकती थी कि उस कर्मचारी के खिलाफ डिस्पिलिनरी एक्शन लो लेकिन मैने उसे दुबारा मौका दिया है और उसे दुबारा बुलाया है । आप सब इस बात को एप्रीशीयेट करेंगे कि मैने उसे एक बार बुलाने पर हाजिर न होने पर भी दुबारा आकर अपनी बात कहने की अपरचूनिटी दी है ।

Rao Birender Singh : I am satisfied.

Shrimati Sushma Swaraj : Sir, the hon. Member has said that he is satisfied with the reply.

Chaudhri Sant Kanwar : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker : The answer is quite good. Let us go to the next question.

Destruction of Crops from Hailstorm with Heavy Rain

***497. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of it that heavy hailstorms accompanied with heavy rains took place on 2nd March, 1978, in the State as a result of which water remained standing in the crops and the crops of Wheat, Grams and Barley have been destroyed to the great extent;

(b) if so, the number of villages district-wise togetherwith the area affected and the steps taken by the Government to protect the crops from this destruction; and

(c) the steps taken so far by the Government to protect the crops of village Jhanjhari from this rainy water togetherwith the steps proposed to be taken by the Government to prevent it in future ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) Yes.

(b) (i) A statement is laid on the Table of the House.

(ii) Hailstorm is a natural calamity. There can be no protection against hailstorm. Dewatering operations are, however, carried out, where-ever necessary.

(c) Jhanjhari link drain starting from the village pond across G.T. Road near village Jhanjhari out falls in Shamgarh drain near the railway bridge. It is a small drain and was choked up at several places after last year's rains. The drain has been cleared after the recent rains and is now working properly at site. Strict watch is being kept on this drain to ensure that it does not get choked up.

STATEMENT

Sr. No.	Name of district	No. of villages affected	Area affected in Hectares
	Kurukshetra	28	8853
	Hissar	61	24744
	Jind	64	15603
	Karnal	30	5380
	Sirsa	48	7569

Note : No other district of the State was affected by hail-storm on 2-3-78.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैने सवाल तो हिन्दी में पूछा था और जवाब यहां पर अंग्रेजी में दिया गया हए । हो सकता है मै और मेरे खायी शायद आधा जवाब समझ भी न पाये हों ।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बेठिये किसी और को पूछने दीजिये। आप समझे तो है नहीं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मेरे पास तो हिन्दी में जवाब है । लेकिन हो सकता है बाकी सब को समझ न आया हो इसलिये मेरा कहना यह है कि हिन्दी में जवाब बोलना चाहिए था । मै मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हु कि इन्होंने जो यह कहा है कि झझारी लिंक ड्रेन अब क्लीयर कर दी गयी है, क्या उसे हर

साल जब–जब शिकायत आयेगी तभी क्लीयर करेंगे और तब तक यूं ही लोगों के खेत पानी से भरते रहेंगे या कोई और पक्का प्रबन्ध भी करेंगे ताकि वहां पर लोगों का नुक्सान न हो? क्या ऐसा कोई विचार है कि वहां पर जमीन वगैरह एक्वायर करके खुदाई की जाये?

श्री प्रीत सिंह : अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है । लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पानी निकालने का प्रबन्ध कर दिया जाता है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने पार्ट 'बी' के जवाब में जो स्टेटमैंट सदन की टेबल पर रखी है, उसमें सिर्फ 5 जिलों में हेलस्टार्म से नुक्सान हुआ बताया गया हए । क्या गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, रोहतक और सोनीपत में ओले पड़ने की रिपोर्ट उन्हें मिंत्री नहीं या उन्होंने मालूम ही नहीं करवाया?

श्री अध्यक्ष : वह तो दो तारीख के बारे में कह रहे हैं ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ओलों से फसलों का जो नुक्सान हुआ है और उसके बारे में जो अफसरान ने रिपोर्ट दी है कि इतना नुक्सान हुआ हए, क्या किसानों को उतना ही पैसा दिया जायेगा?

श्री प्रीत सिंह : वह तो एक पालिसी की बात थी जोकि हमने डिसाइड कर दी है । उसी हिसाब से जो भी लोन वगैरह

देना है या तकावी या सबसीडाइज्ड फौडर देना है, सब को दिया जायेगा ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहव, मैं मंडी महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में कितने गांवों में ओरने पड़े है जिसकी वजह से फसलों को नुक्सान हुआ और वहा पर कितनी मालीयत का नुक्सान हुआ है (ई

श्री प्रीत सिंह : हिसार डिस्ट्रिक्ट में 61 गांवों भे ओले पड़े है औहरू 112 लाख रुपये का नुक्सान हुआ है । हमने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दे दी है कि वे आवश्यक सहायता वहां पर दें ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : वजीर साहब यह बतायेने कि जिन–जिन देहातों मैं ओले पड़ने से फसल तबाह हो गयी है, वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब ने किसानों को कुछ राहत देने का यहां पर एलान तो कर दिया है लेकिन जो बेचारे छोटे–छोटे किसान हुक, जो 5– 5 साझी हैं या हिस्सेदार हैं और गरीब जाति के हैं, उनको कोई ग्रान्ट वगैरह देने का विचार है?

श्री प्रीत सिंह : मेरे दोस्त माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि अगर किसी जमीन में किसी का शेयर है तो उसको –सी शेयर के हिसाब से सहायता मिलेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, भिवानी जिले में 1 5– 20 गांव ओले पड़ने की वजह से तबाह हो गये हैं और उससे

पहले जो फसल थी, वह भी बरसात की वजह से तबाह हो गयी थी जिसका मुआवजा उन्हें सिर्फ 5 0— 50 रुपये दिया गया है । मैं मंडी महोदय से यह पूछना चाहता हू कि क्या यह 50 रुपये जो उन्हें दिये गये है, ये जायज हैं? क्या उससे उनका गुजारा हो जायेगा? इसके साथ ही मै सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हे कुछ और ज्यादा मुआवजा देने पर विचार कर रही है अगर कर रही है तो कब तक उस पर फैसला हो जाने की संभावना है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो 2 तारीख के बारे में हैं ।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि ओलों से जो नुक्सान हुआ हए, इसको ध्यान में रखने हुए कोई कम्पलसरी कैप इंश्योरैन्स स्कीम सरकार का लागू करने का विचार है ताकि किसान आगे के लिये तो ओलों के नुक्सान से बच जाये?

श्री प्रीत सिंह : अभी तक तो कोई विचार नहीं है ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे मेरे हल्के में 80 गांवों में ओले पड़ने से एक बार ही नहीं दो बार काफी नुक्सान हुआ है । उन किसानों को राहत देने के लिये तो सरकार ने एलान भी कर दिया है और कुछ राहत दे भी रहे हैं लेकिन जो हरिजन वहां पररू मौजूद है क्या उनको भी कुछ राहत दी जायेगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी उदय सिंह : दलाल मै मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हू कि जो ओलों से या फ्लड की वजह से नुक्सान होता है, उसकी कुछ परसैन्टेज बनायी हुई है कि इतने परसैटं नुक्सान हो तो इतनी राहत मिलेगी लेकिन एक गरीब आदमी का जिमका 5 किल्ले का खेत है. पहले उसकी फसल फलड आ गया इसलिये मारी गयी और इस बार ओने पड़ गये, इसलिये मारी गयी । अब तक यह कायदा है कि गिर– दावरी की जो रिपोर्ट आती है उतकी परसेंटेज के हिसाब से उनको राहत दी जाती है, जहां सं 100 प्रतिशत तबाही की रिपोर्ट आती है वहां पर तो कुछ देते है लेकिन जहाँ पर 30 प्रतिशत नुक्सान होने की रिपोर्ट आती है वहा पर शायद कुछ भी नहीं देते । मै उनसे यह पूछना चाहता हू कि क्या ऐपी कोई प्रापोजल है कि जहां पर भी नुक्सान हो, सब को यकता राहत दी जाये?

श्री प्रीत सिंह : मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जहां पर सैट परसैंट नुक्सान होता है, वहां पर 100 रुपये प्रति किल्ले के हिसाब से और जहां पर 50 प्रतिशत नुक्सान होता है, वहां पर 50 रुपये प्रति किल्ले के हिसाब से दिये जाते हैं ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : दलाल साहब, यह जो परसैटेज निकाली जाती है यह इन्डीविजुअल को एक यूनिट मानकर निकाली जाती है, गांव को एक यूनिट मानकर

नहीं । (शोर व व्यवधान) अगर एक इन्डीविजुअल का 5 एकड़ का खेत बरबाद हो जाता है तो उसको 5 एकड़ का ही मुआवजा मिलेगा (व्यवधान) ।

Mr. Speaker : Please take your seat. Please sit down.

राव वीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन आवर में प्याएंट आफ आर्डर नहीं होता ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर के नाम से आप क्वैश्चन अलाउ करते हैं, एडमिट करते है और जिस मिनिस्टर का सबजैक्ट हो, वही मिनिस्टर आपकी इजाजत से जवाब देता है । लेकिन पहली बार देखने में आया है कि जिस मिनिस्टर का एक महकमे से ताल्लुक न हो, वह उसका जवाब आपकी इजाजत से दे ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : ज्वाएंट रिसपांसिबिलिटी होती है (व्यवधान)

Mr. Speaker : Any Minister can intervene.

Rao Birender Singh : Even when the Minister concerned is present ?

Mr. Speaker : Yes.

Rao Birender Singh : If the Minister concerned is absent then, of course, any Minister can intervene.

Mr. Speaker : No point of Order at this stage, please.

राव वीरेन्द्र सिंह : आप माने या न मानें, यह अलग बात है (व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा यह सवाल था और एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी गांव की परसैन्टेज पचास से कम रहती है तो सरकार उस गांव को मदद नही देती । स्पीकर साहब, कुछ एरिया में ओले पड़ गए और कुछ इलाके में फ्लड से तबाही हो गई लेकिन गिरदावरी के हिसाब से परसैटेज कम है । मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी नीति है कि जिस आदमी का नुक्सान हो जाए और चाहे गिरदावरी में नुक्सान दस परसैन्ट हो, तो उसको सहायता दी जाए, क्लेम दिया जाए? मन्त्री जी इस के बारे में भी जान– कारी दें ।

श्री अध्यक्ष : एक्ट में यह है कि जिस आदमी का नुक्सान हुआ है उसको मुआवजा मिलता है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय न अभी बताया कि डिप्टी कमीश्नर्ज को मदद देने के लिए हिदायत दी हुई हैं । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी

कमीश्नर्ज किस फण्ड से वह मदद देंगे और क्या वह फण्ड उनके लिए उचित होगा?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, सरकार ने पहले ही तकावी के लिए और सब–सीडाइज्ड रेट पर फौडर देने के लिए पैसा दिया हुआ है । सरकार ने दो करोड रुपया लोन देने के लिए तथा तकावी देने के लिए दिया हुआ है । (व्यवधान)

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जहां एक किल्ले का 100 प्रतिशत नुक्सान हुआ है वहां सौ रुपया दिया जाएगा और जहां पचास परसैन्ट नुक्सान हुआ हे वहां पर पचास रुपया एक किल्ले का दिया जाएगा । अगर एक फैमिंत्री में दस मैम्बर हैं और उनके पास दो किल्ले हें, तो उनको दो सौ रुपया दिया जाएगा । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में ओले तथा बाढ़ से सत्यानाश हो गया है वहां के लोगों की मदद बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री अध्यक्ष : वह तो लेड–डाउन है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिन गांवों के नुक्सान की परसैन्टेज ओले की वजह से सत्तर परसैन्ट से ज्यादा चली गई और फ्लड की वजह से भी सत्तर परसैन्ट से ज्यादा चली गई, मंत्री महोदया को पता नहीं था परसैन्टेज हमेशा गांव की निकाली जाती है । स्पीकर साहब, उन गांवों की टोटल परसैन्टेज फ्लड और ओले की

ज्यादा बढ़ गई है । सरकार वहां पर सौ रुपया प्रति किल्ले लोन देती है । मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन गांवों में सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लोन देने की बजाये, यह विचार कर रही हए कि उन गांवों में सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रान्ट दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : संत कंवर जी, मेरे ख्याल से आप ठीक नहीं कह रहे हैं । जितने इलाके में नुक्सान होता है उसी की परसैन्टेज निकाली जाती है, उन खेतों की जहां नुक्सान हुआ है, पूरे गांव की नहीं निकाली जाती ।

चौधरी संत कंवर : इंडिविजुअल की नही निकाली जाती, गांव की निकाली जाती है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूरे गांव की नहीं की जाएगी ।

श्री प्रीत सिंह : जो फ्लड अफैक्टिड एरियाज थे, जहां हेल स्टार्म आए वहां पर जिस इन्डिविजुअल का जितना नुक्सान हुआ, इंडिविजुअल का, स्पैशल गिरदावरी के पेशे नजर उसका लास निकाला गया है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर नुक्सान हुआ है वहां पर सरकार मालिया माफ करने की सोच रही है?

(कोई जवाब नही दिया गया)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, लोगों की फसल को नुक्सान हुए एक महीना हो गया है और लोगों के पास न चारा रहा और न अनाज रहा । लोगों ने सरकार से मांग की कि चारा और अनाज खरीदने के लिए किसी तरह की मदद दी जाए । मै अपने हलके जींद के गांवों की रिपोर्ट दे सकता हूं कि सरकार ने वहां किसी किस्म की सहायता नही दी जिससे उनका गुजारा चल सके । मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सहायता देने में क्या कोई दिक्कत है?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, डिप्टी कमीश्नर्ज को हिदायतें दे दी गई हैं । पैसा उनके डिस्पोजल पर रखा हुआ है । वे वहां से हैल्प ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है कि कई इलाकों में तो विदइन 24 आवर्ज मदद दी गई है । ऐसे बहुत से इलाके हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है. कि झनझेरा ड्रेन जब रुकती है तो उसे खोल देते हैं । इससे क्या फायदा है कि जब फसल मर जाए, उसके बाद उसको क्लीयर किया जाए । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंने. कि क्या सरकार का कोई ऐसा प्रबन्ध करने का विचार है जिससे कि वह ड्रेन रैगुलर चलती रहे जिससे कि लोगों का नुक्सान न हो और क्या उसको पक्का करने का विचार है?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, इस पर विचार कर लेंगे ।

Khetala Minor

***344. Swami Aditya Vesh** (Put. by 'Chaudhri Mehar Singh Rathi on his behalf) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to extend Khetala Minor, flowing in Tehsil Palwal to irrigate the land keeping in view the brackish water in the area;

(b) if not, the steps taken by Govt. to irrigate the land of the said area, where the water is brackish; and

(c) whether it is also a fact that approximately 1000 acres more land of this area will become barren if the scheme referred to in part (a) above is not implemented ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) N. Khetli Minor is under the control of the U.P. Government as part of the Agra Canal System.

(b) No steps have been taken so far.

(c) No studies have been made so far.

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंने कि इस इलाके की जरूरत को देखते हुए आगरा

कैनाल जो यूपी. सरकार के अन्डर है, को एक्सटैन्ड करने के बारे में गौर किया जाएगा? क्या फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का सरकार का विचार है जिससे उस इलाके के लोगों को कोई दिक्कत न हो?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश सरकार से हमने इन्फरमेशन ली है । उन्होंने बताया है कि कुछ इरिगेटर्ज ने रिप्रेजैन्ट किया है कि इस माईनर की एक्सटैन्शन की जाए । वह इस बात को एग्जामिन कर रहे हैं । जहां तक खेतला माइनर का ताल्लुक है जब तक यह. माइनर हरियाणा को ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक कोई स्टैप्स नही लिए जा सकते ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कैनाल को ट्रांसफर कराने के बारे में मंत्री महोदय ने क्या स्टैप्स लिए हैं और उनको कहइं तक कामयाबी मिंत्री है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आगरा कैनाल को ट्रांसफर करने के बारे मे स्टैप्स नहीं उठाए गए हैं बल्कि उसकी डिस्ट्रिव्यूटरीज या माइनर्ज के लिए स्टैप्स उठाए जा रहे हैं । जहां तक हरियाणा गवर्नमैंट का ताल्लुक है हमने मिनिस्ट्री कन्सन्ड को एप्रोच किया है और एक टैन्टेटिव सा डिसिजन हुआ है लेकिन अभी उसे फाईनल डिसिजन नहीं कहा जा सकता है ।

Thein Dam

***339. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the share of Haryana State in the electricity to be generated from the Thein Dam, which is under construction; and

(b) if no share has been determined, the steps taken by the Government in determining and getting of due share ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) the share of Haryana State in the electricity to be generated from Thein Dam is yet to be determined by the Govt. of India.

(b) The matter is being taken up with the Government of India.

This is the reply. But I want to bring to your kind notice that this question has been repeated within twenty days. It has come again. I had already replied this question.

Rao Birender Singh : The situation might have changed during these twenty days.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मै वजीर साहब से यह जानना चाहता हू कि क्या हमारो सरकार ने ऐफर्टस के लिपे कोई रिटन रिप्रैजैन्टेशन की है अगर नहीं की है तो क्या की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, रिटन रिप्रेजैन्टेशन की आवश्यकता तो उस दिन होगी जिस दिन डिटरमीनेशन का क्वैश्चन आएगा ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, पं जाब के मुख्य मन्त्री का विधान सभा में ब्यान हुआ है और उसके बाद अखबारों में भी खबर आई कि थीन डैम के अन्दर राजस्थान, हिमाचल और पंजाब का पानी और बिजली में हिस्सा है, क्या मंत्री महोदय बता–दं गे कि इस बारे में सरकार ने मुख्य मंत्री पं जाब से या सैन्टर्ल गवर्नमंन्ट से कोई लिखत–पढत की गयी है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त शायद भूल गये है । अखबार भे यह खबर छपी थी कि पंजाब, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश का उसमें बिजली पानी का हिस्सा होगा, राजस्थान का उसमें जिकर नहीं था बल्कि यह था कि राजस्थान का उसमें कोई शेयर नहीं है, हरियाणा के बारे में मैंने उसमें कोई खबर पढ़ी नहीं, न ही पंजाब गवर्नमैंट से हमें कोई ऐसा संकेत ही मिला है और जो प्राईम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, वहां हमें इस बात का अश्योरेन्स दिया गया है कि हरियाणा का केस भी कन्सिडर होगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस थीन डैम में हमारा जो हिस्सा है, उस बारे में

हमारा क्या स्टैन्ड है और सरकार किस आधार पर स्टैन्ड ले रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . जब शेयर की डिटरमिनेशन का सवाल आयेगा तो वह स्टैन्ड लिया जाए गा जोकि रिआगेंनाइजेशन ए क्ट में प्रोवाइडिड है ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, थीन डैम पर काम चालू हो चुका है और जो कसर्ड स्टेट्स हैं उनका हिस्सा भी डिटरमिन हो चुका है क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि हरियाणा के हिस्से पर आपने किस स्टेज पररू कितने हिस्से की डिमाड की है और उसमें से कितना डिटरमिन होने का अन्दाजा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, किस चीज का हिस्सा? बिजली की कास्ट का ?

चौधरी रिजक राम : बिजली का भी । स्पीकर साहब कास्ट का तो सवाल ही नहीं है, एक हिस्सा होता तो यह कास्ट भी प्रोवाइड करते । बजट मे थीन डैम के लिये एक पैसा भी नही रखा गया है और चीफ मिनिस्टर पं जाब ऐलान करते हैं कि तीन स्टेट्स के इलावा किसी और स्टेट का हिस्सा है ही नही, तो क्या मिनिस्टर साहब बतापेंगे कि इस में किस स्टेज पर आपका हिस्सा है ' कितना आपने मांगा है और कितना मिलने की आपको आशा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर बड़े पुराने पार्लियामैट्रेरियन है और इसी महकमें के वजीर भी रह चुके हैं, उन्हे इसका बड़ा तजुरबा है लेकिन मैने सवाल का जवाब दे दिया है । वैसे फिर दे देता हू कि जब शेयर के डिटरमीनेशन का सवाल आयेगा then we shall fight for our share and our stand will be as provided in the Punjab Reorganisation Act.

चौधरी संत कंवर : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि हमारी सरकार ने थीन डैम में हिस्सा लेने के लिये क्या कोई रिप्रैजैन्टेशन केन्द्र को नही दिया? क्या क् जाब और राजस्थान सरकार ने इस किस्म का कोई रिप्रैजैन्टेशन दिया है और पंजाब व राजस्थान की सरकार उसमें से कितना हिस्सा मांग रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चूकि कोई शेयर डिटर्मीनेशन की बात नही चल रही इसलिये कोई रिप्रैजैन्टेशन देने का ओकईयन ही अराईज नही होता ।

श्री बलदेव तायल : क्या मंत्री महोदय बताने का कृपा करेगे कि उनके विचार में हरियाणा का कोई शेयर बनता भी है कि नही । अगर बनता है तो हरियाणा का बिजली का कितना हिस्सा बनता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हरियाणा का हिस्सा बनता है । पंजाव रि–आर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्दर प्रोवीजन है

कि बाकी सब चीजों को निकाल कर के पंजाब और हरियाणा में 40 और 60 पग्सेन्ट के हिसाब से डिस्ट्रिव्यूशन होगी, वही हमारा शेयर होगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आपने इस सवाल आनरेबल मैम्बर्ज को काफी देर तक डिस्कशन की इजाजत दी क्योंकि आप यह जनते है कि यह सवाल हरियाणा के 'तिये काफी अहम है, अहमियत रखता है, और कई बार हाउस ने आ चुका है और हम जितना इसे कुरेदने की कोशिश करते हैं उतना ही सरकार जवाब को घुमाती है, मै आपके जरिये से सरकार से पूछना चाहता हू कि क्या यह सच है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को कलीयरैन्स देने से पहले सैन्टर्ल गवर्नमैन्ट उसके शेयर को डिटर मिन करती हए और उसके बाद उस पर काम शुरू होता है, ऐसे ही काम शुरू नहीं होता ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गल्त है क्योंकि आज तक भी जो भाखड़ा डैम, पौंग डैम या देहर प्रोजेक्ट से हमे बिजली अवेलेबल हैं उसका शेयर एडहाक बेसिज पर बेशक डिटरमिन हु आ है फाईनल स्टेज – पर डिटरमिनेथन नहीं हुई और कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले किसी– प्रोजेक्ट –का शेयर एडहाक बेसिज पर डिटर– मिन नहीं किया गया था ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरियाणा का शेयर लेने के लिये हरियाणा सरकार ने कास्ट का हिस्सा देने की कन्सैन्ट दी है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह प्रोजैक्ट सैन्टर से क्लीयर हुआ था, कास्ट हमारे से नहीं मांगी गयी थी ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि रिप्रेजैन्टेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि रिआर्गेनाईजेशन एक्ट में हरियाणा का हिस्सा मुकर्रर हए ।... (विघ्न)..... तो स्पीकर –साहब, उधर तो उस प्रोजेक्ट पर काम चालू होता हए, पंजाब ने काम चालू कर दिया है, कोई पैसा न आप दे रहे हैं और न वे मांग रहे हैं तो इस सस्पैन्स में हम अपना हिस्सा कैसे मांगते रहेंगे । हाउस मैं केवल यह कहने से कि थीन डैम के पर हम हिस्सा मांगेगे, इससे तसल्ली नहीं होगी । क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि हरियाणा का इस प्रोजेक्ट के अन्दर बिजली का कितना हिस्सा है और कितने की माग की गयी हे?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब हो चुका है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मिनिस्टर साहब वताएगे कि जब शेयर डिटरमिन होगा समय समय ये अपनी मांग रखेगे?

Shri Verender Singh : Yes, when the question for determination will arise we shall plead our case.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, मै इसलिये खडा हुआ हू चुकि यह सवाल बदा ही इमगटैन्ट है और शायद सरकार हमको फेम करने में काफी शाई फील करती है इन सब बातों को छुपाना चाहती है इसलिये अगर आप क्य पर हाफ एन आवर डिस्कशन अलाउ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिये नोटिस दीजिये ।

चौधरी गंगा राम : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि थीन डैम को कन्ट्रोल करने के लिये जो बोर्ड बनेगा, उसमें हरियाणा की तरफ से शेयर लेने के लिये रिप्रैजैन्ट कौन करेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर महोदय और आई. पी. एम. उस बोर्ड के मैम्बर होंगे ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि चीफ मिनिस्टर साहब और आई.पी.एम. उस बोर्ड के मैम्बर होंगे । क्या मै मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इस बारे में मुख्य मंत्री पंजाब ने जो विधान सभा में व्यान दिया है, अखबारों में भी पडा है कि इस बोर्ड के हरियाणा के मुख्य मंत्री और आई. पी एम. मेम्बर नहीं होंगे, क्या यह सही है? बल्कि यहबोर्ड पंजाब जम्मू काश्मीर और हिमाचल के मैम्बर्ज का ही होगा, क्या यह सच है?

Shri Verender Singh : The Chief Minister of Haryana and Irrigation and Power Minister will be the members of this Board.

राव वीरेन्द्र सिंह : आपके पास निमन्त्रण आ गया कि आप मैम्बर होंगे?

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मिनिस्टर साहब यह बताएगे कि हरियाणा का उस में शेयर रहेगा भी कि नहीं?

आवाजें : रहेगा तो कितना रहेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, सरकार अपने शेयर के लिये पूरी तरह से डट कर लडेगी ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मंत्री महोदय बताए गे कि पंजाब रि–आर्गेनाईजेशन एक्ट में थीन डेम का जिकर है? वैसे हरियाणा स्टेट के मुताल्लिक उसमें यह दर्ज हुआ हुआ है कि हरियाणा भी उसका शेयर होल्डर है? क्या यह दुरस्त है?

श्री अध्यक्ष : वह काफी दफा जवाब दे चुके हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस थीन डैम में हरियाणा ने अपने पास से पैसा खर्च किया है?

श्री अध्यक्ष : वे बता चुके हैं ।

श्री बलदेव तायल : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पंजाब, हरियाणा ओर दूसरी स्टेट्स का शेयर

डिटरमिनेशन का क्वैश्चन है, यह कब अराईज होगा? मंत्री महोदय उसके अन्दर बाकी चीजें निकाल कर कितना शेयर डिटरमिन करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, शेयर का जहां तक ताल्लुक है कि यह कब अराइज होगा यह या तो पार्टीज म्यूचुअली बैठकर एग्री कर लेती है । अगर पार्टीज न कर पाये तो सैन्टर के लोग मीटिंग बुलाकर उसका फैसला कर लेते हैं ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Committee to advise the Local Government Department

***412. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Committee to suggest amendments in the Haryana Municipal Act, 1973 has submitted its report; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House, if not, whether any time limit has been fixed for the Committee to submit its report; and

(b) the expenditure incurred by the Committee ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) No. Since the Committee has not been able to

complete its work; its term is being extended up to June, 1978.

(b) The expenditure incurred on this committee is Rs. 8019.95 so far.

Haryana Agro-Industries Corporation

***430. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the financial position of the Haryana Agro Industries Corporation Limited is sound or not ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) : The financial position of the Haryana Agro-Industries Corporation Limited is sound.

Shamlat Land

***332. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the districtwise and blockwise total area of shamlat land which vests in the Gram Panchayats in the State as on 31st December, 1977 ?

STATEMENT

BLOCKWISE TOTAL SHAMLAT LAND

1. Ambala

		A	K	M
1.	Ambala	10939—		

7-00

2.	Barara	8141— 0-00
3.	Jagadhri	6172— 0-00
4.	Bilaspur	4026-0-00
5.	Chhachhrauli	4704— 0-14
6.	Naraingarh	5827— 2-00
7.	Rai Pur Rani	2495— 0-00
8.	Pinjore	9396— 0-16
	Total :	51701— 2-10

2. Kurukshetra

1.	Thanesar	14515— 0-00
2.	Shahbad	5593— 0-00
3.	Ladwa at Radaur	12528-0 —00

	4.	Kaithal	8037— 4-03
	5.	Pundri	8690— 0-00
	6.	Guhla at Cheeka	24596— 0-00
		Total :	73959-- 4-03

3. Karnal

	1.	Smalkha	6980— 0-00
	2.	Gharaunda	10668— 0-00
	3.	Nilokheri	17017— 0-00
	4.	Nissang	7258— 0-00
	5.	Panipat	10021— 2-19
	6.	Karnal	13813— 7-19
	7.	Assandh	4212— 0-00
	8.	Mudlauda	17988—

0-00

Total : 87958—
2-18

4. Rohtak

1. Rohtak 4381— 0-
00

2. Sampla 4702— 0-
00

3. Kalanaur 6823— 0-
00

4. Meham 3033— 0-
00

5. Chiri 2809— 0-
00

6. Jhajjar 7016— 0-
00

7. Sahalawas 6313— 0-
00

8. Nahar 9965— 6-
00

9. Beri 6005— 0-
00

10. Bahadurgarh 8030— 0-
00

	Total :	59077— 6-00

5. Mohindergarh

1.	Ateli	8933— 0-00
2.	Bawal	7880— 0-00
3.	Narnaul	9113— 0-00
4.	Mohindergarh	16944— 0-00
5.	Rewari	3590— 0-00
6.	Jatusana	4493— 0-00
7.	Khol	8366— 0-00
8.	Kanina	11087— 0-00
9.	Nangal Chaudhri	23580— 0-00
	Total :	93986— 0—O0

6. Hissar

	1.	Hissar-I	6218— 6-08
	2.	Hissar-II	158 71— 5-15
	3.	Hartsi-I	8107 — 0-00
	4.	Hansi-II	5259— 0-00
	5.	Narnaund	6633— 0-00
	6.	Bhuna	10359— 0-00
	7.	Barwala	8252— 0-00
	8.	Fatehabad	7834— 6-02
	9.	Tohana	6690— 4-17
	10.	Rattia	6787— 7-12
		Total :	82013— 6-04

7. Gurgaon

	1.	Gurgaon	8002-0 —

00

2.	Sohna	20676— 0-00
3.	Pat aud i	6120 0-00
4.	Nuh	26553— 0-00
5.	Hathin	9484— 0-00
6.	F.P. Jhirka	24653— 0-00
7.	Punhana	6864— 0-00
8.	Palwal	12630— 0-00
9.	Hodel	14469— 0-00
10.	Ballabgarh	8716— 0-00
11.	Faridabad	9730— 0-00
	Total :	147897 — 0-00

8. Sonepat

	1.	Sonepat	11645— 0-00
	2.	Kharkhauda	5753— 0--00
	3.	Rai	7090-2 — 18
	4.	Ganaur	13046— 0-00
	5.	Gohana	4648— 1-15
	6.	Mudlana	4347— 0-00
	7.	Kathura	2323— 5-14
		Total :	48853— 2-07

9. Bhiwani

	1.	Dadri-I	7278— 0-00
	2.	Dadri-II	10238— 3-14
	3.	Badhra	11819— 0-00
	4.	Bhiwani	12066—

0-00

5. Loharu 15360—
0-00

6. Tosham 11752—
0-00

7. Bawanikhera 9743— 0-
00

Total : 78256—
3-14

10. Sirsa

1. Rania 14019—
0-00

2. Sirsa 16518—
0-00

3. Baragudha 10151—
1-03

4. Dabwali 11764-00-
00

Total : 52452—
1-30

11. Jind

1. Narwana 5198— 0-
00

2.	Julana	4307— 6-09
3.	Safidon	6270— 5-15
4.	Kalayat	6358— 0-00
5.	Jind	5757— 0-00
6.	Rajound	6862— 0-00
7.	Uchana	6721— 0-00
	Total :	41474— 4-04

STATEMENT II

DISTRICTWISE TOTAL SHAMLAT LAND IN ACRE

1.	Ambala	51701— 2-10
2.	Kurukshetra	73959— 4-03
3.	Karnai	87958 — 2-18
4.	Rohtak	59077— 6-00

5.	Mohindergarh	93986—	0-00
6.	Hissar	82013—	6-04
7.	Gurgaon	147897—	0-00
8.	Sonepat	48853—	2-07
9.	Bhiwani	78256—	3-14
10.	Sirsa	52452—	1-03
11.	Jind	41474—	4-04
	Total :	817630 —	177-03

Benefits to Ex-Servicemen

***258. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the benefits being provided to the Ex-Servicemen in the State at present; and

(b) whether it is a fact that some posts in Class I, H, III services in the State have been reserved for Ex-Servicemen ; if so, whether such posts have been filled in by

Ex-servicemen according to their reserved quota ?

Interim reply

अ 0 स0 क्र 0 12– 4– 78

देवी लाल मुख्य मन्त्री

हरियाणा सरकार, चण्डीगढ ।

अप्रैल 3, 1978

तारांकित विधान सभा प्रश्न नं 0 258

प्रिय श्री रण सिंह,

तारांकित विधान सभा प्रश्न नं 0 258 का उत्तर पिछले अधिवेशन की कार्य– सूची के अनुसार दिनांक 1– 3– 1978 को देय था । मैंने अपने अर्ध सरकारी पत्रांक 16 98– 2 जो0 एस0–7 8, दिनांक 2 7– 2– 78 द्वारा सूचित किया था कि प्रश्न में मांगी गई सूचना सभी विभागों से एकत्रित की जा रही है । क्योंकि सूचना प्राप्त करने में कुछ समय लगने की संभावना थी, मैने प्रार्थना की थी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक मास का समय देने की कृपा की जाए ।

2. अब उपरोक्त प्रश्न का उत्तर विधान सभा के वर्तमान सैशन में 4– 4– 78 को देय है । इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अपेक्षित सूचना अभी एकत्रित की जा पी है और पूर्ण सूचना प्राप्त करने में अभी कुछ और समय लगने की संभावना है । अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कृपया एक मास का और समय देने की कृपा की जाए ।

आदर सहित,

आपका

हस्ता/–

(देवी लाल

)

श्री रण सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्ड़ीगढ़ ।

Shamlat Land Under Cultivation

***333. Chaudhri Des Raj :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the district-wise and block-wise total area of Shamlat land under cultivation in the State and its income during the years 1974-75, 1975-76, 1976-77 to 31st December, 1977 ?

विकास एवं पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

ANNEXURE

I Ambala

Sr. No.	Name of Block	Total area of Shamlat land under cultivation	Income during 1974-75	1975-76	1976-77 to 31-12-77
1	2	3	4	5	6
		Acre K. M.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1.	Ambala	3561 --3 --16	412117.00	420735.00	811563.00
2.	Barara	2303 --0 --00	356318.00	332514.00	716124.00
3.	Jagadhri	777 --3 --19	198698.40	220421.00	603178.00
4.	Bilaspur	944--0--00	84644.00	86771.00	172401.00
5.	Chhachhrauli	654-0-00	95187.00	131396.00	273624.00
6.	Naraingarh	1565-00	236908.00	209481.00	501220.00
7.	Raipur Rani	1925-0--00	134003.00	262235.00	242349.00
8.	Pinjore	531 --0 --00	41210.00	83044.00	53987.00

		12260 --7 --15	1559085.40	1746597.00	3392456.00
			Kurukshetra		
1.	Thanesar	3964-0-00	701865.00	658235.00	1568382.00
2.	Shahbad	970 --0 --00	158361.00	176379.00	404662.00
3.	Radaur	3477-0-00	277651.00	387562.00	1368342.00
4.	Kaithal	2780-0-00	455344.00	604826.00	1179437.00
5.	Pundri	2317 --0 --00	489252.00	497623.00	1207729.00
6.	Guhla	4336 --0 --00	292375.00	410902.00	816000.00
		17844-0-00	2374848.00	2735527.00	6544552.00
			Karnal		
1.	Karnal	2912 --2 --00	443870.00	573960.00	713294.00
2.	Nissang	1269 -0-00	302189.35	267270.00	382973.00
3.	Gharaunda	2195 --3 --00	373720.14	432935.96	506806.76
4.	Nilokheri	4548 -0-00	910411.00	975615.00	1161185.00
5.	Mudlauda	1699 0 00	225076.00	225224.00	248435.00
6.	Panipat	10021 --2 --19	196667.00	196003.00	220861.00
7.	Samalkha	1032 0	154048.00	181933.00	190080.00

		00			
8.	Assandh	1123-0-00	239726.25	253875.00	307540.00
		24799 --7 --19	2845707.74	3106815.96	3731174.76
			Rohtak		
1.	Rohtak	874- 0- 19	147501.00	117307.00	83885.00
2.	Meham	850 --0 --17	120388.00	168483.00	375033.00
3.	Sampla	476-0-00	--	84000.00	301300.00
4.	Bahadurgarh	1655 --3 --00	251573.00	284474.50	248452.00
5.	Kalanaur	835 -0-00	70885.00	110394.00	177630.00
6.	Berl	1178 --3 --19	169607.00	176023.00	173231.00
7.	Sahlawas	1582-0-00	284219.00	324753.00	268335.00
8.	Nahar	2845 --0 --00	302843.00	376568.00	685054.00
9.	Jhajjar	2162 --0 --00	282945.50	336164.50	624219.00
10.	Chiri	662 --0 --00	120395.00	123646.00	273849.00
		13120--6--55	1750356.50	2101813.00	3210688.00
			Narnaul		
1.	Narnaul	1189-0-00	169954.00	156784.00	385649.00

2.	Nangal Chaudhry	2818-0-00	141057.00	96112.00	303612.00
3.	Ateli Nangal	1911-0-00	237609.00	230488.00	486323.00
4.	Mohinder-garh	2240--0--00	192783.00	209300.00	476134.00
5.	Kanina	1941-0-00	264435.00	278734.00	542667.00
6.	Jatusana	1374- 0-00	232478.00	246914.00	416764.00
7.	Khol	159-0-00	116061.00	134305.00	272520.00
8.	Rewari	1509 --0 --00	184772.00	202451.00	361296.00
9.	Bawal	3672 -0-00	252612.00	265880.00	567410.00
		18252-0-00	1791761.00	1820968.00	3812376.00

Hissar

1.	Hissar I	1899-0-09	255915.00	291646.00	537367.00
2.	Hissar ll	5565 --7 --14	583367.17	499015.66	1152760.10
3.	Hansi I	2958-0-16	248605.00	239314.00	610052.00
4.	Hansi ll	397 -0-00	46153.00	52246.00	118385.00
5.	Barwala	2330--5--00	397127.00	422464.00	812931.00
6.	Fatehabad	2354-0-06	445018.00	411203.00	972385.00
7.	Buhna	2789 --5 --08	280613.00	374727.00	773828.00

8.	Rattia	2430--6-03	304596.00	226996.00	604176.00
9.	Narnaund	1648 --1 --04	245015.00	230963.00	572675.00
10.	Tohana	2157 --5 --07	355546.00	381658.00	715274.00
		24531--0--07	3161955.17	3130232.66	6869839.10

Gurgaon

1.	Gurgaon	1452- 0-00	87710.00	85664.00	106591.00
2.	Sohna	2289 -0-00	101490.00	101490.00	172438.00
3.	Pataudi	3521-0-00	328885.00	23052.00	349522.00
4.	Nuh	2671-0-00	200386.00	234577.00	237902.00
5.	Hathin	2111-0-00	213257.00	152391.00	191847.00
6.	F.P.Jhirka	4966-0-00	191213.00	204412.00	211942.00
7.	Punhana	1152-0-00	95540.00	149077.00	163313.00
8.	Hodel	1172 -0-00	227845.00	262240.00	285588.00
9.	Palwal	13697-0-00	309980.00	383892.00	426412.00
10.	Ballabgarh	2133-0-00	288957.00	280913.00	256936.00
11.	Faridabad	812 -0-00	92887.00	101816.00	103234.00
		35099-0-00	2138150.00	1979524.00	2505725.00

Sonepat

1.	Sonepat	2594--0-00	341492.00	446763.00	1014665.00
2.	Kharkauda	1417-0-00	102323.00	144851.00	2222401.00
3.	Rai	20661-0-4	160421.00	200454.00	517834.00
4.	Ganaur	2590-0-00	175260.00	300460.00	569460.00
5.	Gohana	10076-0-0	197567.00	196227.00	367810.00
6.	Mudlana	894-0 -00	169008.00	198105.00	422350.00
7.	Kathura	570--4--12	72053.00	97490.00	209236.00
		11139 --6 --16	1218124.00	1584350.00	3333595.00

Bhiwani

1.	adril	1092-0-00	67136.00	134496.00	273556.00
2.	Dadri II	1777-4-05	151169.00	224304.50	364664.10
3.	Badhra	920--0--00	47485.00	57615.00	133448.00
4.	Bhiwani	1895-0-00	152153.00	201738.00	4821539.00
5.	Loharu	2050-0-00	105435.00	123260.00	309626.00
6.	Tosham	1698-0-00	131113.00	135098.00	278974.00
7.	Bawanikhera	1516-0-00	106546.00	123562.00	305758.00
		1094-8--45	761037.00	1000073.50	2147365.10

			Sirsa		
1.	Rania	5556-0-00	805476.00	635580.00	1585077.00
2.	Baraguda	3842-0-00	401543.00	408831.00	913040.00
3.	Sirsa	5416-7-14	1032292.00	613806.00	2012855.00
4.	Dabwali	4165-0-00	767342.00	669658.00	1576768.00
		18979-7-14	3006653.00	2327875.00	6087740.00
			Jind		
1.	Julana	883-2-07	160125.00	200390.00	488893,00
2.	Uchana	1628-0-00	128926.20	286857.50	582573.00
3.	Jind	1450- 0-00	145030.00	307147.00	733395.00
4.	Safidon	1352 --1-18	306215.87	321575.30	633884.00
5.	Narwana	1364-0-00	184992.00	266377.00	657172.00
6.	Kalayat	1702 -0-00	316911.99	279031.62	626187.10
7.	Rajound	2709 --0-00	168305.00	308589.00	690821.00
		11088--4-05	1410506.06	1969967.42	4429825.10

ANNEXURE II

District-wise total area of Shamlat land under cultivation and income

Sr. No.	Name of District	Total area of Shamlat land under cultivation	Income during 1974-75	1975-76	1976-77 to 31-12-77
		Acre K. M.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1.	Ambala	12260-7-15	1559085.40	1746597.00	3392456.00
2.	Kurukshetra	17844-0-00	2374848.00	2735527.00	6544552.00
3.	Karnal	24799-7-19	2845707.74	3106815.96	3731174.76
4.	Rohtak	13120--0--15	1750356.50	2101813.00	3210688.00
5.	Narnaul	18230-0-00	1791761.00	1820968.00	3812376.00
6.	Hissar	24531-0-08	3161955.17	3130232.66	6869839.10
7.	Gurgaon	35099-0-00	2138150.00	1979524.00	2505725.00
8.	Sonepat	11139 --6 --16	1218124.00	1584350.00	3333595.00
9.	Bhiwani	10948 --4--05	0761037.00	1000073.50	2147365.00
10.	Sirsa	18979 --7 ---14	3006653.00	2327875.00	6087740.00
11.	Jind	11088--4--05	1410506.06	1969967.42	4429825.10
		198041 --7 --17	22018182.87	23503743.54	42252959.9

Percentage of posts reserved for the persons belonging to Scheduled Castes

***221. Chaudhri Sher Singh : Will** the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the percentage of posts, reserved cadrewise for the persons belonging to Scheduled Castes in the services of Haryana Govt.;

(b) whether it is a fact that the posts so reserved as in part (a) above have been completely filled up; if not, the number of such posts, separately which have not been filled up so far together with the steps taken or proposed to be taken by the Govt. to fill up the aforesaid posts; and

(c) the time by which the said posts are likely to be filled up ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) Cadrewise 20 % posts in respect of class I,II, III & IV have been reserved in services for Scheduled Castes in direct - recruitment. Similarly, 20 % posts have been reserved for Scheduled Castes in promotions made by the selection or on the results of competitive examinations limited to departmental candidates in the case of Class 111 & I V posts.

(b) The posts so reserved in part (a) above have not been completely filled up in all cadres. Number of such posts, separately which have not been filled up so far is laid on the Table of the House. Govt. have taken following steps to fill up the aforesaid posts :—

(i) The Scheduled Castes persons are given relaxation of 5 years in upper age limit for all posts under the State Government.

(ii) Only 1/4th of the prescribed examination fee for a post is charged from Scheduled Castes candidates.

(iii) The unfilled reserved posts are carried forward for a period of two years so that candidates belonging to Scheduled Castes become available.

(iv) The posts are re-advertised if, in the first instance suitable candidates are not available for the posts reserved for the persons belonging to Scheduled Castes.

(c) No time limit can be fixed as it depends on the availability of suitable candidates.

ANNEXURE I

Sr. No.	Name of the Cadre	Number of posts which have not been filled up so far out of the quota reserv-ed for the Scheduled

		Castes
1	2	3
	Assistant Employment Officers/Assistant Employment	
	Officers (Vocational Guidance)	4
	Agril. Dev. Officer	167
	Agril. Sub-Inspector	47
	Agril Inspector	1
	A.N.M. (Auxiliary Nurse Midwife)	175
6.:	Accountant	26
	Assistant	32
	Auto-Machanic	1
	Air Compressor -	1
	Assistant Archivist	1
11.	Assistant Dental Surgeon	2
12.	Associate Lecturer for Commercial Practice and Stenography	1
13.	Assistant Sub-Inspectors	32
14.	Assistant Director	1
15.	Assistant Section Holder	2

16.	Assistant Manager	2
17.	Assistant Superintendent Jails/Welfare Officers/Probation Officers/Lady Assistant Superintendent Jails.	1
18.	Assistant District Attorney	13
19.	Assistant Draftsmen (Civil)	1
20.	Attendant	1
21.	Assistant Cashier	12
22.	Assistant Store-keeper	2
23.	Assistant Fitter	21
24.	Assistant Tyreman	4
25.	Assistant Electrician	8
26.	Assistant Carpenter	2
27.	Assistant R. Repairer	1
28.	A.W.B.N. (Assistant Wasl Baqi Nawis)	12
29.	Building Inspector	1
30.	B.C.G. Technicians/Team Leaders	5
31.	Bio-Chemist	1
32.	Basic Health Workers/Surveillance Workers Sanitary Supervisors	35

33.	Block Level Industries Officers	2
34.	Band Men	2
35.	Black smith	9
36.	Block Development & Panchayat Officer	3
37.	Block Overseers	3
38.	Chief Supervisor Training	1
39.	Clerk	368
40.	Chowkidar	11
41.	Computer	
42.	Chief Instructor/District Commandant	
43.	Coy. Commander/Senior Instructor/Store Superintendent, Q.M. Sub-Commander Trg. Centre	4
44.	Constable Ordinary	109
45.	Compounders	3
46.	Copy Holder	1
47.	Class I Junior (Civil)	2
48.	Chief Store Keeper	2
49.	Cashier	2

50.	Chief Inspector/Welfare Inspector	2
51.	Conductor	203
52.	Carpenter	8
53.	Cleaner	8
54.	C&V (Classical & Vernacular Teacher)	608
55.	Dais	7
56.	Driver	345
57.	Drillers	2
58.	Dispensers	14
-59.	District Animal Husbandry Officers/Assistant Director/ Office Incharge Semen Banks/Chatter Development Officers/Gaushalas Development Officers/Assistant Poultry Development Officers	3
60.	District Food & Supply Officer	1
61.	Dental Machanic	2
62.	Drug Inspector	1
63.	Deputy Superintendent	3
64.	Deputy Controller Civil Defence	1
65.	Demonstrator Farmacy	1
66.	Demonstrator for Commercial Practice and Stenography	1

67.	District Industries Officer/Assistant Director	1
68.	Distributor	3
69.	Electrician	1
70.	Economic Investigator	2
-71.	Field Assistant	5
72.	Family Welfare Extension Educator§	7
73.	Family Welfare Field Workers	30
74.	Foremen	1
75.	Folding Machine Operator	1
76.	Field Investigator	1
77.	Fitter	30
78.	Grader	2
79.	Group Instructor/App. Supervisor	2
80.	Gram Sachives	105
81.	Gun Man	1
82.	Gram Sevikas	29
83.	Health Extension Education Officer	1
84.	H.A.S. Class I	2

85.	H.A.S. Class II	7
86.	Head Clerk	30
87.	Horticulture Supervisor	1
88.	H.A.V. Instructor/Demonstrator	8
89.	Head Machanic	**3**
90.	Helper	27
91.	Head Draftsmen	1
92.	Haryana Civil Services (Executive Branch)	3
93.	H.E.S. Class II	1
94.	H.C.M.S. Class I	3
95.	H.C.M.S. Class II	32
96.	Head Master	13
97.	Headmistress	12
98.	Inspector (GL)	19
99.	Inspector (Audit)	6
100.	Instructor	59
101.	Inkers	1
102.	Jamadar	2
103.	Junior Scale Stenographer	12

104.	Joint Director/Chief Superintendent/Project Officer/Der uty Director.	2
	Junior Machanic	1
	Junior Auditor	19
	Junior BRAIL Teacher	1
	Junior Analysis	2
109.	Junior Draftsman	4
110.	Job Worker	1
111.	Junior Demonstrator	1
112.	J.B.T. (Junior Basic Teacher)	72
113.	Junior Technical Assistant	3
114.	Laboratory Attendent	12
115.	Line Superintendent	1
116.	Nursing Staff	43
117.	L.H.V. (Lady Health Visitor)	38
118.	Laboratory Assistant	5
119.	Legal Advisor	1
120.	Lecturers	10
121.	Mining Guard	2

122.	Machanic	32
123.	Machanic Borer	3
124.	Mass Education & Information Officers	3
125.	Master/Mistress	541
126.	Motor Machanic	2
127.	Malaria Inspector/Health Inspector/Surveillance Inspector	26
128	Microscope/Pump Machanic	2
129.	Medical Officer	1
130.	Mini Accountant	2
131.	Manual Assistant	1
132.	Mono Operator	1
133.	Mono Caster	1
134.	Mali	4
135.	Mukhya Sevikas	14
136.	Operator Grade-I	1
137.	Operator Grade II	2
138.	Proof Reader	1
139.	Patwari	36

140.	Peon	90
141.	Pharmacists	4
142.	Public Relation Officer	1
143.	Pl. Comdr, Civil Defence Instr. Assistant to Distt. Comdt.	5
144.	Pipe Band NK	2
145.	Planning-cum-Survey Officer-cum-Planning Officer	1
146.	P.O. Reader	1
147.	Quality Control Inspector	2
148.	Q. Guard, Home Guard	1
149.	R. Inspector (Roads Inspectors)	8
150.	Restorer	1
151.	Radio Grapher	2
152.	Rigman	2
153.	R.A. Surveyer Vitter	2
154.	Research Officer/Superintendent	1
155.	Sub-Inspector (General Line)	28
156.	Statistical Supervisor	7
157.	Sub-Inspector (Audit)	10

158.	Sectional Officer	229
159.	Senior Scale Stenographer	9
160.	Steno-Typist	94
161.	Senior Statistical Computor	1
162.	Sub-Inspector Food & Supplies	27
163.	Stock Assistant	143
164.	Statistical Assistant	8
165.	Senior Auditor	1
166.	Sweeper-cum-Chowkidar	32
167.	Surveyers	11
168.	Store Keeper	8
169.	Storeman	2
170.	Supervisor	3
171.	Superintendent	1
172.	Senior Technician	2
173.	Senior Technician Officet	2
174.	Senior Superintendent/Superintendent	1
175.	Sub-Inspector	4
176.	Senior Scientific Officer	1

177.	Section Holder	3
178.	Senior Machine Man	2
179.	S.D.O. (Mach.)	1
180.	S.D.O. (Electrical)	6
181.	Store Purchase Assistant	2
182.	Social Education & Panchayat Officer	6
183.	S.D.E. (Sub Divisional Engineer)	2
184.	Technical Assistant	18
185.	Technical Assistant (Statistical)	2
186.	T.B. Health Visitor	3
187.	T.A. (Geology) (Technical Assistant)	1
188.	Tractor Machanic	1
189.	Truck Cleaner	1
190.	Technical Bearer	1
191.	Tubewell Operator	2
192.	Technician (Class II)	1
193.	Technical Specialist/Technical Officer	2
194.	Tyreman	4

195.	Translator	1
196.	Tax Collector	9
197.	Tracer	20
198.	Technician	1
199.	Upholster	2
200.	Vety. Surgeons Junior Scale	64
201.	Veterinary Compounders	38
202.	Vaidays	3
203.	Vaccinator	2
204.	Well Supervisor	2
205.	Warden/Matrons	13
206.	Welder	2
207.	W.B.N. (Wasl Baqi Nawis)	2
208.	Yoga Instructor	3
209.	Head Constables	32
210.	S.D.O.	90
211.	Deputy Collector	3
212.	Assistant Foreman	2
213.	Circle Stenographer	5

214.	Circle Head Draftsman	4
215.	Divisional Head Draftsman	15
216.	Accounts Clerks	26
217.	Sub Divisional Clerk	49
218.	Draftsman	30.
219.	Irrigation Booking Clerk	133
220.	Ziledar	10
221.	Head Revenue Clerk	3
222.	Assessment Clerk	1
223.	Revenue Clerk	9
224.	Assistant Revenue Clerk	20
225.	App. IBC	12
226.	Signaller	19
227.	App. Signaller	2
228.	Divisional Accountant	9
229.	Foreman Heavy	2
230.	Pump Driver	3
231.	Telephone Attendent	4
232.	Daftri	3

233.	Daffe Dar	5
234.	Barkandaz	13
235.	Mate	8
236.	Artificer	2
237.	Gauge Reader	26
238.	Mali-cum-Chowkidar	11
239.	Regulation Beldar	57
240.	Hospital Coolie	2
241.	Regulation Jamadar	2
242.	Chargemen	1
243.	Beldar	39
244.	Operator/Line Dozer	2
245.	Operator	1

Sarpanches and Panches Suspended

***334. Chaudhri Des Raj : Will** the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the districtwise and blockwise total number of Sarpanches and Panches suspended during emergency together with the number out of them reinstated so far ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

Statement

Sr. No.	Name of District	Total No. of Sar-panches & Panches suspended during emergency	Total No. of Sar-panches & Panches reinstated so far	Name of Block	Total No. of Sar-panches & Panches suspended during emergency	Total No. of Sarpanches & Panches reinstated so far
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kurukshetra	20	10	Thanesar	1	1
				Ladwa	5	3
				Kaithal	2	1
				Pundri	6	3
				Guhla	6	2
2.	Sonepat	19	10	Sonepat	8	3
				Rai	.4	3
				Ganaur	7	4
3.	Ambala	71	41	Ambala	15	10
				Barara	11	8

			Jagadhri	5	3
			Bilaspur	7	3
			Chhachhrauli	5	1
			Naraingarh	6	4
			Raipur Rani	12	6
			Pinjore	10	6
4. Sirsa	—	—	—	—	—
5. Narnaul	17	8	Bawal	1	1
			Nangal Chaudhry	3	3
			Narnaul	2	1
			Khol	3	1
			Mohindergarh	4	—
			Ateli Nangal	2	1
			Kanina	2	1
6. Bhiwani	20	19	Dadri-I	3	2
			Dadri-II	1	1
			Badra	6	6
			Bhiwani	2	2

			Tosham	2	2
			Loharu	3	3
			Bawani Khera	3	3
7. Rohtak	25	12	Rohtak	1	1
			Kalanaur	1	—
			Chiri	7	5
			Meham	1	1
			Sampla	4	1
			Nahar	6	___.
			Sahlawas	3	2
			Bahadurgarh	2	1
8. Karnal	73	67	Karnal	34	32
			Assandh	4	—
			Nissang	18	18
			Madlauda	17	17
9. Hissar	18	9	Hissar-II	6	1
			Hansi-I	3	3
			Hansi-II	1	—

			Tohana	2	1
			Barwala	2	1
			Fatehbad	1	1
			Narnaund	3	2
10. Gurgaon	21	5	Gurgaon	2	—
			Pataudi	2	—
			Nuh	2	—
			Hathin	2	1
			Ferozepur Jhirka	3	2
			Punhana	2	—
			Palwal	4	2
			Hodel	1	—
			Ballabgarh	2	—
			Faridabad	2	—
11. Jind	32	24	Jind	16	12
			Julana	9	9
			Safidon	1	—
			Uchana	1	—

Kalayat-	2	_
Rajound	1	1
Narwana	2	2

Nazool Land in Bir Sunarwala

***401. Captain Mange 'Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any Nazool. Land in Bir Sunarwala Jhajjar and Chhuchhakwass in Tehsil Thai* stands allotted to the persons belonging to Scheduled castes; and

(b) if reply to part (a) above is in the affirmative, whether the ownership rights in respect of the said land have so far been transferred to the allottees thereof, if not, the reasons therefor and the time by which these are likely to be transferred ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह) :

(ए) जी, हां ।

(बी) जी, नहीं । मलकीकी हकूक देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Construction of Roads

***460. Dr. Brij Mohan Gupta :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state the names and mileage of roads proposed to be constructed in each constituency of the State during the period from

1-2-1978 to 31-3-1978 and from 1-4-1978 to 31-3-1979, separately ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) :

A list showing the names and mileage of roads expected to be metalled from 1-2-1978 to 31-3-1978 in each constituency, separately is placed on the Table of the House.

It is not possible to give the names and mileage of roads proposed to be constructed in each constituency from 1-4-1978 to 31-3-1979. **It** is estimated that a total length of about 450 K.Ms. would be completed according to availability of funds.

List of Roads and their Lengths proposed to be metalled in each Constituency in the State during the period from 1-2-1978 to 31-3-1978

Constituency		Name of road	Length proposed to be metalled from 1-2-78 to 31-3-78 in Kms.
No.	Name		
1	2	3	4
1.	Kalka	1. Panchkula-Morni Road	1.00
		2. Pinjore-Nalagarh Road to vill. Surajpur	0.20

	3. Pinjore-Mallah Road to vill. Deraguru	0.25
	4. R.T. Road to vill. Khetpurali.	0.25
	5. R.T. Road to Vill. Ganeshpur	0.30
	6. R.T. Road to Bhojponta	0.25
	Total :	2.25
2. Naraingarh	1. Raipur Rani-Naraingarh Road to Bhood (Bhoop)	0.15
	2. Link Road to Bhawali & Samanan.	0.50
	3. Kullarpur to Ferozepur	0.80
	4. Bassi-Barwala Road to Bazidpur	0.63
	Total :	2.08
3. Sadhaura	1. Jeoli Road to Kanjala.	0.80
	Total :	0.80
4. Chhachhrauli	1. Kaith-Kalanaur Road to Odhri	0.20
	2. Khizrabad-Bilaspur Road	1.00
	3. Laidi Gadwali Road to Saleempur Kohi	0.40
	4. Gulabgarh Chicken Road to Bhangera including link road to Bhangera. (in category `A')	0.50

	5. Kot Bassawa Singh to Darpur (in category 'A')	0.80
	Total :	2.90
5. Yamuna Nagar	1. Harnaul to Jagori via Hafizpur	0.50
	2. S.K. Road to Tigra Tigri	0.70
	3. Nlandcbar to Farakpur	0.50
	Total :	I . 70
6. Jagadhri	1. Mustafabad Chhaper to Fareedpur	0.25
	2. Alipur to Lawani	0.50
	3. Jagadhri-Ambala road to village Gadhaula	0.50
	Total :	1.25
7. Mullana	1. Hon to Gaganpur	0.20
	2. Barara Chhehal Majra including Rajo Kheri link.	0.50
	Total :	0.70
10. Nagai	1. Shahebpur to Nagla	0.30
	2. Jagadhri-Ambala Road to Spera Shahabpur	0.80
	3. Ambala-Hissar Road to Kalawar	0.60

		Total :	1.70
11. Indri	1.	Jhajjheri Taraori Road	0.10
	2.	Kheri to Makhali Road	0.90
	3.	Kharek to Chagwan Road	0.70
	4.	Kheri Jattan app. Road	0.40
	5.	Quadrabad app. Road	0.50
	6.	Raipur Ladwa Road	0 50
		(Sec. Km. 11.00 to 14.00)	
	7.	Jhareuli app. Road	0.70
		Total : .	3.80
12. Nilokheri	1.	Link Road to vill. Jatpura	0.20
	2.	Baqipur app. Road	0.15
	3.	Habatpur app. Road	0.18
	4.	Kamalpur app. Road	0.15
	5.	Chopri app. Road	0.35
	6.	Uchana to Rukhanpur Road	1.25
	7.	Sultanpur app. Road	0.40
		Total	2.68
14. Jundla	1.	App. Road to Padha	0.70

	2. App. Road to Bhamberheri	0.35
	3. App. Road to Birmajra	0.35
	4. App. road to village Seikhupura Manchuri	0.36
	Total :	1.76
15. Gharaunda	1. Amritpur Kalan app. Road (Sec. 4 to 6.40)	1.40
	2. Dhakwala app. Road	1.60
	Total :	3.00
16. Assandh	1. Rattack Lalian Road	0.95
	2. Assandh Khizrabad Road	1.00
	3. App. Road to village Mardhan Kheri.	0.56
	Total :	2.51
19. Naultha	1. Seenkh app. Road	0.60
	Total :	0.60
20. Shahbad	1. Churni Jattan to Atwan	1.00
	2. Madanpur Thanesar Jhansa road to Badam	Q.90
	3. Thol Jhansa Road to Kurri	0.20
	4. Ambala-Hissar Road to village Jendheri	0.35

		Total :	2.10
21. Radaur	1.	Harnaul Kheri Lakha Singh Road	0.30
	2.	Harnaul to Jagoori via Hafizpur	0.70
	3.	Radaur Jathlana Road to Rattangarh	0.40
	4.	App. road to Nachroan	0.20
	5.	S.L. Road to Morthala	0.02
	6.	Ladwa Gajjlana Road to Mehowa Kheri	2.00
	7.	App. Road to Kalri Jagir	0.60
	8.	App. Road to Kabulpur	0.40
	9.	App. Road to Gumthala to Rao	1.00
		Total :	5.62
22. Thanesar	1.	S.K. Road to vill. Alher Road to village Bhalari	0.20
	2.	S.K. Road to viii. Ladwa Baraut Road to vill. Braichpur	0.27
	3.	S.K. Road to Jainpur	0.65
	4.	Ladwa-Indri Road to Lathi Dhanaura	0.12
	5.	S.K. Road to Kheri Dabdlan	0.30
	6.	Shahabad Ladwa Road to Dhanoura Jagir	0.53

	Total :	2.07
23. Pehowa	1. Madanpur Thanesar Jhansa Road to village Megha Majra	2.38
	2. Madanpur Thanesar Jhansa Road to Vill. Ajrana Kalan	2.36
	Total :	4.74
24. Gahla	1. Kheri Gulanali Ramthali Road	1.50
	2. Bhagal Bdanpur Road	1.50
	3. Khanbari Chhana Agrian Road	1.20
	4. Link Road to vill. Kasauli	0.52
	5. Adhoya Mangan Road	0.40
	6. Haryana State Boundary to Adhoya to village Chhana Agrian	0.10
	Total :	5.22
25. Kaithal	1. Kaithal Kutabpur Road to Bhanpura and Dewal	0.40
	Total :	0.40
26. Pundri	1. Sarsa app. Road	0.60
	Total :	0.60
33. Berl	1. Durana to Chimni	0.50
	Total :	0.50

34. Sahlawas	1.	Behror to Dhilonwas	0.90
		Total :	0.90
35. Jhajjar	1.	Subana Kosli to Bithala	0.10
		Total :	0.10
36. adli	1.	Goyala Kalan to Kheri Jat	1.40
		Total :	1.40
38. Baroda	1.	Mundlana to Busana	2.00
	2.	Jagsi to Mattani	2.00
		Total :	4.00
39. Gohana	1.	Gohana-Jind Road to Wazirpur	1.30
		Total :	1.30
40. Kallana	1.	Garhi Jhajjara to Chulkana	3 .00
	2.	Atail Ahulana to Manak Majra	1.20
	3.	Mamarpur to Chandoli	0.04
		Total :	4.24
42. Rai	1.	Murthal Nandnaur to Gari Asadpur	1.20
	2.	G.T. Road to Kurar Ibrahimpur	0.93
	3.	G.T. Road to Nangle Khurad	1.10

	4.	Janti Kalan to Baqipur via Sersa	0.30
		Total :	3.53
43. Kalayat	1.	Kalayat Dattasinghwala Road	0.70
		Total :	0.70
50. Safidon	1.	Safidon to Rampura	0.50
	2.	Jamni to Dharoli (Sec. Pilukhera to Dharoli)	1.00
	3.	Jamni to Ritoli	1.00
		Total :	2.50
52. Meola Meharajpur	1.	Faridabad Tigaon Road	0.20
		Total :	0.20
53. Ballabgarh	1.	Kurali to Dayalpur via Junhera	0.20
	2.	Fatehpur Biloch to Kakripur	0.10
		Total :	0.30
54. Palwal	1.	Nuh-Palwal Road to Johar Khera	0.52
	2.	Dhatir to Saroli via Kishorpur	1.98
		Total :	2.50
55. Hassanpur	1.	Baroli to Rahimpur	0.15
	2.	Kushak to Fortesque Nagar (Sec.	2.00

	Kushak to Kashipur).	
	3. Rasulpur to Jatauli (Sec. Amroli to Gulawat)	1.00
	Total :	3.15
56. Hathin	1. Banchari to Dhoujika Mandir	0.40
	Total :	0.40
57. Ferozepur Jhirka	1. B.K.P. Road to Mamlika via Badli	0.80
	2. Bisru to Gubrari	2.00
	Total :	2.80
58. Nub	1. Jogipur Hathin to Dhanduka	0.42
	2. Bhadas Shikrawa Road to Khajauli Khurd	0.64
	Total :	1.06
59. Taoru	1. Sikarpur to Salaka Malaka	1.00
	2. Nuh Hathin to Naushera (Sec. Karmchandpur to Kumlaka).	0.60
	3. Pathreri to Uttawan	0.09
	4. Taoru Bhogipur to Nanuka	0 50
	5. Jogidur Hathin Road to Tarakpur	0.23
	6. Nuh Palwal Road to Manduri	0.24

	7.	Chilawali to Thana Alampur	0.55
	8.	D.A. Road to Rai, ika	0.36
	9.	D.A. Road to Berka Alimudin (Sec. Barwa to Barwa Alimudin).	0.50
	10.	H.K.N. Road to Karamchandpur	0.40
		Total :	4.47
60. Sohna	1.	Damdama to Khcrla	1.00
		Total :	1.00
61. Gurgaon	1.	Wazirabad to Ghata	0.20
		Total :	0.20
63. Badhra	1.	Badhra Barla Road	0.80
		Total :	0.80
65. Mundhal	1.	Nissing Gap of Ranila Pillana Road	1.63
		Total :	1.63
66. Bhiwani	1.	Extension of Paluwas link Road	0.90
	2.	Kaund Manuharu Road to vill. Mangla app. Road	0.47
	3.	Sarang Rajgarh Road.	0.50
		Total :	1.87
67. Tosham	1.	Baganwala Dadam Road	0.90

	Total :	0.90
68. Loharu	1. Pathrwa to Nangla Dhani	0.60
	2. Shampura to Basri Road	0.70
	3. Basri to Jarwa Road	0.25
	Total :	1.55
69. Bawani Khera	1. Siwani Balawas Road	3.30
	Total :	3.30
71. Narlaund	1. Narnaund to Petwar	2.00
	2. Sheikupur Jamawari Kumba Thurana Petwar Road to Village Kumbha	0.50
	3. From village Puthi in Hissar District to Saman in Rohtak District	1.00
	4. App. Road to Middle School at village Rajthal.	0.50
	5. Rurana to Datta.	1.00
	Total :	5.00
73. Bhattu	1. Cheekanwas on Delhi-Hissar Sulemanki Road to village Mehalsara	0.12
	Total :	0.12

76. Tohana	1.	Tohana Damkora Nathuwal Chilewal Road	2.00
	2.	Pirthala to Laloda Road	1.00
		Total :	3.00
77. Ratia	1.	Dharsul Ja,khal Road	0.40
	2.	Sidhani to Mundlian	1.00
	3.	Sidhani to Sadhanwas	1.0Q
	4.	Rattangarh to Pilchhian	1.00
	5.	Fatehabad Hanspur Road	1.00
	6.	Hukmawali Link Road	1.00
	7.	Alalwas to Alika with a link to Kherpur	1.00
		Total :	6.40
80. Durban Kalan	1.	Sirsa to Jamal	1.50
	2.	Ding to Kukarthana	2.00
	3.	Gadli to Makhusarani	4.00
	4.	Ding to Dodiwali	1.00
		Total :	8.50
81. Ellenabad	1.	Mattuwali link Road	1.60

	2.	Bhuratwala to Mosli	1.00
	3.	Ellenabad to Berwala Khurd	0.90
	4.	Nanuwana to Mangalia	1.20
	5.	Mangalia to Khariyan	1.00
		Total :	5.70
82. Sirsa	1.	Kharika to Dhottar	1.00
		Total :	1.00
83. Rori	1.	Baragudha to Daulatpur	2.10
	2.	D.H.S. to Anandgarh	1.70
	3.	Gadrana to Lakranwali	1.00
	4.	Rampura Bishnoiyan to Nuhiyanawali	4.25
	5.	Mangalia to Kharyian	1.25
		Total :	10.30
84. Dabwali	1.	D.H.S. to Dewan Khera	0.23
	2.	Saktakhera to Juttanwali	1.00
	3.	Kalanwali to Chithar	1.00
	4.	Dabwali Kalanwali to Khokar	0.80
	5.	Assakhera to Bharokhera	2.80
	6.	Masitan to Gobindgarh	2.00

	7.	Jogewala to Desujodha	1.00
		Total :	8.83
85. Bawal	1.	Asalwas Johabwa Road	0.30
		Total :	0.30
87. Jatusana	1.	Kanina to Ghara	1.70
		Total :	1.70
88. Mohindergarh	1.	M.K.L.N. to Majra Kalan	1.45
	2.	Majra to Bawania via Lawan and Malra	2.00
		Total	3.45
89. Ateli	1.	Tigra to Sagirpur	1.90
		Total :	1.90
		G. Total :	149.98
		Say	150.00 Kms.

Suspension of Sarpanches

***458. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) whether any enquiry was conducted against the suspended Sarpanch of Gram Panchayat Saktakhera on 19-10-1977 by A.G.A. Sirsa ; if so, the result thereof; and

(b) the number of suspended Sarpanches who are found guilty after making the enquiry together with the action taken against them ?

विकास एवं पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(क) जी हां । वह दोषी पाया गया और उसे पदय्चूत करने के लिए अन्तिम ''कारण बताओ'' नोटिस दिया जा चुका है ।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं क्योंकि समय तथा क्षेत्र, जिसके लिए सूचना चाही गई है, प्रश्न में नहीं दिया गया है ।

Labour Colonies

***469. Lala Balwant Ra i Tayal :** Will the Ministe r for Industries be pleased to state—

(a) the date on which the survey of the Labour Colonies of Shiv Nagar and Vinod Nagar near Hissar Textile Mill was conducted together with the time by which these arc likely to be developed ; and

(b) the number of time for which the residents of these both colonies gave applications to the Municipal Committee, Hissar after 1-4-1972 together with the action taken thereon by the Municipal Committee ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) :

(a) The survey of Vinod Nagar Colony was

conducted by the Improvement Trust, Hissar in July 1975 and the Vinod Nagar and Shiv Nagar Colonies were re-surveyed recently by the said Improvement Trust. These colonies are likely to be partly developed during 1978-79.

(b) These colonies were included in municipal limits of Hissar in February 1974 and since then nine representations have been received by the municipality. The municipality could not take any action as the streets of these areas have not been declared as Public streets.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Canal Head Works

135 Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the water is being supplied less to. State of Haryana from these Canal Head Works which are not under the control of the Haryana; if so, the steps taken by the Government so far to get its full share ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : नहीं ।

Upgradation of Schools

Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether list of Schools which are to be upgraded has been prepared ; if so, the names of those schools and the criteria observed in selecting the schools; and

(b) whether any schools have already been

upgraded during the current year; if so, the names of such schools and the criteria followed in upgrading such Schools ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) The list of schools is placed on the Table of the House. The population. student strength. accommodation, distance from the existing schools etc. has been kept in view for upgradation of these schools. Special consideration has been elso given to the upgrading of Primary Schools, Girls' Schools and schools in rural and backward areas.

(b) The ,requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT-I

List of Schools to be upgraded

District	Primary to Middle	Middle to High
Ambala	1. Garnala	1. Saha (Girls)
	2. Lalahari Kalan	2. Karanpur
	3. Bahadurpur	3. Jagadhri (Girls)
	4. Ambala Cantt. (B.C.)	4. Deodhar
	5. Ismailpur	5. Bhurewala
Bhiwani	6. Bidhnoi	6. Isarwal
	7. Kitlana (Girls)	7. Baliali
	8. Talu (Girls)	8. Kakroli Sardara

	9. Balkara	
Gurgaon	10. Nai	9. Nurgarh
	11. Hajipur	10. Jharsetli
	12. Bassai	11. Gharotta
	13. Utawar	
	14. Mohammadpur Ahir	
	15. Oatha	
	16. Mevla Maharajpur	
	17. Gharoda	
	18. Janauli	
Hissar	19. Thurana (Girls)	12. Poothi Mangal Khan
	20. Mirchpur (Girls)	
	21. Dariapur	
	22. Thuian	
	23. Durajanpur	
	24. Ahli Sadar	
	25. Mohabatpur	
	26. Laloda	

	27. Guglan	
	28. Sulakhni	
Jind	29. Julani	13. Igraha
	30. Butani	14. Kalayat (Girls)
	31. Sandil	
	32. Sacha Khera	
	33. Badanpur	
Karnal	34. Bursham	15. Jambar
	35. Rakshera	16. Nara
	36. Peont (Nissang)	17. Karnal (Girls)
	37. Khotpur	
	38. Jagir	
	39. Jatol	
Kurukshetra	40. Manas	
	41. Kasan	
	42. Chuhar Majra	
	43. Bhat Majra	
	44. Gohran	
	45. Hasanpur	

	46. Jamalpur	
	47. Khanpur Jattan	
Mohindergarh	48. Daroli Ahir (Girls)	18. Nagal Pathani
	49. Ateli (Girls)	19. Majra Shivraj (Girls)
	50. Dhani Bhatota	
	51. Duloth	
	52. Kharkhara	
	53. Nangal Teju	
Rohta':	54. Sanghi	20. Baniani
	55. Kharak Jatan	21. Gandhi Nagar Rohtak (Girls)
	56. Liloth	
	57. Sadat Nagar	22. Karauntha
	58. Bishan	23. Gochi
	59. Bhurawas	
	60. Gopla Kalan	
	61. Nilothi (Girls)	
Sonepat	62. Jasrana	24. Gangana
	63. Barouli	25. Barwasni

	64. Jharot	26. Khizarpur
	65. Hasanpur	
Sirsa	66. Kirarkot	27. Chotala (Girls)
	67. Surti a	28. Kalanwali (Girls)
	68. Mallekan	29. Ellenabad (Girls)

STATEMENT-II

Statement showing the names of the schools upgraded during the year 1977-78.

Primary to Middle

1. Tumbaheri (Rohtak}
2. Budana (Hissar)
3. Badhawar (Hissar)
4. Lehrian (Hissar)

Middle to High

1. Aherwan (Hissar)
2. Daboda Kalan (Rohtak)
3. Baroda (Girls) (Sonepat).

STATEMENT-III

The criteria fixed for upgrading of schools is as under :-

	Primary to Middle	Middle to High
1.	**Building**	
	8 Class Rooms	10 Class Rooms
	1 Office Room	1 Office Room
	1 Store Room	1 Store Room
	1 Science Room	2 Science Rooms
		1 Staff Room
2.	**Land**	
	5 acres (ineluding playground)	8 acres (ineluding playground)
3.	**Enrolment**	
	150 (Average enrolment of last six months)	300 (Average enrolment of last six months)
4.	**Distance from Middle/High/Higher Secondary Schools**	
	3 Miles	5 Miles
5.	**Minimum population of the village/town**	
	1000	2000

In case any Gram Panehayat is desirous of getting

its school upgraded on contribution basis, they have to deposit in the Government Treasury the following amount. This amount is on account of expenditure on staff and other equipment for two years :-

1. Primary to Middle Rs. 51,690/-

2. Middle to High Rs. 69,212/-

Issuing of Sugarcane Supply Chits

137. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government has received any complaint or information regarding discrimination in issuing sugar-cane supply chits against Cooperative Sugar Mills authorities of Karnal and Panipat; if so, the nature of the complaints and the action taken thereon; and

(b) whether District Grievances Committee, Karnal considered this matter in its meeting held on 9-2-1978; if so, whether any remedial steps have been taken; if so, the nature thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) सहकारी चीनी मिल पानीपत के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती । परन्तु उपायुक्त, करनाल को करनाल सहकारी चीनी मिल के गन्ना उत्पादक सदस्यों से बराबर चिटें न बांटने बारे छरू शिकायतें प्राप्त हुई बताई गई हैं । ये

शिकायतें करनाल मिल के प्रबन्धक निदेशक को शिकायतकर्त्ताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु भेज दी गई थीं ।

(ख) हां । किसानों को अब प्रतिदिन मिल प्राधिकारियों द्वारा बाद दोपहर डेढ़ बजे से साढ़े तीन बजे तक उनके गन्ना लेखों को देखने की आज्ञा दी जाती है । यदि चिट जारी करने में कोई त्रुटि मिल प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है तो किसानों की शिकायतों को दूर किया जाता है ।

Memorandum from Live Stock Assistants

138. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) whether the Haryana Live Stock Assistant/Assistants have submitted any memorandum recently to the Government in regard to the pay scales and lack of chance of promotion; if so, when and a copy of the memorandum be laid on the Table of the House; and

(b) whether Government has given thought to the demands made in the memorandum; if so, the result thereof ?

विकास एवं पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(क) जी हां । ज्ञापन 2 8— 1 0— 77 को सरकार को प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) जी हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

ज्ञापन

विषय : –पशुधन सहायकों व पशु औषधको की वेतन वृद्धि के लिए ज्ञापन ।

आप जैसे समाजवादी विचारक अपेक्षित समाज के हितों के संघ रक्षक की सेवा में विनर्म प्रार्थना कर न्याय पूर्ण व्यवहार की आशा रखते हुए यह ज्ञापन प्रस्तुत करने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है ।

हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रान्त है तथा पशुपालन यहां का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है जो किसी अन्य प्रान्त की तुलना में सर्वप्रिय है यदि संसार में हरियाणा की ख्याती एं तो केवल इमके पशुधन व रण बांकुरे शूर वीरो के कारण है जितना सम्मान हरियाणा प्र को अपने उत्तम पशुधन के कारण मिलता है उतना किसी भी अन्य प्रान्त को नहीं मिलता ।

परन्तु हरियाणा पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक व पशु औषधक वर्ग के कर्मचारियों जिन को किंगपिन आफ दा डिपार्ट मैट व विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता हए की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है । पशुपालन विभाग हरियाणा के वास्तविक कार्य का 80 प्रतिशत कार्यभार पशुधन सहायक व पशु औषधक के कन्धों पर है इसी कारण इस वर्ग को विभाग की रीढ़ की हड्डी व किंगपिन अ औंफ दा डिपार्टमैंट की संज्ञा दी जाती है । पशुपालन

विभाग द्वारा जितना कार्य किया जाता है कि सफलता में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

पशु चिकित्सालयों, सधन पशुधन विकास परियोजनाओं जरसी संकर पर जनन, प्रोजनी सन्तती केन्द्र, मूलग्राम योजना, कुक्कुट विस्तार योजना राजकीय पशुधन फार्म, भेड व 0न विकास परियोजना, आवारा पशु पकड़ व ग0शाला विकास पशु शीतला उन्मूलन परियोजनाओं की सफलता में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसी वर्ग का है । सत्य तो यह है कि अनुसंधान विशेषज्ञों के शोध कार्यों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित कर इसका लाभ कृषकों व पशु पालकों तक पहुंचाना इसी वर्ग का कार्य है । विपरीत परिस्थितियों में भी हम इस कार्य को सफल बनाते हैं ।

जिस कार्य को स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दक्ष अधिकारी ही कर सकता है वह तो हमारा प्रतिदिन का विषय है जैसे कैस्ट्रेशन, स्ट्रीलीटी टरीटमैन्ट व कृतिम गर्भादान इत्यादि । यह सब कार्य हर प्रकार के साधन अभाव व प्रतिकूल ऋतु व वातावरण व दुर्गम परिस्थितियों में भी किये जाते है । इसलिये हमारा मुकाबला किसी भी तृतीय श्रे पी के कर्मचारी वर्ग से नहीं किया जा सकता । विशेषतरू स्वास्थ्य विभाग के फार्म– सिसटों से जिनको ऋतु अनुसार पंखे की ठण्डी हवा, हीटर, रिहायशी मकान बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हें तथा अवकाश प्राप्त होने पर भी अपनी रोजी कमाने के 'लिये लाईसैन्स मिल सकता है तथा रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर के तौर पर कार्य

करने की सुविधा प्राप्त होती है जबकि हमें कोई ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है ।

बिडिंग अभियान के दौरान सारा दिन पशुओं के चोनों में जाकर कृतिम गर्भ– दान करना, महामारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए वर्षा व कीचड़ में धसते हुए पशुपालक के घर व खेत तक पहुंच कर पशुओं की लाते व सीगों की चोटें खा कर टीका लगाते हैं । पशु पकड़ व पशु शीतला उन्मूलन कार्य करने वाले न तो अपने बच्चों को साथ रख सकते हैं और न ही अपने पत समय पर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि 10 दिन यहां और 10 दिन आगे, हर समय बिस्तर सिर पर रहता है ।

इस बारे में परिश्रम का पारितोषिक यह है कि रुपये 130– 5– 160/ई.बी. 5– 200 के वेतनमान में केवल 14 वर्ष के सेवा काल में वेतनमान के अन्तिम चरण पर पहुंच कर निराश हो जावें । पदोन्नति का अवसर तक नहीं जबकि एक लिपिक ग्राम सचिव, पटवारी, पुलिस का सिपाही आदि एक के बाद एक पदोन्नति पाकर राजपवित अधिकारी के पद तक पहुंच जाता है तया पशुधन सहायक व पशु औपधक केवल 14 वर्ष के सेवा काल व 32 वर्ष की आयु में ही निराश होकर बैठ जाता है जबकि उस का सेवा काल अभी 2 3–2 6 साल का बकाया रहता हए ।

भौतिकी एवं रसायन शास्त्र के साथ प्रथम श्रेणी मैट्रिकूलेशन एक वर्ष का खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करैंने के पश्चात्

हमारा वर्तमान मूल वेतनमान रुपये 13 0– 5– 160/ ई.बी. 5– 200 है जबकि इसी विभाग में कार्य कर रहे केवल मैट्रिकूलेट मिल्क रिकार्डर व प्रगति सहायक को भी यही वेतनमान प्राप्त है जिसके लिये कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता । पशु पालन विभाग मे ही बूल ग्रेडर मैट्रिक के पश्चात् विभागीय खर्च पर केवल 9 मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रुपये 13 0– 10–280/ ई.बी. 15– 400 के वेतन– मान में हैं जबकि उनका कार्य न तो हमसे महत्वपूर्ण है और न ही कठिन ।

पशु चिकित्सक सहायक सरजन जिनकी पदनाम संशोधन के बाद अब पशु चिकित्सक सरजन कहर–थाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है व हमारे वेतनमान का अनु– पात आरम्भ से ही 50 प्रतिशत व इससे भी अधिक था परन्तु दुर्भाग्य वश हमें इस समय उनके मुकाबले में केवल 37 प्रतिशत पर छोड़ा जा चुका है जो कि हमारे साथ आघात है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

हड़ताल के कारण

कोई संशोधन नहीं ।

क्रमांक	वर्ष	पशु चिकित्सक सरजन	पशुधन महायक/पशुऔषधक

		रुपये	रुपये
1.	1938	60-4-100-120	30-1-40 2-60
2.	1955	100-10-300	55-3-70-4-96-5-120
3.	1957	150-350	75-5-100/5-125
4.	1964 हड़ताल के कारण	200-450	कोई संशोधन नहीं ।
5.	1969	300-550	130-5-160/5-200
6.	1970 हड़ताल के कारण	350-800	कोई संशोधन नहीं ।

जब भी कोई वेतन वृद्धि का समय आया हमारे हितों को कुचला गया जबकि शिक्षण योग्यता या प्रशिक्षण काल में पहले वाला ही अनुपात बना रहा ।

अत. यह संघ आपसे प्रार्थना करता है कि –

(1) वेतनमान संशोधन हमारा वर्तमान वेतनमान संशोधित करके रुपये 13–5– 160 / 5– 200 से बढ़ा कर रुपये 200–10– 300/ई.बी. 5– 450 व सिलैक्शन ग्रेड रुपये 200–10– 300 से रुपये 350–15– 500/20– 600 कर दिया जावे जो कि

वर्तमान 10 प्रतिशत की बजाये 33– 1/3 प्रतिशत को उपलब्ध हो ।

(2) पदोन्नति. पशुधन सहायक व पशु औषधक लगभग 3 0– 35 वर्ष सेवा करके इस पद रूप में अवकाश प्राप्त हो जाता है इसलिए पशुधन सहायक व पशु औषधक की पदोन्नति के लिये पद उपलब्ध किये जावें तथा हमारी पदोन्नति डेरी एक्सटैन्शन एसिसटैन्ट सीमन प्रासैसिंग टैक्नीशियन टैक्नीकल एसिसटैन्ट फीडर से. आई. इन्सपैक्टर व एक्सटैन्शन आफिसर के रूप में की जावे तया वर्तमान पदनाम पशुधन सहायक व पशु औषधक को जो भी सरकार उचित समझे एक कर के वैटरनरी एसिसटैन्ट या एनीमल हसवेन्डरी एसिसटैन्ट रख दिया जावे क्योकि दोनों वर्गो का कार्य एक जैसा ही है तथा शिक्षण व प्रशिक्षण काल एक ही है ।

अन्त में हम आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उचित पग उठा कर लगभग 1300 चिर अपेक्षित कर्मचारियों की आशाओं को पर– फुलित करके आप हम पर ऐहसान करेगें जो कि आप की. न्याय प्रियता का ज्वलन्त उदाहरण होगा ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

श्री देवेन्द्र शर्मा : ...

Mr. Speaker : You should have made a request

before in writing. जैसे सभी करते हैं वैसे आपने करना था ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : .....

श्री अध्यक्ष : लेकिन कुछ कायदा तो फालो करना चाहिये, Please give notice

श्री देवेन्द्र शर्मा : ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह गल्त बात है .....(शोर)

श्री शमशेर सिंह : .....

श्री अध्यक्ष : कल मेरे पास एक काल अटैनशन मोशन आया था इस करनाल इलैक्शन के बारे में, वह मैंने रिजैक्ट कर दिया है ।

श्री शमशेर सिंह : ..... (शोर)

Mr. Speaker : We have agreed to a procedure. No more arguments please.

श्री शमशेर सिंह : ..... (शोर)

Mr. Speaker : No arguments. Otherwise, I will withdraw this concession which I gave two days ago.

श्री शमशेर सिंह : .....

Mr. Speaker : It is not fair. All that is being said without my permission is expunged. Whatever you said is all

expunged.

श्री शमशेर सिंह : .....

Mr. Speaker : I am sorry. It is all expunged.

श्री शमशेर सिंह : .....

Mr. Speaker : It is unfair. (Interruptions)....

श्री शमशेर सिंह : .....

Mr. Speaker : Very unfair.

Rao Birender Singh : May we know the reasons for rejection by the Chair ?

Mr. Speaker : I have given the reasons in writing. The reasons are there.

Rao Birender Singh : The House may also be taken into confidence..

Mr. Speaker : No. If you remember we went into this matter. The Business Advisory Committee went into it and although it is not allowed in the Parliament, I have done so on a special request by the opposition members and I have fulfilled my promise. You should stand by your promise.

श्री शमशेर सिंह : लेकिन स्पीकर साहब, उसमें यह फैसला हुआ था कि उसके कन्टेटस हाउस में रखे जाएगे ।

Mr. Speaker : No, only subject.

श्री शमशेर सिंह : अगर हाउस की समझ में न आए कि सम्बैक्ट क्या है ... (शोर).....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि वह करनाल इलैक्शन के बारे मे था.. (शोर)

श्री शमशेर सिंह : करनाल इलैक्शन में क्या हुआ था यह मैटर तो अला चाहिये ... (शोर)..

Mr. Speaker : No, only subject. Please read the books relating to the Rules and Procedure on the subject. I have read the ruling of mine given in the House yesterday. It is not fair (Noise). मैं बता रहा हूं.. (शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : .....(शोर)... ....

Mr. Speaker : Please sit down. This is not fair (Interruptions) I will withdraw that concession if you get up again. (Interruptions) This is not fair.

चौधरी संत कंवर : .....

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : .....

Mr. Speaker : It is all expunged. Whatever you say, nothing will come on record.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : .....

Mr. Speaker : I tell you that nothing will come on

record.

चौधरी बीरेन्द सिंह : .....

Mr. Speaker : Please sit down. (Interruption) Don't you listen to me. You should have discipline. It is not fair.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : .....

Mr. Speaker : Please sit down. Otherwise, I will name you.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : .....

Mr. Speaker : I name the hon. Member.

बहिर्गमन

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिये हम प्रोटैस्ट करते हैं और वाक आउट करते हैं..... (शोर)....

राव बीरेन्द्र सिंह : यू तो हम सारे चले जाते हैं.... (शोर).....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी नयी है । You are breaking your agreement.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चेयर को मैंबर्ज की फीलिंग्ज का ख्याल रखना चाहिये... ...

श्री अध्यक्ष : मैंने खुब ख्याल किया है । We arrived at an agreement and that is being broken now. Yesterday, I read the ruling. I said that only subject will be mentioned. You hadall very kindly agreed to it and now he is waving the poster. It is not fair.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : ....

Chaudhri Birender Singh : *********

Dr. Mangal Sein : ************

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : ....

Mr. Speaker : It is all expunged. What is being said without my permission is all expunged and will not come on record.

राव बीरेन्द्र सिंह :. ....

श्री अध्यक्ष : मैने इसका जवाब दिया हुआ हैं..... (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : ....

Mr. Speaker : Order please. Let me make an observation. The point is that the procedure about call attention notices was discussed in the meeting of the Business Advisory Committee some days ago. The system/procedure in the Parliament is that many call attention notices are received and those which are accepted are read out in the House by the

hon. Members. Those which are rejected are not even read. But, as a concession, I had said that if the member concerned whose call attention motion was rejected wanted to raise the matter in the House-at the appropriate time, I will mention that the call attention motion on such and such subject was rejected. We should abide by that agreement. It is my request.

राय बीरेन्द्र सिंह : रिजैकशन के रजिन्ज तो हाउस को बता दिये जाएं. (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह दिये हुए है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात यह है कि अगर सरकार के पर इलजामात हो तो उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिये न कि चेयर सरकार की तरफ से उसको रोक दे और मैबरों को मांका ही न दे । मैं यह अर्ज' करूंगा कि आप कम से कम सरकार को अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिये..(शोर)

Dr. Mengal Sein : This is a reflection on the Chair. It is wrong.

श्री अध्यक्ष : देखिये, जब काल अटैनशन नोटिस आता है तो

the Speaker has the power to consider it and then to accept or reject it. In this case I have given the ground. Why don't you follow the practice which is made by the House. These Rules of Procedure have been made by you and the House. After all you must follow those rules.

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन स्पीकर साहब, ग्राउंडज तो देनी चाहिये.. (शोर)

Mr. Speaker : It is too much.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, सरकार ने वहां हरिजनों के साथ जो कुछ किया है उस कारण हम वाक आउट करते हैं.... (शोर)...

(इस समय सर्वश्री शमशेर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, राव वीरेन्द्र सिंह, राव दलीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, बीरेन्द्र सिंह, मांगे राम गुप्ता तथा नारायण सिंह सदन से उठ कर चले गए)..... (शोर)....

Mr. Speaker : Order please.

ध्यानाकर्षण सूचनाये (पुनरारम्भ)

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, बड़ा खेद है कि पिछले वर्षों में इस सदन में एक प्रथा बना दी कि अगर अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है तो सदन में उसका उल्लेख तक नही होगा । यहां ट्रेजरी बैचों से भी यह बात आई और अपोजीशन के माननीय मित्रो ने भी यह बात कही थी ।

आपने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी उसमें आपने यह चर्चा का विषय रखा और मेंने संसदीय कार्यो का मंत्री होने के नाते स्वीकार किया कि ध्याना– कषंथ प्रस्तौ का

विषय बेशक आप स्वीकार न करें तो भी उसमें आप उल्लेख कर देये । आप प्रोसीडिंग्ज देख लीजिये । उसमें मेरे मोहतरिम दोस्त शामिल थे जिन्होंने काक अल्लट किया है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो साहेबान इस फैसले में शामिल हुए और उसके बाद उससे फलाउट करते हैं तो उसका क्या किया जाए? क्या उस फैसले को रिवर्स किया जाए । मैं महीं चाहता कि इसको रिवर्स किया जाए लेकिन मैं यह जरूर' चाहता हूं कि जनता को इस बात का पता लगना चाहिये । मुझे अफसोस है कि वे सपने वायदे से मुकर गये हैं ।

Mr Speaker : I agree entirely with the Minister of Parliamentary Affairs that the agreement agreed between us has been broken. Normally, for the last four/five years any call attention notice which was rejected by the Speaker was never read or mentioned in the House. As a concession, we had agreed that if the member concerned gets up, I will mention his name and the subject of the notice. They had agreed to follow this. If they continue to do it, we may think of withdrawing it. It is rather unfortunate.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, ये जो हाउस के रूल्ज हैं these should not be applied with such rigidity as Army rules. This is my submission.

Mr. Speaker : There is no question of Army rules. These are actually your rules. Why do you make a rule which, you call an Army rule. It is not fair. You are a senior member.

Hon. Members, I am glad to inform the House that Swami Aditya flesh, M.L.A. has broken his fast this morning (Cheers) and he is satisfied. The hon. Members who had given notice of the call attention motion have also written to me withdrawing the notice. Naturally, the matter is dropped.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, यह चन्द आदमियों ने आपको लिख करदिया होगा, सब ने नही दिया ।

श्री अध्यक्ष : मैजोरिटी ने दिया है । जैन साहब मेरे पास दस्तखत हैं, मैं आपको चिक सक्ता हूं (शोर) I can show you. मैं आपको दिखा दूंगा ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, यह आपने जो कहा है कि मैजोरिटी ने विदड्रा किया है.....

श्री अध्यक्ष : 27 में से 17 नाम हैं ।

Now, Secretary to make some announcement.

सचिव द्वारा घोषणा

वर्ष 1977–78 के लिए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की नौवीं रिपोर्ट की एक टाईप की हुई प्रति सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में ।

सचिव : मैंने सदन को सूचित करना है कि वर्ष 1977–78 के लिये सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति की नौवीं रिपोर्ट सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के चेयरमैन द्वारा 27 मार्च,

1978 को स्पीकर साहब को पेश की गई क्योंकि विधान सभा की बैठक समिति की पदावधि खत्म होने अर्थात 31 मार्च, 1978 से पहले नहीं होनी थी, स्पीकर साहब ने इसे सदन में पेश किए जाने के बाद इसको छपवाने तथा परिचालक करने का आदेश दिया है क्योंकि समय की कमी के कारण उक्त रिपोर्ट छपवाई नहीं जा सकी । अब मैं नौवीं रिपोर्ट की एक टाईप की हुई कापी सदन की मेज पर रखता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker : I report the time table fixed by the Business'Advisory Committee in regard to various business.

The Business Advisory Committee, after some discussion, recommended that for the Bills entered in the List of Business for the 4th April, 1978, i.e. today, the time be allotted as under:—

	Time allotted
1. The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1978.	One hour
2. The Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1978	One hour
3. The Punjab Village Common Lands	Half-an-hour

(Regulation) Haryana Amendment Bill, 1978.

4. The Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, 1978. Half-an-hour

5. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1978. One hour

6. The Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill, 1978. Half-an-hour

The Committee further recommended that the Third Report of the Business Advisory Committee be presented to and adopted by the House en the 4th April, 1978, after the Question Hour.

The Committee further recommended that on the 5th April, 1978, the House shall meet at 9.00 a.m. and transact the following business-

1. Question Hour.

2. Obituary References.

3. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

4. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Assembly Sine-die at its rising on 5th April, 1978.

5. Papers/Reports to be laid on the Table, if any.

6. Legislative Business-

	Bill	Time allotted
	(Bills included in the List of Business for 4th April, 1978, and not concluded/passed on that day to be taken up on 5th April, 1978.	—
(2	he Punjab Labour Welfare Fund (Haryana mendment) Bill, 1978.	Half-an-hour
(3)	The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1978.	One hour
(4)	The. Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provision (Banks) Amendment Bill, 1978.	Half-an-hour
(5)	The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1978.	One hour

It was also felt that Members have spoken quite a lot on various bills. I would request that those Members who

have given amendments may get the first opportunity and the time limit is three to five minutes.

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

श्री मूल चन्द जैन : मैं आपकी सेवी में अर्ज करना चाहता हूं कि दो बिलों के बारे में मुझे खबर मिंत्री कि ये बिल मूव होंगे । अभी तक हाउस में वे सर्कुलेट हुए है या नहीं, यह मुझे पता नहीं । एक है हरियाणा एग्रीकल्चर क्रैडिट आपरेशन्ज दैट मिसलेनियस प्रोवीजन्ज (बैक्स) अमेडमैंट बिल, 1978 और दूसरा है हरियाणा सीलिंग आन लैड होल्डिंग्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1978 । अभी मेरे नोटिस में ये बिल नही आये हैं और इनकी सूचना भी आज ही आई है कि ये बिल टेक–अप होगे ।

Mr. Speaker : Please take your seat

श्री मूल चन्द जैन : मैं एक मिनट में खत्म कर देता हू । जो कल बिल थे उनको मैंने दो तीन लाइयर्ज की लाइब्रेरी में पता करने की कोशिश की लेकिन वे वहां नही मिले, विधान सभा

की लाइब्रेरी में भी नहीं मिले । अगर अमैंडमैंट इस तरह से आयेंगी तो कैसे काम चलेगा टाईम भी रखा है और सर्कुलेट भी वक्त पर नहीं हुए, नोटिस वक्त पर नहीं आये (व्यवधान)

Mr. Speaker : The Minister concerned may like to say a few words. He says that he, has not received some bills till today.

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : यह दिन आज के लिंए नहीं, कल के लिए हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : कल के लिए हैं तो फिर भी रुल्ज आफ बिजनैस कें मुताबिक पेश होने का नोटिस होना चाहिये और कम से कम 5 दिन का नोटिस देना चाहिये । (विघ्न)

डाक्टर मंगल सैन : हमें इनकी काबलियत पर भरोसा है, यह रात–रात में स्टडी कर लेंगे । (विघ्न)

Mr. Speaker : I will make one observation. I will request that enough notice may be given to the members.

श्री मूल चन्द जैन : आप तो जानते हैं कि 5 दिन का नोटिस चाहिये।

Mr. Speaker : But they were all very busy. You know, where ?

श्री मूल चन्द जैन : अगर इस तरीके से हाउस का काम चलायेंगे तो...

Mr. Speaker : I will consider this matter, talk to the Minister for Parliamentary Affairs and then give an answer.

श्री बलदेव तायल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक अर्ज करनी है क्योंकि अभी तक कुछ बिल सरकुलेट नहीं हुए हैं । (व्यवधान) कानून बनाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है । सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विधान सभा के सदस्यों के पर है क्योकि इन्होंने देखना है कि कानून ठीक बना है या नहीं बना है, इन से जनता की वह बूदी होती है या नहीं होती । यह बड़ा सीरियस मामला है और मैं आपसे दरख्वास्त करुंगा कि बिल के मामले में एम्पल टाईम दिया जाए और दूसरी बात यह कि बिल मेम्बरों को समय पर दस्तयाज होने चाहिएं ।

Mr. Speaker : I will discuss the matter with the Minister for Parliamentary Affairs and I will give my decision.

Shri Baldev Tayal : Mr. Speaker, sir, I have again and again requested you also in the Chamber That kindly look into this matter that we are not being supplied the Bills in time. What can we do without the Bills ?

Mr. Speaker : Bus, no-exaggeration. Only once you mentioned to me today.

Shri Baldev Tayal : Twice.

Mr. Speaker : Alright, twice but not again and again.

Shri Baldev Tayal : Even today I requested to you about that but I do not know what is being done.

Mr. Speaker : I have said, I will do something about it.

चौधरी रिजक राम : अभी अभी काल अटैन्शन मोशन के बारे में आपने औब्जर्वेशन फरमायी थी कि कुछ एग्रीमैंट हैं, कुछ रुल्ज हैं और उन रूल्ज को फौरी तोर पर लागू करना चाहिये, मैम्बर्ज को उन्हें मानना चाहिये । जहां तक मैम्बर्ज के अपने राईट्स का सवाल है, वहां भी आपको इतना रिजिड होना चाहिये । मैम्बर्ज के राईट्स ट्रैम्पल–डाउन हो जायें, बिल सरकुलेट ही न हों तो आप नरमाई से काम लेते हैं । हम आपसे थोड़ा बहुत कंसैशन चाहते हैं, अगर आप इस पर विचार करें तो ठीक रहेगा ।

Mr. Speaker : We had enough, I think.

Shri Baldev Tayal : Mr. Speaker, at page 71 of the Rules of Business published by the Government or by the Vidhan Sabha Secretariat there is a definite provision about circulating the Bills.

Mr. Speaker : Actually, hon. Members, I had brought this to the notice of the Government long time ago. But it appears that this time the Government was busy and, I think, there has been a lapse on this score. I have already said that I will go into this matter with the Minister concerned and try that you get due notice in future.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, हमने बिल पर अमैंडमैटं भी देनी होती हैं । दो दिन पहले अगर अमैंडमैंट का नोटिस न दे तो आप का आफिस स्वीकार नहीं करता। आज भी मैंने अमैंडमैंटस भेजी थी लेकिन अभी तक सरकुलेट नहीं हुई और इन दो बिलों पर कैसे अमैंडमैंट भेज सकते हैं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह ठीक फरमा रहे हैं कि अमैंडमैंट्स दो दिन पहले आयी चाहिये । सिफ' एक अमैंडमैंट 5 मिनट पहले रिजैक्ट की है, बाकी सब जितनी भी आई थीं वह एक घंटे में मैंने एक्सैप्ट की हैं हालांकि दो दिन पहले आनी चाहिएं थीं ।

Shri Baldev Tayal : But there is no justification for accepting those amendments two hours earlier. There is also no justification on the part of the Government for not circulating the Bills.

Mr. Speaker : I have told You that I will take up the matter with the Government.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, आपसे तगड़ी रिक्वैस्ट है? यहां जो कानून बनना है उसने सारे हरियाणा की किस्मत का फैसला करना है लेकिन बोलने पर टाईम लिमिट लगा दो जाती है । बोलने वालों को टाईम मिलता ही नहीं । हरमैम्बर्ज का फर्ज बनता है कि वह कानन का पोस्ट मार्टम करे, मगर टाईम ही नही मिलता कैसे देश क्य सुधार होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी हाउस में ए क घंटे मे, एक दिन मे 17 बिल पास हुए हैं (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र शर्मा : वे दिन गए.... (व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat. It is not right.

कामरेड शंकर लाल : शंकर लाल का तो आपने नाम ही काट दिया है बोलने वाल की लिस्ट में से. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शंकर लाल जी आप किस बात पर बोलना चाह रहे हैं।

Shri Baldev Tayal : I must bring to your notice that the Bills should be circulated to the members in time so that they may study them and participate in the discussion. What can we do without the Bills ?

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले भी अर्ज की थी कि मैंने यहीं पर देखा है कि एक–एक दिन में 17– 17 बिल पास हुए हैं लेकिन यहां उस रोज आपके कहने से the Government agreed to give three days extra and that is why this session was called. (Interruptions) Please take your seat. Why cannot you allow me to complete this ? Now, there were eight Bills and we gave three days. Two more have been added. I was not very happy about that either. I have said, I will discuss the matter with the Minister concerned. I have seen what the hon. Members want and I will do my very best to do what you have suggested.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, आपकी अश्योरैन्स का तो मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं मगर आपने जो यह कहा कि इसी हाउस में एक एक दिन में 17– 17 बिल पास हुए है इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या उन कुकर्मों को जिसके के आप भी शिकार रहे, हम दुबारा यहां रिपीट करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : वही तो कहा है कि नहीं करने देंगे ।

Shri Baldev Tayal : Mr. Speaker, sir, I must remind you that those days were very dark. I will end with this remark.

Mr. Speaker : I agree.

Chaudhri Rizaq Ram : You have been very considerate in assuring the members that you will discuss the matter with the Minister for Parliamentary Affairs. स्पीकर साहब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज के मिनिस्टर तो हमेशा इस बात के लिए लडते रहे हैं । मैं तो यह महसूस करता हूं कि जो बिल इस सैशन में टाइमंत्री सरकुलेट नहीं हुए वे अगरों सैशन में हो जाएंगे ।

Mr. Speaker : I will let you know tomorrow.

Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory

Committee.

The motion was carried.

रिपोर्टस पेश करना

(1) लोक लेखा समिति की 12 वीं रिपोर्ट

Rao Dalip Singh (Member, Public Accounts Committee) : Sir, I beg to present the Twelfth Report of the Public Accounts Committee for the year 1977-78.

(2) प्राक्कलन समिति की 10 वीं रिपोर्ट

Chaudhri Birinder Singh (Member, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Tenth Report of the Estimates Committee on the Budget Estimates for the year 1977-78.

मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House the Election Commission of India's notification No. 282/1/HR/77, dated the 2nd March, 1978, regarding the alteration in the description of certain Constituencies given in Schedule VII of the Delimitation of Parliamntary and Assembly Constituencies Order, 1976, as required under Section 9(2) of the Representation of the People Act, 1959.

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair).

दि पंजाब शूगरकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Mr. Deputy Speaker, I beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Punjab Sugareane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल कों लाने की आवश्यकता इसलिये महसूस की गई कि कानन मे कुछ ऐसे पावजिज थे, लकूनाज थे जिनको दूर करना जरूरी था । मिसाल के तौर पर लाइसैन्सी सिक्योरिटो जमा कराता है । केन कमिश्नर को अख्तियारात है कि वह उस सिक्योरिटी को फोरफिट भी कर सकता दै और उसकी रिटर्न को डैफर भी कर सकता है । कई केसिज में ऐसा महसूस किया गया कि इस प्रकार से लोगों के साथ काफी हार्डशीप हो जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, ऐग्रव्डि वर्सन को कोई राईट आफ अपील भी नहीं था । इसलिये सरकार चाहती है कि ऐसे केसिज मे राईट आफ अपील दिया जाए और इसी वजह से इस बिल में प्रोविजन किया गया पैं कि राईट आफ अपील टू दी गवर्नमैंट होगा । इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब शूगर केन कोई प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और उसकी बढ़ौतरी

के कारण शूगरकेन को कन्ट्रोल करने के लिये, रैगुलेराइज करने के लिये सरकार का खर्चा बढाता जा रहा है । इसलिये यह भी फैसला 1इकया गया है कि परचेज टैक्स अगर सरकार उन हालात में बढ़ाना चाहे तो डेढ़ से दो परसैन्ट कर सकती है लेकिन यह एक ऐनेबलिंग प्रोविजन गै क्योंकि कोई फैसला कहीं किया गया है कि सरकार दो रूपये तक परचेज टैक्स बढ़ा सकती है । यह भी महसूस किया गया कि गन्ने के ग्रोअर्ज को कई दफा शूगर फैक्टरी पेमैन्ट नहीं करती । पहले जो इंट्रैस्ट फैक्टरीज को पे करना पडता था शूगर क्ये प्रोड्यूसर्ज को उसकी शरह 12 प्रतिशत रखी गई थी परन्तु यह महसूस किया गया कि जो बैंकस हैं उनका रेट आफ इंट्रैस्ट अधिक है और फैक्टरीज कई दफा उस पैसे का दुरुप– योग करने के लिये उसे बैंक मे जमा करके अधिक ब्याज कमाती है और ग्रोवर्ज को 1 2 परसैन्ट पैनल्टी या ब्याज देती रहती है । इसलिये ब्याज की शरह 1 5 प्रतिशत की गई है ताकि ग्रोअर्ज को किसी किस्म की भी वसूली करने में कोई असुविधा न रहे उपा– ध्यक्ष महोदय, यह भी महसूस किया गया कि खांडसारी जो यूनिटस हैं, उनके पर भी अगर सरकार परचेज टैक्स लगाने की सोचे तो उसके लिये भी इसमें प्रोविजन किया जाए। अन्त में यह भी सोचा गया कि जो फैक्टरीज या खांडमारी यूनिटस सरकार के फैसले की अवहेलना करते हैं उसके लिये जो ऐक्ट में पैनल्टी प्रोवाइडिड थी वह डनऐडिक्वेट थी, इनसफिशिएंट थी । इसलिये उसको ज्यादा डैटरैन्ट बनाया गया ।.. (विघ्न).

इसी वजह से यह प्रोविजन इस बिल में लाया गया कि जो फैक्टरीज या खांडसारी यूनिटस सरकार के फैसले की अवहेलना करे और गन्ना ग्रोअर्ज के हित के खिलाफ कोई कार्य करे तो उन हालात में उनको कुछ डैटरैन्ट पनिशमैंट दिया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into eonsideration at once.

चौधरी हर स्वरूप बूरा (मेहम) : उपाध्यक्ष महोदय । शूगर केन की परचेज और सप्लाई को रैगुलेराईज करने का जो अमैंडिंग बिल हाउस के सामने पेश है उसकी पुरजोर ताईद करने के लिये मैं खड़ा हु आ हूं लेकिन इसके साथ–साथ मैं अपने एक–दों सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हू । उपाध्यक्ष महोदय, मं ली महोदय के बोलन के बाद मैं नही चाहता कि उन विषयों के पर दुबारा दो ला जाए लेकिन इस ऐक्ट के तहत तुक प्रोविजन है कि रिजर्वड ए रिया के अन्दर जो गन्ना प्रोड्पूसर्ज हैं उनको बाउन्ड कर दिया जाता है कि मिल इतना गन्ना जरूर लेगा परन्तु उपाध्यक्ष महोदय जब मिल इस कैपेसिटी में होता है कि वह गन्ना उतना पूरा कश नहीं कर पाता तो वह गन्ना अपनी मर्जी से उठाता है । उस वक्त किसान की ऐसी हालत होती है कि न तो वह इस हालत ने होता है कि वह अपना गन्ना पेलने के लिये कोल्हू या किसी दूसरे साधन का बंदोबस्त कर सके और न मिल

उस गन्ने को लेता है । किसान ऐसी हालत में दुविधा में पड़ जाता है कि वह उस गन्ने का क्या करे। तो मेरी सरकार से यह गुजारिश है और सुझाव है कि उस रिजवर्ड एरिया में जिसके अन्दर गन्ने को बाउन्ड किया जाता है, यह भी लिमिट लगाई जाए कि एक प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा कितना गन्ना उगा सकता है और मिल इतना गन्ना उससे हर हालत में लेगा चाहे मिल का टाईम एक महीना, पन्द्रह दिन या दस दिन और रचना पड़े । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हू कि यह जो रिजर्वड एरिया की लिमिट 10 मील रखी है इससे भी कुछेक किसानो को जो इस एरिया मे पड़ते है बैनिफिट होता है लेकिन जो बेचारा, भोला, मेहनतकश किसान 11 मील और 12 मील पर बैठा है वह देखता ही रहता है कि उसका गन्ना किसी भाव मे भी नही जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय यह बात माननी पड़ेगी कि आज गन्ने की हालत बुरी है और इसी– लिये लोग मिलों की तरफ आंख लगाये देख रहे है । लेकिन एक बात मैं जरुर कहूंगा कि जो शूगर मिल लगाये जा रहे है, वे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये लगाये जा रहे हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस लिमिट को दस मौल की बजाए 20 मील तक किया जाये । ऐसा मेरा सुझाव है ।

एक मेरा सुझाव और भी है, उस पर भी सरकार को विचार कर लेना चाहिये । रिजर्वड एरिया के अन्दर कोई भी व्यक्ति बगैर लाईसैसं बनवाये कैशर नहीं लगा सक्ता है और लाइसैसं

बनवाना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि शूगर मिल वाले सोचते है कि अगर हम ज्यादा लोगों को रिजर्वड एरिया मे लाइसेस देंगे तो हो सकता है हमारा बाउन्ड गन्ना कम हो जाये । मैंने यह पहले भी कहा है गन्ना तो बाउन्ड कर लेते हैं लेकिन उसको लेते नहीं है । शूगर मिल अपने फायदे को तो देखता है लेकिन किसानों के फायदा को नहीं देखता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो लोग भी कैशर लगाना चाहे उनको जरूर जाये । जो भी लोग लाइसेंस के लिये अप्लाई करते हैं उनको लाइसैसं दिया जाये ।

एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने घर के लिये पांच या दस मन बाड निकालना चाहते है उसके पर भी पैनेल्टी का प्रोविजन है । जो किसान अपने घर के लिपे पाच या दस मन खांड निकालना चाहता है तो उस पर पैनेलटी नहीं लगायी जाये । उसको यह अख्तियार दिया जाये कि पांच या दस मन अपने घर के खर्च के लिये खांड निकाल सके ।

चौधरी शेर सिंह (मुलाना–अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय पंजाब शूगर केन अमैंडमैंट बिल हाउस के सामने कृषि मन्त्री महोदय ने पेश किया है ।

श्री मूल चन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल में कुछ संशोधन और सुझाव दिये हैं परन्तु वे अभी तक सरकुलेट नहीं हुए । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं सरकुलेट हुए?

श्री अध्यक्ष : अभी पता करके बताता हूं ।

चौधरी शेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां मैं इस बिल का स्वागत करता हूं वहां आपके माध्यम से मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि तीस साल में जनता सरकार ने गन्ना पैदा करने वालों के विषय में सोचा है आज से पहले किसी भी सरकार ने किसानों की भलाई के विषय में नही साचा था । यमुनानगर शूगर मिल ने धांधली शुरुरू कर दी वो पहली बार सरकार ने कहा है कि भाव डिटरमिन करें लेकिन इस बिल को पढ़ने से जो हमें उम्मीदें थी, वे पूरी नही हुई हैं । सैक्शन चार में जो लिखा है उसके बारे में भी अज कहना चाहता है । उपाध्यक्ष महोदय यमुनानगर में जो गन्ना खरीदने का सिस्टम है वह ऐसा है कि यू 0पी0 से आये हुए लोग अपने रिश्तेदारों को ठेका दे देते है और उन ठेकों में बड़ी हेरा–फेरी होती है । एक–एक हजार क्विटल गन्ना रोज कम तोलते है जमींदार का कम तोल कर पैसे मिल से पूरे ले लेते हैं । सरकार ने जो यह अमैन्डमैट पेश की है, इसमें जो प्रोवाइजो एड किया है कि मिल मालिक किसी एजेन्ट को एक सैन्टर पर तीन साल से ज्यादा न लगाये, इसका मतलब तो यह हुआ कि उस सैन्टर पर पांच साल में फिर भी लग सकता है । उसको 'ए' सैन्टर न दिया तो 'बी' और 'सी' दे दिया । इस वक्त शूगर फैक्टरी में जो एजेन्ट काम कर रहे है वे ज्यों के त्यों रहेंगे, कोई फर्क नही होगा । हेरा–फेरी इन एजेन्टों के थू ही करते हैं । ठेके पर सरकार की तरफ से कोई चौक भी नही है ।

सरकार की मर्जी के अनुसार ठेकेदार नहीं हैं । हमारी तो यह मांग है कि जिस प्रकार– से कनक परचेड की जाती है । वह कहीं से भी खरीदी जाये एक ही भाव होता है चाहे गोदाम में कहीं पर किसी जगह रखें चाहे सौ मील पर रखें या नजदीक रखें । इसी प्रकार से सन्टर से जो गन्ना खरीदते हैं एक तो कम तोलते है दूसरे किराये के पैसे भी डाल देते हैं । इस बिल में एक और प्रोविजन किया है जिसमें उसको कौगनैजैबल आफैन्स वना दिया एं । कोई मिल मालिक या खंडसारी का मालिक सरकार की बात नहीं मानेगा उसको एक साल की कैद या पांच हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है । इसका मतलब यह है कि चाहे तो पांच हजार रुपये जुर्माना दे या एक साल की कैद काटे । लेकिन सरकार ने इस बिल में और जोड़ दिया है । सरकार का जो मैजिस्ट्रेट है वह चाहे तो एक साल की कैद करे या पांच हजार रुपये जुर्माना करे । इस लपज की जगह पर 'एन्ड' का लपज जोड़ा जाये और लफज की यहां पर क्या जरूरत है । वह एक साल की रहकर या पांच हजार रुपये जुर्माना दे कर कितनी ही हेरा–फेरी कर सकता है । 'और' से तो सारा ही मामला साफ हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि कोई पार्टी केन कमीश्नर के आदेश से एग्रीव्ड ह तो वह अपील कर सकती है लेकिन पहले धारा 7(3) मै वह अपील नहीं कर सकती थी अब इस धारा में अपील की इजाजत दे दी है । दफा

7(3) में तो अपील की इजाजत दे दी लेकिन एक्ट की किसी और धारा के तहत कोई पार्टी एग्रीब्ड है तो उसके लिये कोई अपील नहीं है । सारी केन कमीश्नर को ही पावर है । इस बिल में यह प्रोविजन करना चाहिए था कि केन कमीश्नर के किसी भी आर्डर के खिलाफ अपील सरकार के पास जा सकती है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल. की ताईद करता हूं ।

चौधरी जगजीत सिंह गेहलू (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं 'कि यह बिल तो आपने बहुत अच्छा पेश किया है । इसमें आपने लिखा है कि गन्ने की पैदावार बहुत बढ़ रही है इसलिये सरकार को भी कुछ आमदनी करने को इजाजत दी जाये यानी टैक्स लगाने की इजाजत दी जाये लेकिन मैं वजीर साहब को बताना चाहता हूं कि जो आज हालात हो रहे हैं उस हिसाब से तो किसान लोग गन्ना पैदा करना ही छोड देंगे । मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यह बहुत अच्छा किया है कि अगर कोई शूगर फैक्टरी किसान का पैसा रख ले तो उसको 12 परसैन्ट सूद की बजाए 15 परसैन्ट देना पड़ेगा । मैं तो यह कहूंगा कि यह 15 परसैन्ट की बजाए 25 परसैन्ट करना चाहिये । उनसे ब्याज पर ब्याज लिया जाये । जमींदारों को भी दूसरे लोगों को ब्याज देना पड़ता है लेकिन इसके साथ– साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वजीर साहब भी किसान है और उनको खेती–बाड़ी की पूरी–पूरी बैकग्राउन्ड भी पता है, किसान के बेटे

हैं वे किसान की हर तकलीफ को जानते है, उन्होंने हल चला रखा है इसलिये उनको हर चीज मालूम है कि आज गन्ने की बुरी हालत है । भगौतोपुर गांव का गन्ना बाउन्ड किया हुआ था लेकिन मिल वाले उसको नहीं ले रहे हैं । वे कहते हैं कि हमारी क्रशिंग पावर नहीं है इसलिये हम नहीं ले सकते हैं । आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमीदारों का गन्ना साढ़े तीन रुपये किवटल के भाव से खांडसारी यूनिट्स ले रही हैं । चौधरी साहब बड़े अफसोस की बात है कि कैथल में लकड़ियों का भाव दस रुपये मन और 25 रुपये किवटल है तो इसका मतलब यह हुआ कि जमींदार अपने गन्ने को काट कर सुखा कर बेचे तो अच्छा है । इस प्रकार से जमीदार गन्ना फैक कर आ रहे हैं । गन्ना यों ही पैदा नही होता है । इसलिये यह जो बिल लाये हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कन्सर्न्ड अफसर और पांच सात एम0एल0एज0 की एक कमेटी मुकर्रर की जाये वह इस बिल के बारे में विचार करे । अभी हाल में इस बिल को पोस्टपोन कर दिया जाये । इस पर दुबारा गौर किया जाये । मैं हरियाणा की भलाई चाहता हूं इसलिये इसमें कुछ अमैंडमैंट्स करके दुबारा पेश किया जाये । गन्ना यों ही पैदा नहीं होता है । डिप्टी स्पीकर साहब आप भी किसान है आप भली प्रकार जानते हैं कि एक साल में गन्ना पैदा होता है । एक साल तक खेत में खड़ा रहता है । एक साल में तो किसान तीन–तीन फसल पैदा कर सकता है । गन्ना पैदा करने वाले का बच्चा–बच्चा, बेटे और बहु सभी कडकती धूप में ईखों की नलाई करते हैं, ईख को पानी देते हैं । किसान बरसात के

दिनों में सांप से नहीं डरता कुए । मौत के मुंह में जा कर रात को ईख में पानी देता है । इसलिये चौधरी साहब इस एक्ट के बनाने से पहले गन्ने का भाव बीस रुपये क्विंटल होना चाहिये ।

जिस वक्त मै राव साहब की वजारत मे मिनिस्टर बना तो सन् 1967 में मैंने गन्ने का भाव 18 रुपये क्विटल किया था और चीनी का भा व उस वक्त एक रुपया 45 पैसे किलो था और अब चीनी का भाव साढ़े चार रुपये और सवा चार रुपये किलो है । वैसे मैं इस बिल की ताईद करता हूं लेकिन साथ ही रिक्वैस्ट करता हूं कि अभी इस बिल को पोस्टपोन कर दिया जाये ताकि इसमे और अच्छी अमैंडमैंट्स लायी जाये । ये जो छोटी– मोटी बातें हैं अपील वगैरह की वह तो की जा सकती हैं । अपील तो अपने आप कर लें लेकिन इस बिल को पोस्टपोन करके और ज्यादा भाव किसानों को दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा शूगर फैक्टरीज लगायी जायें ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा (किलोई) : डिप्टी स्पीकर महोदय, यह जो बिल यहां पर आया है, शूगर केन के बारे में और दूसरे बिल जो यहां पर आयेगें, इन बिलों में केवल छोटी–छोटी सी अमैंडमैंट्स. हैं, कहीं कोलन की, कहीं संमीकोलन की तो कहीं पर फुलस्टाप लगाने की अमैंडमैंट है । दरअसल अगर देखा जाये तो पिछले जो 30 सालों में जो कि गुजर चुके हैं, लोगों के जो ख्यालात थे, जो उनके विचार थे, जितने उनके प्रोग्राम थे या जो भी उनकी पालिसी थी, दरअसल उनकी कब बन चुकी है । अब

जनता पार्टी बहुत थोड़ी–थोड़ी अमैंडमैंट्स इन बिलों के जरिए कर रही है । आज इस तरह थोड़ी–थोड़ी अमैंडमैंट्स करने से काम नहीं चलेगा । कर,. शुगर के बारे में तो मेरा कुछ ऐसा विचार है कि योअर जो है, वह अपना एक सिस्टम कायम करे । वह सिस्टम कायम करके, उसके बाद उस के बारे में एक बिल तैयार किया जाये क्योंकि दरअसल 30 साल में जो कुछ इस देश में हुआ! जो बिल बने, जो प्रोसीजर आये, वह आम– तौर पर जनता को दुखदायक साबित हुए, सुखदायक साबित नहीं हुए । इसलिये जनता को सुख देने के लिये हमे एक सिस्टम बनाना है । वह सिस्टम इस तरह से नही बनेगा । इन छोटी–छोटी अमैंडमैंट्स करदेने से काम नही चलेगा । मेरा इस बिल के बारे में यह सुझाव है कि शुगर केन योअर जो है, उनकी इस बारे में कन्सैन्ट ली जाये और उनकी कन्सैन्ट के साथ एक सिस्टम बने । इस सिस्टम को ऐसा बनाया जाये जिस तरह की यहां पर प्रथा रही है । आपको पता ही है कस्टम से ही ला बनते हैं । जब तक कस्टम को (ना नहीं बनाया गया तब तक देश में सुख नहीं मिला है लेकिन यहां पर पिछले 30 साल के दौरान में जो भी हाउस के अन्दर बिल बने हैं, उन बिलों के बारे में यहां पर कोई कस्टम नहीं रहा है । इसलिये जनता भी उनसे दु:खी रही है । इसलिये मेरा इस बिल के बारे में यह सुझाव हैकि तजुर्बे के तौर पर इस बिल के पर ही देख लिया जाय और ग्रोअर का एक सिस्टम बना दिपा जाये और अगर वह सिस्टम योअर को सूट करे तो वह

सिस्टम बना दिया जाये यह मेरा सुझाव है । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हू । धन्यवाद।

चौधरी रिजक राम (राई) : मैं आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर महोदय, मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने यह बिल पेश किया है । मेरे ख्याल में इन्होंने पहला ही बिल ऐसा रेल किया धै जिसके लिये मुबारिकबाद के मुस्तहिक हैं । मैं यह भी मानता हू कि जहां तक किसानों का सवाल है गन्ना मिल्ज जितना भी गन्ना बौन्डिड है, वह सारा गन्ना लें और उसका पूरा भाव दें । मैं मानता हू कि मंत्री महोदय इसके लिये फिकरमन्द और मुझे फब है कि इस डर से किसानों को किसी तरह कीं परेशानी नही है । पिछले सैशन में डिप्टी स्पीकर महोदय. मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जितना गन्ना लिखा हुआ है, जितना भी गन्ना बौन्डिड है, वह सारा गन्ना मिलें जरूर खरीदेगी । उनेने यह आश– वासन दिया था कि जितना बौन्डिड गन्ना हए, वह सारा मिलें जरूर खरीदेंगी । लेकिन मैं एक बात आपके द्वारा इनके नोटिस मे लाना चाहता हूं कि सोनीपत मिल एरिया में बौन्डिड तो नहीं लेकिन किसानों से आफर्ज मांगी गयी और लगभग 29 लाख क्विंटल. की उन्होंने आफर्ज एक्सेप्ट कीं । मंत्री महोदय इस बात को मालूम कर ले कि 1 5 कई, उसके पेलने के लिये डैड लाइन रखी हुई है कि इस तारीख तक मिले चलेंगी । उस समय तक उसमें से 1 5 लाख क्विटल गन्ना ही यह मिल लं सकेंगी । तकरीबन आधा गन्ना यानी 1 4 लाख किवंटल गन्ना जो खड़ा एं,

वह बेकार जायेगा । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे किसान है जो आज तबाही के मुह पर खड़े हैं । अब 10–15 तारीख से मिल के जो मैनेजर हैं जो प्रबन्धकर्ता हैं, उन्होंने किसानों सैं यह कहा है कि हम आपका गन्ना नही ले सकेंगे आप अपना क्रशर लगाओ या किसी और तरीके से इसे यूटेलाईज करो । अब आप को पता है कि किसान अपना क्रशर लगा नहीं सकता अपना गन्ना पेल नहीं सकता, गुड़ भी उसका 'बना नहीं सकता, इस तरह से आज किसान लुट रहा है और सोनीपत मिल एरिया में किसानों के साथ हो रहा है । इसी तरह से मुझे पता लगा है हरियाणा के दूसरे मिल एरियाज में भी हो रहा है और किसानों का नुक्सान हो रहा है । मैं इस पर ज्यादा कुछ नही कहना चाहता क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मंत्री महोदय को इस बारे में खुद ही, चिन्ता है और मुझे आशा है कि इस बारे में मंत्री महोदय कोई न कोई हल जरूर निकाल कर किसानों को तबाह होने से बचाएंगे । एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी अन्धेरगर्दी, जितनी हेराफेरी वहां पर मिल के मैनेजमैंट की तरफ से पर्ची देने में है, उतनी शायद कही और न हो । मैं यह बात बिस्कूल जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस शूगर मित्र सोनीपत में गन्ना की खरीद में बडी कुरप्शन है । सोनीपत शूगर मिल के जो चेयरमैन है जोकि सोनीपत जिले के डिप्टी कमिश्नर भी है, उनसे भी मेरी बात हुई है । उन्होंने खुद यह तसलीम किया हए कि वहां पर बडा भारी भ्रष्टाचार है, हेरा फेरी है । एक–एक आदमी का मैं नाम भी दे सकता उड जिसने अपना

सारा गन्ना तो मिल्न को सप्लाई कर दिया जितना भी गन्ना उसने बोया था, लेकिन अब भी वे पर्चिया लिये हुए हैं । आपको पता है कि मिल 1 38,– रुपये के भाव से गन्ना खरीदती है और क्रैशर वाले अगर खरीदते हैं तो 5 या 7 रूपये क्विंटल के भाव से खरीदते हैं । तो तकरीबन 6– 7 रुपये क्विंटल का मारजन है । गुड़ किसान बना नहीं सकता । इसलिये वहां पर पर्चियां की बइज भारी व्लैक चल रही है । वे पर्चियां दो –दो या तीन–तीन रुपये क्विंटल का मुनाफा लेकर लौगो को दे रहे हैं । ये लोग वही जिनका वहां के मैनेजमैंट में या यहां के प्रबन्धकर्ता से कोई प्रमुख है । मैं यह आशा करता हूं कि मैतो महोदय इस तरफ भी कुछ ध्यान देंगे । एक बात और कह कर मैं बैठ जाता हूं । डिप्टी स्पीकर महोदय वह यह कि शूगर मिल सोनीपत को जो कैश क्रैडिट लिमिट थी वह खत्म हो गयी है । जो उन्होंने चीनी की जमानत दी थी, उस पर आगे बैक ने कर्जा देना बन्द कर दिया है और एक महीना या 20 दिन से एक पैसा की पेमैन्ट भी वह मिल किसानो को नहीं कर सकी है । किसी का 10 हजार है तो किसी का 15 हजार है । उनके पास एक पैसे का भी प्रबन्ध वहीं है । कैश क्रैडिट लिमिट थी जो कि चीनी की सिक्योरिटी के रूप में थी, वह बैक वाले मानते नहीं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिये कि जो ऐसी शूगर मिलें हैं, उनको लोन देकर या किसी और तरीके से साधन जुटा कर जो किसानों की पेमैन्ट बाकी है, वह तो दिलाये । डिप्टी स्पीकर महोदय, अभी ओलों से नुक्सान हुआ, पहले फ्लड की वजह

से नुक्सान हुआ । लोगों के साधन बिस्कूल खत्म हो गये हैं । उनका एक–एक दिन निकलना मुश्किल हो गया है । हर चीज उन्हें बाजार से मोल लेनी पड़ती है । लेकिन कोई उन्हें उधार देने के लिये तैयार नहीं है । उसको बिनौले खरीदने पड़ते हैं तथा और दूसरी चीजें खरीदनी पड़ती हैं । एक ही यह फसल है जिस पर यह किसान आस लगाये बैठा है । कोई दुकानदार उसको उधार नहीं देता । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूई कि उस शुगर मिल के मैनेजमैंट को बुलाकर, उसके चेयरमैन को बोर्ड को, बुलाकर लोन वगैरा दिलाये । जो सरकार ने उनको सूद दिलाने में इजाफा किया है, वह अच्छी बात की है लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि किसान सूद लेने में इतना इडैस्टिड नहीं है । उनको तो पैसै चाहियें और अपनी फसल के पैसे चाहिये' । इसलिये मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय ज्यादा से ज्यादा तवुज्जह इस तरफ देंगे वरना शूगर मिल तो आजकल लोगो के लिये प्लेग की बीमारी बन पे हैं, तपैदिक की बीमारी बन पे हैं । किसानों को इस मिल ने खत्म कर दिय। है । इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय का इस बिल को लाने के लिये हार्दिक धन्यवाद करता हू और आशा करता हूं कि जो अकलमन्त्री वह आज तक किसानों की मश्किलात हल करने में दिखाते रहे हैं उसी अकल मन्त्री से इन मुश्किलात को भी जल्दी से जल्दी खत्म करेगे ।

श्रीमती शांति देवी (कैलाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, गन्ने के बारे में जो बिल आया है उसका मैं स्वागत करती हूं किन्तु साथ ही कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपको देखनी होगी । करनाल इलैक्शन के अन्दर आपने लोगों की प्रतिक्रिया जानी होगी और मुझे किसानों के नजदीक जाने का अवसर मिला है क्योंकि मैं भी एक छोटे से किसान की बेटी हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आज किसान को किसी चीज से परेशानी है तो वह गन्ने की वजह से परेशानी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज किसान बहुत दुखी हे । मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि चाहे आप कोई स्पैशल आदमी भेजकर, चाहे स्वयं जाकर, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग करके या सी0 आई 0 डी0 द्वारा जानकारी ले सकते हैं कि हरियाणा का किसान चाहे वह सोनीपत का है, चाहे वह करनाल का है और चाहे वह किसी और जगह का है, बुरी तरह से रो रहा एं । वह किसान क्यो रो रहा है, इसके दो कारण हैं । एक तो यह है कि जितना लोगों ने गन्ना लिखवाया था उन गरीब लोगों को पर्चियां नहीं मिल रही है और कुछ सरमायेदार लोग जो पहले राज्य में भी फायदा उठा रहे थे और आज भी गन्ना बाहर से खरीद कर मिल को दे रहे हैं और मेरा छोटा किसान जो केवल चार बीघे या पांच बीघे में गन्ना बोता है उसका गन्ना ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है । मेरे भाई चौधरी साहब ने तो इसे तपैदिक कहा है लेकिन मैं तो कहती हू कि किसान के लिये यह कैन्सर है । अगर आपने स्थिति को नहीं सम्भाला तो मैं कहती हूं कि वह दिन दूर नहीं जब किसान को गन्ना जलाना पड़ेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, तीन–तीन

महीने तक पेमैंट नही हो रही है । किसानों को कहा जाता है कि पैसा नहीं है । आज ग्रोअर्ज की पेमैंट रूकी हुई है । मैं कहना चाहती हूं कि चाहे सरकार पेमैन्ट करे या एम0डी0 करे लेकिन किसान को पेमैन्ट होनी चाहिये । किसान का क्या कसूर है जिसने एक साल तक अपनी फसल को तैयार किया है जाड़े के अन्दर पानी दिया है, नलाई की है, गुडाई की है, इतनी मेहनत की है लेकिन उसको अपने गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है । वह बेचारा खाली हाथ घर वापिस आ जाता है । उसको घर की जरूरतों के लिये पैसा चाहिये । बच्चों के जूतों के लिये पैसा चाहिये, घर के सदस्यों के लिये कपड़ा चाहिये । लेकिन वह घर आकर कहता है कि कैसे ला0, पेमैन्ट तो हुई नही है ? कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसान का राज है और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जैसे मिनिस्टर हैं पिर भी– किसान रो रहा है । डिप्टी स्पीकर साहब, किसी चीज की सीमा होती है । खली बात करने से कुछ होने वाला नहीं है । आज करनाल की मिसाल आपके सामने है कि इतने असे ऐं– ही किसान आपसे नाराज हो गया । क्या करे किसान बेचारा आज बहुत दुखी है । उसको उसकी उपज का भाव नहीं मिल रहा है । एक तमाशा उनके साथ और हो रहा है कि जो लंड लाडर्ज हैं, अमीर आदमी हैं, सरमायेदार हैं, उन्होंने क्रेशर लगा रखे है और ' वे छोटे किसानों से चार रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना लेते है । हमारी सरकार ने मिलों के लिए भाव साढ़े तेरह रुपया का फिक्स किया है और प्राईवेट आदमी, सरमायेदार उस किसान को चार रुपया या पांच रुपया फी क्विंटल का देते हैं । आप हृदय

पर हाथ रखकर देखें कि उस किसान के दिल पर क्या बीत रही है कि एक तरफ सरकारी मूल्य साढ़े तेरह रुपया है और किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर प्राईवेट आदमी उसके गन्ने को चार या पांच रूपये के भाव से ले रहा है । कितना दुख आता है कि किसान साल भर तक मेहनत करता है, फसल तैयार करता है उसके परिवार के साथ क्या बीतती होगी और दूसरी तरफ मैं. आपका ध्यान सोनीपत की ओर दिला0 । इतने लुटेरे बैठे हुए हैं कि शाम तक एक–एक छोटा क्लर्क कितना रुपया कमाता है । एम0डी 0 की तो बात ही न पूछो कि वह कितने ऐशो आराम से जीवन बिताता है । आग अगर जांच करें तो पता लगेगा कि वह दिल्ली में जाकर क्य–क्या खाता–पीता है । मेरे कहने के बावजूद उसके खिलाफ इन्होने कोई एक्शन नही लिया । लोग बहुत दुखी है । मैंने तो यह सोच लिया है कि अगर इस बारे मे कुछ नही किया गया तो सैशन के फौरन बाद मुझे शूगर मिलों के लिये कुछ कदम उठाना पडेगा । मैं तो चाहती हू कि सरकार इस बारे में तुरन्त ही कोई निर्णय ले और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मुझे कोई आश्वासन देंगे कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही कोई निर्णय ले लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हू कि आपके दिल मे किसान के लिये तड़प तो है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली). डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि किसान को सहूलियत देने के लये कुछ तो आपने दर्द महसूस किया लेकिन मैं अपनी

सरकार के सामने दों–तीन मिनट में कुछ बातें रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी जरूर उन पर विचार करेंगे और यह न सोचेंगे कि जो प्रिन्ट हो गया है उसको' दुबारा क्यों प्रिन्ट किया जाए । पहली बात तो यह है कि पांच हजार रुपया जुर्माना या एक साल की सजा होगी । डिप्टी स्पीकर साहब, एक आदमी पांच लाख की चोरी करता है अगर वह पाच हजार का जुर्माना दे दे तो उसे कोई मुश्किल नहीं है । चोरी करने वाला आदमी कैद से ज्यादा डरता है, जुर्माना से कम डरता है । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि और' की बजाए 'एण्ड' शब्द होना चाहिये । यानी पांच हजार रूपया जुर्माना और एक साल की कैद । दूसरी बात यह है कि जब कोई चीनी मिल कायम होती है तो बहुत लोग उस मिल के शेयर खरीद लेते हैं । मेरे पास हजारों मिसाले हैं कि बहादुरगढ़ तथा झज्जर के हजारों लोगों ने सोनीपत की मिल में शेयर खरीद लिये हैं लेकिन एक्ट में दस मील के एरिया की पाबन्दी लगी हुई है । मेरी मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि वह एक्ट में तरमीम कर लें कि कोई आदमी चाहे कही का रहने वाला है और अगर किसी मिल में वह हिस्सेदार है तो उस मिल को उस आदमी के गन्ने को खरीदने का हक है । मेरी ऐसी तजवीज है । अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन आदमियों का रुपया ब्लाक करने का क्या फायदा है? वह रुपया ब्याज समेत उन लोगों को वापिस किया जाना चाहिये । तीसरी बात तोल की है । धम्म तौर पर यह पाप गया है कि किसान के साथ तोल में बहुत ज्यादा हेरा–फेरी होती है । कई दफा ऐसा होता है कि गन्ने के साथ

बच्चे चले जाते हैं या नौकर वगैरह चले जाते हैं और तोल के समय उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता हैं । मेरी मन्त्री जी से' प्रार्थना है कि एक्ट में तरमीम कर दी जाए कि अगर कोई ऐसा एक भी केस मिल जाए कि किसी किसान का एक क्विंटल गन्ना कम तोला गया और चौकिंग के बाद गन्ना ज्यादा पाया गया तो जिस दिन से वह किसान गन्ना सप्लाई कर रहा है उस दिन से हिसाब लगाकर जितने दिन गन्ना किसान देता रहा है उस किसान को ग्यारह ग्हुणा का पेमैन्ट किया जाना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहब यह देखने में आया है जो किसान गन्ना पैदा करता है और अगर उसके यहां शादी या कोई चीज होती है तो उसको चीनी मंहगी मिलती है क्योंकि गर्मियों में चीनी मंहगी हो जाती है । इस बारे में मेरी यह तजवीज है कि एक्ट में यह तरमीम कर दी जाए कि जो आदमी मिल को गन्ना देता है और अगर उसके यहां कोई शादी वगैरह होती है तो उसको 2. 15 रुपये के भाव से कम से कम एक बोरी चीनी जरूर दी जायेगी जिससे किसान यह महसूस करे कि मिल को गन्ना देने से उसको कोई लाभ हुआ है, मैं उसका हिस्सेदार हुं, मुझे उसका फायदा हो रहा है वरना पचास साल तक भी कोई हिस्सा मिलने की उम्मीद नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक और तजवीज है कि अगर दूसरी गन्ना मिलों की मन्जूरी नहीं मिलती है तो जो मौजूदा मिलें हैं उनकी कैपेसिटी डबल कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ना लोगों का लिया जा सके और गन्ना पेला जा सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में

शीरे का जो रेट है वह रेत का भी नहीं है । रेत का भी रेट शीरे से ज्यादा है । सरमायेदारों ने लूट का चक्कर बना रखा है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर सीरे का रेट बढ़ा दिया जाए तोइससे मिल का जो घाटा है वह भी बहुत कम हो सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी क्रेशर लगाये उसे किसानों को गन्ना 13. 50 रुपथे पर खरीदना चाहिये, अगर इतने परकोई न खरीदना चाहे तो कम सई कम 12 रुपये पर अवश्य किसान का गन्ना खरीदा जाना चाहिए, सरकार को इस बात कॉ प्रोवीजन भी एक्ट में कर देना चाहिये और किसान के गन्ते का रेट कम से कम 12 रुपये फिक्स कर देना चाहिये । अगर कोई मिल मालिक या क्रेशर वाले इस कीमत से कम खरीदे तो उनके लाईसैन्स कैन्सल कर दिये जाने चाहिये । इस से किसान को उसकी मेहनत के, गन्ने के सही भाव मिल सकेंगे । अगर किसान को उसकी काश्त के सही भाव मिलें तो वह खुशहाल होगा और आगे से दुगुनी काश्त करेगा । इसलिये मेरी सरकार से दर्खास्त है कि वह इस तरफ ध्यान दे ताकि किसानों को हर तरफ से राहत मिल सके । इसके साथ–साथ इस एक्ट में यह भी प्रोवीजन होनी चाहिये कि अगर कोई आदमी मिल मालिक या क्रैशर वाला कम कीमत पर गन्ना खरीदे तो पुलिस उस आदमी के खिलाफ जुल्म बनाकर मुकद्दमा चलाये और ऐसे आदमी को सजा दी जाये ऐसाहोने से कोई भी गरीब किसान को धोखा नहां दे सकेगा । इससे आगे मैं यह कहना चाहता हू, बूरा साहब ने भी

कहा कि जैसे किसान बौक वगैरह भरते हैंऔर गन्ने का भाव मुकर्रर हो जाता है बाद में कई मिल वाले नहीं लेतेतो उस किसान के गन्ने की कीमत उस मिल वाले को 1 3. 50 रुपये के हिसाब से भरनी चाहिये या सरकार को भरनी चाहिये और ऐसे लोगो केखिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिये जो किसान की फसल मौका पर आकर लेने सेइन्क्रार कर देते हैं । अगर किसान की पहली फसन नहीं लगती तो उस से ऐसा होता है कि बेचारे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, उससे किसान की अगली फसल भी खराब होजातीहै, बिजली का भी नुकसान होताहै, कमीन भी खराब पड़ी रहती है इससे किसान के हौंसले पस्तहो जाते हैं । इसलिये किसान को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि उसका गन्ना इतना लगेगा ताकि वह आगे से उतना ही काश्त करे जितनी कि उसे उम्मीद हो कि उसका इतना गन्ना लग जाएगा । अगर एक मिल वाला किसान के साथ वायदा करके गन्ना न ले तो उस किसान को उसकी कीमत सरकार को अपनी तरफ से देनी चाहिये चाहे इसके लिये सरकार को कितना ही नुक्सान क्यों न हो । ऐसा करने से गरीब किसान का काफी हद तक राहत मिलेगी । डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में मै अपने भाई चौधरी वीरेन्द्र जी को, जोकि एक किसान के बेटे हैं, कहूंगा कि मेरे इन सुझावों पर वे अवश्य गोर करें और ऐसा कोई व कोई हल अवश्य इस एक्ट के जरिये निकाले जिससे गरीब किसान खुशहाल हो सके । इसके साथ ही मैं आपका बडा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस विधेयक के बारे मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के अन्दर एक दो तरमीम और होनी चाहिये । सब से पहले तो इस एक्ट के अन्दर यह आना चाहिये था कि जितनी भी श्हू गर इंडस्ट्री क हैं, वे कोई भी प्राईवेट सैक्टर के अन्दर नहीं लगनी चाहिये । आज प्राईवेट सैक्टर के अन्दर जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वे सारी की सारी किसानों को एक्सप्लायट कर पी हैं । ताज्जूब की वात तो यह है कि जितने भी मिल मालिक हैं वे किसानों के गन्ने की पेमैटं एक–एक दो–दो महीने नहीं करते और किसानों की लाखों रुपये की पे मैंटस होती है, अगर मालिक वह पे मेट एक–एक दो–दो महीने रख लें तो आप सोचें कि इससे किसानों को कितना नूक्सान होगा और ऐसा करने से मिल मालिक को हजारों रु पये के व्याज की आमदनी हो जाती है । इस तय से इस एक्ट के अन्दर यह प्रोघीसन होना चाहिये कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वह सारी की सारी ज्वांयट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के अन्दर ही लगनी चाहिये न कि प्राईवेट सैक्टर के अन्दर लगनी चाहिये ताकि इससे किसानों को राहत मिल सके । इसके इलावा यह भी कहना चाहता हूं कि आज सरकार को गुड के भाव भी निश्चित करने चाहियें और साथ ही गन्ने का भाव भी मुकर्रर करना चाहिये । जिस तरह से सरकार गेहूं के भाव निश्चित करती है उसी प्र कार सरकार को चाहिये कि गुड और शक्कर का भाव भी निश्चित हो ताकि किसानों को अपनी चीज का मूल्य पता लगे और वह उसके हिसाब से काश्त कर सके । यह नहीं होना चाहिये

कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो किसान के गन्ने का, गुड का भाव घट जाए । किसान जोकि हिन्दुस्तान का मालिक है, देश की जान है, उसको किसी भी प्रकार से एक भी पैसा का नुक्सान नहीं होना चाहिये, सरकार को चाहे इसके लिये नूक्सान उठाना पड़े परन्तु किसान को उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन के हिसाब से रेट मिलने चाहिये । अगर किसान का गुड़ और शक्कर मार्किट में नही बिकता तो सरकार को चाहिये कि उसका गुड और शक्कर खरीद ले बेशक उसे समुद्र में ही क्यों न फेंकना पड़े लेकिन किसान की फसल का उसे जरूर फायदा होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि भाव की कमी के कारण बेचारे गरीब किसान की चीजें बिकने से रह जाएं । इस तप का कोई न कोई हल सरकार को अवश्य निकालना चाहिये जिससे कि किसानों को किसी भी स्टेज पर नुकसान न उठाना पड़े । इसके साथ मैं सोनीपत व रोहतक शूगर मिलों की बाबत कु छ कहना चाहता हू कि जितना नुकसान इन मिलों में हो पा है और उसके कारण किसानों का भी नुकसान हो रहा है वह तजुर्बा न होने के कारण हो रहा है क्योंकि हमारे जो एम 0 डी 0 हैं वे ऐसे तबके के हैं कि न उन्होंने कभी गन्ना बोया और न खं वे किसानों की दिक्कत को ही समझते है । बड़ी–बड़ी फैमिलिज में से आये हैं और उन्हें यह पता नहीं कि किस खून पसीने की कमाई से काश्त की जाती है क्योंकि जैसे किसी कालेज के प्रिंसिपल के लिये एम 0 ए 0 पी 0 एच 0 डी 0 लगाया जाता है..... (विघन).....

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैम्बर साहब स्कोप से बाहर बोल रहे हैं, कम से कम उन्हें बिल के बारे में ही अपने विचार रखने चाहिये ।

चौधरी गंगा राम : डिप्टी सी कर साहब, मेरा कहने का मतलब यह था कि हमारे जो एम 0 डी 0 हैं वे किसान फेमिंत्री से होने चाहिये, किसान के घर से होने चाहिये । वे भावभी होने चाहियें जोकि किसान की हकीकत को जानते हों । एक और बात है कि जब कभी कोई शूगर मिल वगैरह लगाई जाती है तो सारे जिले से शेयर खरीदे जाते एं लेकिन गन्ना लेते समय उस में 10 मील का छुरिया मुकर्रर कर देते है. जिसके कारण किसान की ओर प्रोबलम बढ़ 'जाती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो 1 0 मील' से बाहर है और जितने लाखों लोग शेयर खरीदते हैं उन लोगों का क्या कसूर है कि उनका गन्ना न लिया जाये । मैं यह भी चाहता था कि इस एक्ट में यह भी तरमीम आनी चाहिये थी कि अगर रोहतक की शूगर मिल के अन्दर गोहाने वालों के लाखों रुपये के शेयर हैं और फिर अभी गोहाने के अन्दर एक मिल लगनी है, इसलिये रोहतक मिल में जितने गोहाने वारनों के शेयर है वह सारे वहां पर ट्रान्सफर होने चाहियें यह एक्ट के अन्दर प्रोवाइड नही हुआ है । तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले दुर्गति जो है, वह गन्ना और गुड़ की हो रही है और आज पब्लिक के अन्दर हमारी सरकार का और इस पार्टी का बहुत इमेज खराब हुआ है, हमने हकीकत देखी है कि यह सारा कुछ

गन्ने और गुड़के कारण हुआ है! इसलिये मैं यह कहूंगा कि हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हमारी सरकार को कितना ही नुकसान क्यों न हो पर किसान को कास्ट आफ प्रोडक्शन हर फसल की पूरी मिलनी चाहिये चाहे सरकार उसको खरीद कर जहां मर्जी लगाये, कहीं भेजे ।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है, आपकी इधर भी नजरे इनायत हो गयी है । यह जो बिल इस हाउस में मिनिस्टर साहब ने पेश किया है इसमें मैं चाहता हूं कि एक दो संशोधन हो जाएं । पहला संशोधन तो यह है कि जो ठेकेदारी सिस्टम इसमे लिया गया है उसमें ऐसा है कि एक ठेकेदार जो कि गन्ना खरीदने वाला है उसको टाईम दिया 3 साल का, उस तीन साल के बाद वह पहला सैन्टर उसके पास नहीं पेगा, इसका मतलब यह है कि वह दूसरे सैन्टर को ले लेगा । इससे ऐसा होगा कि पहले तीन साल उसने जो किसानों का खून पीया है और अब तीन साल दूसरे सैन्टर पर जाकर दूसरे किसानों का भी खून पीयेगा, इसके साथ जो फायदा या नुकसान होगा वह किसान को ही होगा । अगर इन लोगों की जगह पर जो लोग गन्ना काश्त करते हैं, उन्हीं को ही ठेकेदार बनाया जाए और उन्हे ही गन्ने का ठेका दिया जाए तो वह बहुत ही' बेहतर होगा क्योंकि वह किसान के साथ विश्वासघात नहीं करेगा । अगर उसकी जगह पर ठेकेदारी सिस्टम ही रखा गया तो वह किसान का

खून अच्छी तप से चूसेगा जिस तप से कि मलेरिया का मच्छर चूसता है । इसके साथ–साथ मैं मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि जो बिल हाउस में पेश किया गया है इसमें जो कैद का शब्द है वह कैद और पांच हजार जुर्माना दोनों इकट्ठे होने चाहियें । पांच हजार एक कुरप्ट आदमी के लिये मामूली चीज ' है । वह एक मिनट में दस बीस हजार रुपया दे सकता है । जिस आदमी ने किसान का खून पूछा हो उसके लिये तो लाख दो लाख रुपये. कोई बात ही नहीं है । मैं तो यह चाहता हूं कि कैद एक साल की बजाए अगर दो साल की जाए तो बहुत अच्छा होगा । पांच हजार जो जुर्माने का है उसे चाहे मिटा दें लेकिन कैद एक साल की बजाए दो साल की कर दें । क्योंकि जो सरमाएदार है वह अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, वह यह चाहता है कि किसी तप से कैद से बचा जाए । इसलिये अगर यह कैद बढ़ा दी जाती है तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा ।

इसी तरह से जिस तरह किसी मिल का एरिया बांध देते हैं कि मिल दस मील के एरिया का गन्ना लेगा और वह भी बाउंडिड गन्ना लेगा । इसके लिये मैं यह चाहूंगा कि दस मील के एरिया का ही गन्ना न लिया जाए बल्कि दूसरे एरिया का गन्ना भी लिया जाए । बौंड के टाइम जितना गन्ना भरा जाता है, वह पूरा गन्ना लिया जाना चाहिये और दस मील के एरिया के बाहर का भी गन्ना लेना चाहिये । इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इसमें अमैंडमैंट जरूर करें' वरना दस मील के एरिया के बाहर के लोगों

को बहुत मुसीबत है । आज उनकी हालत देखी नहीं जाती । मेरे और चौधरी शेर सिंह के हल्के में जमींदारों ने इस प्रकार से लट्ठ बजाया कि खून होने में कोई कसर बाकी नहीं रही । दो–तीन आदमी यहां पी0 जी0 आई0 में लाए गए और बड़ी मुश्किल से बचे है । उनकी रेट के पर लड़ाई हुई थी । क्रैशर वाले गन्ने का रेट पांच रुपये दे रहे हैं । यह बड़ी शर्म की बात है कि जो किसान दिन रात मेहनत करता है उसका गन्ना पांच रुपये के हिसाब से लिया जाए । जो बड़े बडे जमींदार हैं वे किसी को पैसा खिला कर अपना गन्ना पूरे रेट पर उठवा देते हैं लेकिन जो गरीब काश्तकार है, जो गन्दे की काश्त करते है वे अपना गन्ना बेचने के लिये पैर भी पकड़ते हैं, उसके बावजूद भी उनका गन्ना नही लिया जाता है । आखिर में उसे अपना गन्ना क्रैशर पर ले जाना पड़ता है और कैशर वाले उसे पांच रुपय का भाव देते हैं । इससे किसान को दुगना नुकसान होता है इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि क्रैशर मालिकों पर भी गन्ने का रेट लागू होना चाहिये । उनको यह कभी चाहिये कि अगर लाइसैसं लेना है तो मिल रेट से एक रुपया कम रेट पर गन्ना जरूर लेना पड़ेगा । मैं सरकार सेप्रार्थना करूंगा कि ऐसी अमैंडमैंट जरूर होनी चाहिये । इसके साथ–साथ जो पर्ची देने का सिस्टम है, वह इतना भ्रष्ट है जिसकी कोई हद नहीं है । दो नंबर का काम हमारे एम्पलाइज करते हैं, इसको खत्म करने का काम हमारी सरकार का है इसलिये मेरी–सरकार से प्रार्थना है कि इस पर्ची सिस्टम पर कानून के मुताबिक चौकिंग होनी चाहिये । अब क्या होता है कि एक जमीदार का तो

सारा गन्ना ले लिया जाता है और एक का गन्ना वैसे ही पड़ा रहता है । यह बडी शर्म की बात है कि हम इस तरह से कानों पर हाथ रख कर बैठे रहे और हमारा जमीदार जिसने अपनी सारी जिन्दगी भर इस देश को पाला है, इस देश अई जनता जिसके पर निर्भर करती है वह फटे पुराने कपडों में पे और उसे रोटी भी नसीब न हो । मैं चाहता हू कि इस एक्ट में यह बात रखी जाए कि जहां भी गन्ने के वितरण में कहीं फर्क हो, वहां जाकर तुरन्त कार्यवाही की जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिल मालिकों की तरह कैद किया जाए । आखिर में मैं एक बार फिर यह बात कहूंगा कि एक साल की कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना दोनों होने चाहिये । बिल में या की बजाए एण्ड शब्द होना चाहिये । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन जरूर होना चाहिये और ' संशोधन होने पर ही इस बिल को पास किया जाए । अगर यह बात नहीं की जाती है तोंमें' इस आईटम. का विरोध करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं ।

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े खेद की बात है कि बिल का स्कोप कुछ था और माननीय सदस्य बोलते कुछ और जा रहे थे । यह भी बडे अफसोस की बात है कि कई बातें जोकि लूगर कन्ट्रोल बोर्ड के अख्तियार में हैं जैसे गन्ने का भाव मुकर्रर करना आदि उन बातों को भी माननीय सदस्व इस बिल में किसी तय से एड करवाना चाहते हैं । मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य पूरे

ढंग से सारे एक्ट को पड़ कर आएं और उस पर कस्ट्रक्टिव क्रिटिसीजम करे ताकि सरकार को भी अच्छे सुझाव मिल सकें और हाउस का टाईम भी वेस्ट न हो । **चौधरी** हर स्वरूप जी ने फर्माया कि सिर्फ रिजवर्ड गन्ना बाउंड किया जाता है और इसकी कुछ लिमिट बढाई जाए यानी एरिया को एक्सटैड किया जाए दस मील की बजाए 15 या 20 मील का एरिया किया जाए । मैं समझता हूं कि इसके लिये भी इस बिल में कोई प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है और यह भी मैं समझता हूं कि जो एरिया एक मिल के लिये मुकर्रर किया जाता है उसके लिये अवेलेबिलिटी देखी जाती है । उस एरिया में शूगर केनका वाकायदा सर्वे किया जाताहै और उसके हिसाब से एरिया की लिमिट फिक्स की जाती है । यह जो दस मील का फासला फिक्स किया गया है यह बिल्कुल रीजनेबल है । जहां तक उनका यह सवाल है कि पावर क्रैशर को लाईसैसं की छूट होली चाहिए तो उन पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रक्शन नहीं हैऔर गुड़ बनाने के लिये पावर क्रैशर या कोहलू रिजर्वड एरिया की हद में भी लगाये जा सकते हैं, सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं है । जहां तक इन्होने कहा कि कैशर के लिये लाइसैस के सिस्टम में ढील दी जाए, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने यह खंडसारी के लिये फर्माया है । एक तरफ माननीय सदस्य ने यह भी फर्माया कि बाउंडिड पन्ना मिल ले नहीं पे हैं इसके लिये मैं कई बार इस सदन में विश्वास दिला चुका हूं कि जो बाउंडिड गन्ना है इसके लिये फार्मर और मिल दोनों पर मुकम्मल तौर पर पाबन्दी है । जो गन्ना मिल ने

बाउंड किया है वह चाहे हमें कब तक भी मिलता खे और कब तक भी मिल चलानी पड़े वह गन्ना हम जरूर लेंगे । यह मैं बार–बार विश्वास दिला चुका हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्य फिर वही बात कह देते हैं । आकर और बोड में बड़ा भारी अन्तर है । जो गन्ना किसान आकर करता है । सरकार बाउंडिड गन्ना लेने के लिये पाबन्द है और अगर बाउंडिड गन्ने को हम जल्दी पीड लेते हैं और टाईम बाकी फ जाता है तो जो गन्ना किसान की तरफ से मिलता है, आफर मिलती है, उसको पैलने के लिये भी मिल को आगे चलाना शुरू करते हैं ।

13.00 बजे

चौधरी रिजक राम : आन ए प्वांट आफ आर्डर । मैं आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि सोनीपत शूगर मिल के एरिया में कोई गन्ना बाउंडिड नहीं है, आफर्ज हैं किसान की तरफ से, बाउंड्ज नहीं भरे गये हैं । मैं मन्त्री महोदय से अर्क करना चाहता हूं कि वे इस बारीकी में न जायें कि बाउंड्ज नही भरे गये, इसलिये उनका गन्ना नहीं लेना है। अगर नहीं भरे गये तो कोई बात है नहीं, गन्ना लेना चाहिए, उनकी नौइयत को समझना चाहिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : – मुझे बड़ा अफसोस होता है जब चौधरी साहब कानून को बारी की से न लेने की बात बताते हैं । कानून को कानून के तरीके से लेना पडेगा । कानूनी तरीके से ही

चलना पड़ेगा, उसी प्रकार से इन्ट्रप्रैटेशन करनी होगी, चाहे किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, कानून को कानूनी ढंग से ही चलाना होगा ।

इसके बाद बहन शान्ति राठी ने फरमाया कि प्रतियों में बड़ी हेरा फेरी हो पी है, किसान परेशान है । सारे जहां का दर्द इनके जिगर में हैं । वे यह भी मानती हैं कि मौजूदा सरकार किसान के हित की सरकार है, वे यह भी मानती हैं कि महकमा जिस मन्त्री का है वह भी किसान के घर में पैदा हुआ है और यह भी मानती हैं कि वह किसान के हित के लिये जागरुक भी काफी है । चन्द वाकियात बहन जी ने बताये कि एक दो जगह हेराफेरी हुई । फौरी तौर पर इक्वायरी की गई । शिकायतें तो आ जाती हैं लेकिन अफसोस की बात है कि उन शिकायतों को सबस्टांशिएट करने के लिये गवाही मौके पर नहीं मिलती । कई दफा तो कम्पलैनैटं ही गवाह हो जाता है । जहां भी सरकार को पता लगता है कि पर्चियों में हेराफेरी हुई है किसी तरीके से किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, सरकार हमेशा जागरूक है और जागरूक रहेगी । लेकिन अफसोस यह है कि बार–बार इन्काव्यरी करवाने के बाद इन्कवायरी में कुछ नहीं मिलता । मैं माननीय सदस्यों से चाहूगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो गवाही पैदा करें, कम्पलेन्ट मुझे दें, फोरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा ।

श्री जगजीत सिंह पोहलू : ने फरमाया कि भाव बढ़ाएं । श्री गंगा राम जी ने फरमाया कि चाहे सरकार को समुद्र में फैंकनी पड़े, गुड और शक्कर, लेकिन किसान को भाव ठीक दिया जाए । ऐसी समाजवाद की बातें मैं भी काफी कह सकता हूं लेकिन सारे हिन्दुस्तान भर में, आज के दिन मेरे ख्याल में हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा भाव किसान को गन्ने का दे रही है । सारे मुल्क में सबसे ज्यादा भाव हरियाणा के किसान को दिया है । मिलों को नुक्सान बड़ा भारी है लेकिन फिर भी हमने साढे 13 रुपये से कम गन्ने का भाव नहीं किया । करोड़ों रुपये का घाटा हमारी मिलों को हो रहा है । इन हालात में एक प्राईवेट मिल जो सारे हरियाणा में एक ही प्राईवेट मिल है, उसने जब किसानों के हित के खिलाफ चलने का साहस किया तो उसको भी काबू किया और मजबूर किया कि वह भी साढ़े 13 रुपये के भाव से किसान से गन्ना खरीदेगी । **चौधरी** रिजक राम ने फरमाया कि कशिंग सीजन 15 मई तक ही रहेगा । ऐसी बात नहीं है, हम 30 जून तक सीजन चलायेने और जो बाउंडिड गन्ना है उसको जरूर खरीदेगें चाहे हमें इससे आगे भी चलाना पड़े । कुछ सदस्यों ने कहा कि जो पैनल्टी प्रोवीजन रखा गया है वह ढीला है । **चौधरी** लहरी सिंह ने यह फरमा दिया कि जो पैनल्टी डलनी है वह शायद सरकार ने नहीं डालनी है । यह औफैंस सरकार ने बना दिया और एक साल की सजा रखी गई हे । इसको और दस्तेअंदाज किया है कि चालान होने पर मुकद्दमा जुडिशीयल कोर्ट में जाएगा । माननीय सदस्यों को अपनी जुडिशीयरी पर जो कि इंडिपैडेंट है, पूरी तरह

से यकीन रखना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि वह सरकमस्टासिज के हिसाब से, एविडैस के हिसाब से फैसला देगी । अगर जुर्म की नवैयत बहुत संगीन साबित होती है तो कोई भी आदमी चाहे वह कितना ही बड़ा हो, मैं समझता है कि जुडिशीयरी सिर्फ उसको जुर्माना करके बख्शने वाली नहीं है । हमें जुडिशीयरी पर मान है, जुडिशीयरी पुर पूरा फेथ रखना चाहिए । कुछ सदस्यो ने अफसरों के खिलाफ यहां पर अपने ख्यालात का इजहार किया । मेन कल भी उन से निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आफिसर साहेबान, हो सकता है कुछ सदस्यों की समझ के मुताबिक, वे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हों, लेकिन यह जगह उन के नाम को उछालने की, उनके खिलाफ शिकायत करने की नही है । अगर किसी किस्म की कोई शिकायत किसी अफसर के खिलाफ हैतो वह सरकार के नोटिस में लाएं, पूरी तरह से इंक्वायरी की जाती है और पूरा एक्शन लिया जाता है । लेकिन यह भी ठीक बात नहीं है कि पूरी इंक्वायरी करने के बाद अगर सरकार सैटिसफाईड है तो माननीय सदस्य बार–बार कहें कि नहीं, दोबारा इंक्वायरी करो । शायद उनको अफसर नापसन्द हैं लेकिन पब्लिक ड्न्टैरस्ट में सरकार को सब कुछ देखना पड़ता है । एक–सदस्य ने यहां तक कह दिया कि शूगर मिल के जो आफिसर लगाये जाये वे किसान घर से पैदा हुए हों । इस किस्म की बातें ठीक नहीं । बहुत से लोग जो किसान न होते हुए भी बड़े कैपेबल होते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं । प्रेसे वर्ग का सवाल, किसी जाति का सवाल उठाना इस देश के लिये हानिकारक है ।

मैं समझता हुं कि किसान गरीब है, अभी उठा नहीं, यह बात ठीक है, लेकिन माननीय सदस्यो को बड़ी संजीदगी से हाउस में बोलना चाहिए । उनके सैटीमेंट्स को मैं समझता

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : जहां तक सदस्यों ने किसान का जिक्र किया है, किसान सारे वर्ल्ड के अन्दर डैमोक्रेसी चला रहा है । अगर हिन्दुस्तान के अन्दररू डैमोक्रेसी में परिवर्तन आ बारे तो मारे हिन्दुस्तान का कल्याण हो सकता है । अगर किसी कास्ट का नाम लिया जाता है तो अच्छा नहीं होता लेकिन चूंकि सदस्यों ने का नाम लिया है, इससे कोई नुक्सान नही, इससे डैमोक्रेसी रन कर सकती है ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री गंगा राम : आन ए प्वांट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन । मैं मन्त्री महोदय–कों यह कहना चाहूंगा कि मैंने किसी जाति या वर्ग का कोई विशेष नाम नहीं लिया । किसान में सभी जातियां आ जाती हैं । जाए व्यक्ति खेती करता है वह चाहे किसी कौम का हो, वह किसान ही होता है । मेरे कहने का तात्पर्य किसी आफिसर के पर छीटाकसी करने का नहीं था । मेरे कहने का मतलव यह था कि जिसको खेती का ज्ञान हो और किसान की प्रोबलम्ज का ध्यान हो, उस अफसर को शूगर इंडस्ट्रीज में अफसर लगाना चारिए ।

दि पंजाब शूगरकेशन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड सप्लाई) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : तो मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, अर्ज कर रहा था कि बिल की जो मंशा थी वह मैने. पहले व्यान कर दी थी । बिल के पर, डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने बहुत ही कम सुझाव दिए है और यदि मैं यूं कहूं कि कोई विशेष सुझाव दिया ही नहीं तो भी कोई अतिश्योत्ति, नहीं होगी । मैं आगे के लिये निवेदन करूंगा कि जो आगे आने वाले बिल हें, उनके पर अगर माननीय सदस्य कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम करेंगे तो उसको मैं कम से कम जरूर वैलकम करूंगा ।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : I have received notice of an amendment to this clause from Shri Mool Chand Jain. He may please move his amendment.

श्री मूल चन्द जैन : (सम्भालखा) रू डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अमैंडमैंट यह है कि इस बिल की क्लाज 7 की सब क्लाज (2) डिलीट कर दी जाए ।... (विघन) सब –क्लाज (2) यह है –

"(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences punishable under this Act and the rules made thereunder shall be cognizable."

इसका मतलब यह है कि इस अमैंडिंग बिल के द्वारा इसको काबिले दस्तान्दाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है । इससे पहले डिप्टी स्पीकर साहब मेन एक्ट की धारा 18 में लिखा हुआ था कि –

"18.(1) No prosecution shall be instituted under this Act except upon a eomplaint made by a District Magistrate".

तो पहले जो कानून था, जो सत् 1953 में बना था, उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बिना कोई शिकायत ही नहीं हो सकती थी और किसी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता था । कहां तो डिप्टी स्पीकर साहब, पे डुलम का एक सिरा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बगैर कोई शिकायत नहीं हो सकती थी और कहां पेंडुलम के दूसरे सिरे को इस हद तक पहुंचाया गया कि इसको काबिले दस्तान्दाजी पुलिस अपराध करार दे दिया मया । हमारे कई सक्तों ने इसका स्वागत किया है लेकिन मैं उनसे मन्त्रीोद रखता हूं । मैं तो अपने मन्त्री महोदय को यह कहना

चाहता हूं कि इससे कुरप्शन बढ़ेगी और मामूली नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी । यह मैं इसलिये कहता हूं कि पहले तो यह कानून सिर्फ बड़ी फैक्टरीज पर ही लागू होता था परन्तु अब इसमें खांडसारी यूनिटस को भी शामिल कर पे हैं । खांडसारी यूनिटस को जो शामिल कर रहे हैं इसका तो मैं स्वागत करता हूं । यह इन्होंने अच्छा किया है लेकिन शूगर मिल्ज हमारे प्रान्त में ज्यादातर सहकारी समितियों के अधीन हैं । सिर्फ एक प्राईवेट है । पिछले दिनों इन्होंने एक हरकत की थी ।... (विघन).....

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अमैंडमैंट के लिये भी कोई टाईम मुकर्रर किया जाए क्योंकि बहुत से बिल अभी पड़े हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पांच मिनट हैं इस लिये जल्दी खत्म करें ।

श्री मूल चन्द जैन : अभी तो मुझे दो मिनट ही हुए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तो खत्म करने ही जा या था लेकिन ये इन्टरफियर क्यों करते हैं? अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं । (विघ्न) क्या मैं हाउस से इस्तीफा दे दूं? आपका मतलव क्या है? वोलने ही नहीं देते । अभी तो मैंने शुरू ही किया है । फिर जितना टाईम अलाट हुआ है उतना तो मैं लूंगा ही ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : 'मैं तो केवल याद दहानी करा रहा था । (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

श्री मूल चन्द जैन : फर्स्ट रीडिंग पर 10– 15 आदमी बोले हैं । मैं तो फस्ट रीडिंग परभी नहीं बोला हूं । आखिर यहां बोलना मेरा राईट है । अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं बोलूंगा । (विघ्न) टाईम तो वे खराब कर रहे हैं।

Mr. Deputy Speaker : Order please.

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि इस बात को तय किया जाए कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो मिनिस्टर साहबान मुझे क्यों टोकते हैं । मैं तो इनकी बात का स्वागत कर रहा हूं कि इन्होंने खांडसारी यूनिटस को शामिल किया है । मैं तो कंस्ट्रक्टिव सुजेशन देना चाहता हूं । अगर आप समझते हैं कि कुरप्शन कम होगी, आपके ख्याल से इससे कुरप्शन बिस्कूल नहीं बढ़ेगी तो आप इसे दूं का यूं रखिए लेकिन कम से कम मेरे मन में जो बात आई है कि कुरप्शन बढ़ेगी उसे तो सुन लीजिए । कुरप्शन कैसे बढ़ेगी जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देंगे अपनी बात कहने की, तो कैसे बात बनेगी ?'

श्री उपाध्यक्ष : बाबू जी, आप अपनी बात कहिए ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, सारे के सारे खांडसारी यूनिटस प्राईवेट हैं । जिस इलाके में गन्ना पैदा होता है वहां चौधरी रिजक राम जी ने भी कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि 10 मील के एरिया के अन्दर खांडसारी यूनिटस लगाने

को इजाजत नहीं है । उससे बाहर वह यूनिटस लगता है । अब मुझे जो ऐप्रिहैन्शन है लिए मैं हाउस के सामने और मन्त्री महोदय की सेवा में रखना चाहता हूं वह यह है कि यदि इसे हम कौगनिजेबल औफेन्स बनाएंगे तो ये यूनिटस दस मील के एरिया से बाहर भी नहीं लगेंगे काश्तकार को गुड बनाने में ज्यादा घाटा है । खांड की ईल्ड बड़ी फैक्टरी में सबसे ज्यादा होती है, खांडसारी यूनिटस में उससे कम और गुड़ में उससे भी कम होती है । खांडसारी यूनिट जहां एक प्राईवेट आदमी अपने नफे के लिये लगाता है वहां किसानों को भी फायदा हो जाल है लेकिन कौगनिजेबल बनाने से खांडसारी यूनिटस कम लगेगी । दूसरी बात यह है कि कोगनिके बल औफेन्स बनने परऔर पुलिस के डर से ये यूनिटस गन्ने की कंजस्पशव अपने रिकार्ड में नहीं दिखाएंगे और इसकी वजह से दो नम्बर काकाम उसी तय सेहोता पेग। । इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब ऐसी बात का अन्देशा हो तो वह कौगनिजेवल औफेन्स नहीं होना चाहिए । यही मैं इस अमैंडमैंट के बारे में कहना चाहता था ।

Mr Deputy Speaker : Motion moved—

That sub-clause (2) be deleted.

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, बाबू मूलचन्द जैन जी ने खदशा जाहिर किया है कि इस अमैडमैंट के द्वारा कोगनिजेबल औफेग्स बनाने से कुरप्शन बढेगी। हम ने इनको इमलिये कोगनिजेबलं बनाना चाहते हैं ताकि

वे चाहे खांडसारी यूनिटस हों, चाहे शूगर ईडस्ट्रीज हों, उनका जो एग्रोमैंट एक दफा सरकार के साथ हो जाता है या गवर्नमैंट का डिसिजन हो जाता है, उसे वे ठिक से इम्पलीमैंट करें । जैसा माननीय सदस्यों ने बताया हमन फैसला किया कि 8 रुपये क्विंटल के हिसाब से खांडसारी यूनिटस गन्ना खरीदेंगे लेकिन उसके वावजूद कुछ शिकायतें मौसूल हुई कि वे चार रुपये खरीद रहे हैं । सिर्फ दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा रखना कुछ इनऐडिक्वेट समझा गया, इनसफिप्रिशिएंट समझा गया । डिप्टी स्पीकर माहव, यमुनानगर केन कट्रोल बोर्ड ने यह तय किया with the consent of all concerned in the Government कि साढ़े तेरह रुपये क्विंटल गन्ना लेंगे लेकिन मिल ने यूनिलेटरली साढ़े नौ रुपये का भाव कर दिया । इसलिये गवर्नमैंट के डिसिजन को इम्पलीमैंट करने के लिये केवल दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा के प्रोविजन को इनसफि– शिएंट समझा गया क्योंकि करोड़पति आदमी यदि रोजाना ही गवर्नमैंट डिसिजन को वायलेट करता पे तो भी दो हजार रुपये देकर के वह अपनी जान छुड़ा सकता है । इसलिये इस पैनल्टी को डैटरैन्ट किया गया और कोगनिजेबल औफेन्स बनाया गया । मैं समझता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाबू मूलचन्द जैन जी को अपनी अमैंडमैंट वापस ले लेनी चाहिए ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, के जवाब को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी अमैंडमैंट वापस लेता हूं ।

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the amendment ?

(**Voices :** Yes)

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10.

Mr. Deputy Speaker : I have received notice of an amendment to this clause from Shri Mool Chand Jain. He may please move his amendment.

श्री मल चन्द जैन सम्भालखा : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी अमैंडमैंट यह है कि

Delete clause (a) and renumber clause (b) as clause (a).

'ए' पार्ट में यह है कि पहले परचेज टैक्स डेढ़ रुपया क्विटल था लेकिन अब इस क्लाज के द्वारा अमैंडिंग बिल में दो रुपये क्विटल करने का सुझाव रखा है । यह तो बड़ी फैक्टरीजके लिये रखा है और एक रुपया जो खांडसारी यूनिटस है उन पर लगाया है । मैं डन खांडसारी यूनिटस के बारे मैं यह चाहता हूर कि इन पर न रखा जाए । मैं तो साफ तौर पर यह समझता हूं कि जाहिरा तौर पर यह टैक्स परचेजर पर है, लेकिन वास्तव में यह टैक्स परचेजर पर नही किसान पर है । इस बात को मन्त्री महोदय स्वीकार करे या न करे लेकिन वास्तव में यह टैक्स किसान पर है । खांडसारी यूनिटस की वे कीमते मुकर्रर करेंगे चाहे गन्ने की कीमते शूगर कन्ट्रोल बोर्ड मुकर्ररू करे या ये करेंगे कीमतें गन्ने की अवश्य मुकर्रर होगी । तो वे उसी हिसाब से मुकर्रर होंगी जिस हिसाब से बडी फैक्टरीज की या खांडसारी यूनिट्स को पड़ता खाता हो! वैसे तो मन्त्री महोदय का इस बात के लिये मैं स्वागत करता हू, उन्होंने जमना नगर सरस्वती शूगर मित्र को कस कर फार्मर्ज को पूरा भाव दिलाया है । हरियाणा सरकार ने यह

बहुत अच्छा काम किया हे लेकिन पक बात पर ध्यान देना होगा कि जो कोओपरेटिव शुगर मिल्ज है उनको महंगे भाव में घाटा उठाना पड़ेगा और उन कोओपरेटिव शूगर मिल्ज के जो मालिकान हैं, शेयरहोल्डर्ज हैं, वे सभी किसान हैं । सभी किसानों ने शूगर मिल के शेयर लिये हुए है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसान न हो और शूगर मिल में शेयर होल्डर हो मेरे ख्याल में 90 या 95 फीसदी किसानों ने शेयर खरीदे हुए हैं । इसलिये जो भी घाटा उठाना पड़ेगा वह किसानों को उतना पड़ेगा किसी और को बरदाश्त नहीं करना पडेगा ।

एक बात मिनिस्टर साहब ने यह कही है कि एनेबलिंग प्रोविजन है, चाहे कार्यवाही हो या नहीं हो या देररू में हो या कब हो लेकिन साथ–साथ उन्होंने आब्जेक्टस एन्ड रीजन्ज में लिखा है कि बीस–पच्चीस लाख फालतू आमदनी होने की आशा रखते हैं । तो बीस पच्चीस लाख रुपये परचेज टैक्स की इसी साल में आमदनी तभी होगी जब यह डेढ रुपये से दो रुपये इसी साल कर देंगे या अगले सीजन मैं सन 1 978 में नवम्बर और दिसम्बर के महीने में लागु कर देंगे । सन 1 978 की क्रौप पर यह लगाय। जाये तभी आमदनी हो सकती है । इसलिये मेरी राय में तो यह टैक्स जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए ।

डेढ़ रुपये क्यिंटल ही खना चाहिए और खांडसारी पर बिस्कूल टैक्स नहीं लगना चाहिए वरना फिर वही बात होगी जैसे यू0पी0 में खांडसारी यूनिटस बेशुमार है । उस तरफ यमुना नगर

का जो इलाका है या पानीपत का है या सोनीपत का है, वह सब गन्ना पैदा करता है । गुडगांव हो या चाहे करनाल हो, इस सारे रकबे में गन्ना ज्यादा माला में पैदा होता है । परली तरफ जमना पार यू0 पी0 में भी बेशुमार गन्ना पैदा होता है । वहां पर यू0 पी0 में खांडसारी यूनिटस पर कोई टैक्स नहीं है । उसका नतीजा यह होगा कि खाडसारी यूनिटस हमारे यहां नहीं लगेगी इसलिये अन्त में वह नुक्सान भी किसान को ही होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में विचार कर ले । यह जो एक रुपया टैक्स है यह न लगाया जाये और न ही डेढ से दो रुपया किया जाये । यह टैक्स वास्तव में किसानों पर पड़ेगा । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य खुरशीद अहमद पदासीन हुए ।)

Mr. Chairman : Motion moved —

Delete clause (a) and renumber clause (b) as clause (a).

सिंचाई एथ विद्युत मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य ने एक तो यह कहा कि यह टैक्स दरअसल किसान पर है । मैं यह कहता हूं कि यह टैक्स किसान पर नहीं है वल्कि परचेजिंग परसन पर है, चाहे वह फैक्टरी है चाहे वह खांडसारी है । उससे यह परचेजिंग टैक्स लिया जाता है । जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि यह एनेबलिंग प्रोविजन है । यह कोई जरूरी नहीं कि हम दो रुपये करेंगे एक भी किया जा सकता है और आठ

आने भी किया जा सकता है । यह तो सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है । जहां तक खांड– सारी यूनिटस का ताल्लुकहै, उस पर पहले कोई परचेज टैक्स नहीं लग सकता था लेकिन अब उसको भी शामिल किया गया है और यह कहीं नहीं लिखा गया है, जैसा कि बाबू मूल चन्द जैन ने फरमाया है कि इसके आब्जेटस एन्ड रीजन्ज में यह लिखा हुआ है । यह कहीं नहीं लिखा है कि 20– 25 लाख रुपये की आमदनी बढ़ जायेगी । इस बिल की एक कापी मेरे पास भी है । कही पर भी 25 लाख का शब्द हो तो वे बता दें ।

Shri Mool Chand Jain : In the Financial Memorandum it is stated—

"2. These measures are likely to bring an annual income of Rs. 20-25 lakhs to the State Exchequer".

श्री वीरेन्द्र सिंह : फाइनेन्शल मैमोरेन्डम में जो फिक्रा लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स आज से ही दो रुपये कर दिया जायेगा या खांडसारी यूनिटस का जो एक–एक रुपया है उस पर टैक्स लगा दिया जायेगा । डेढ़ का भी हम एक रुपया कर दें तो भी जस्ट पोसीबल है कि उससे 20– 25 लाख रुपया बढ़ जाये । लेकिन डेढ़ से दो की जो एप्रिहेनशन है, वह कोई जरूरी नहीं है कि इस वक्त से बढ़ायी जाये । किसान पर पर उसका कोई बोझा नही एं । जो लोग खांडसारी यूनिटस लगाते हैं या शूगर मिल चलाते हैं वे वेल–टूडू –होते हैं । तो मैं इसमें

कोई ऐसी बात नही समझता । इसलिये आज तो बाबू जी अच्छे मूड में हैं और वे शायद इस अमैंडमैंट को भी वापिस ले लेंगे ।

श्री सभापति : क्या बाबू मूल चन्द जैन जी इस अमैंडमैंट को आप वापिस लेंगे?

श्री मूल चन्द जैन : अगर ये ऐसा कहते हैं तो मैं वापिस ले लेता हूं।

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

(**Voices :** Yes).

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr, Chairman : Question is —

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11

Mr. Chairman : Question is—

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Chairman : Question is-

That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is--

That the Enaeting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question

That The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** beg move—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase

and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

चौधरी रिजक राम (राई) : चेयरमैन साहब,

श्री सभापति : चौधरी साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आपने पास की है । Please remain within that limit.

चौधरी रिजक राम : मैं तो सिर्फ एक मिनट ही लूंगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : इनको तो वाइस चांसलर बना दो. ... । (व्यवधान व शोर)

चौधरी रिजक राम : आप उनकी ही बात सुन लो । चेयरमैन साहब, हीरा नन्द आर्य जी ने एक तजवीज गई है, मैं उसके बारे में यह कहना चाहता है कि वाइस चांसलर बनने का तो इनका स्टैन्डर्ड है । अब इनका स्टैन्डर्ड मैं थोड़े ही अडाप्ट करूगा । लो चेयरमैन साहब, मैं एक बात मन्प्ती महोदय से पर्चियों की हेरा फेरी, रिश्वत बौर भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हू कि उन्होंने जो बताया है कि इस किस्म की एक शिकायत थी, उसकी इन्यवायरी हुई है और वह साबित नहीं हो सकी है । मैं एकही बात निहायत नम्रता के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा ही सहज तरीका है किसानों ने अपना गन्ना मिलों को देना था । कितने वे किसान हैं, जो बा–रसूख हैं या जिनकी मैंनेजमेंट मैं या वहा के कार्यकर्ताओं में स्थ से वाकफियत है । जितने भी ऐसे लोग हैं, उन्होने अपना तो सारे का सारा गन्ना दे दिया और कितने ही ऐसे किसान हैं जिनका गन्ना अभी तक भी नहीं लिया

गया है । गन्ना अभी भी उनके पास ही पड़ा है । इस बात की जांच करा लो कि किन लोगों को इतनी पर्चियां दी गई और उनका सारा गन्ना मिल ने लिया है । ऐसे किसान जिनसे गन्ना नही लिया गया वे बहुत ज्यादा है, जिनसे लिया गया है, उनकी परसैटेज शायद 5 प्रतिशत ही हो । मेरा कहने का मकसद यह है कि वहां पर इतना भ्रष्टाचार चल पा है कि जिसकी कोई हद नही है । मैं यह बात कोई शिकायत की नीयत से नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं तो इस लिये कह रहा हूं कि किसान आज इस वजह से बहुत परेशान है कि इसमें बहुत ही हेरा फेरी है । मैं यह भो कहना चाहता हू चेयरमैन साहब कि सोनीपत शूगर मिल के जो चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर साहब है, उन्होंने खुद मुझसे यह कहा कि हम भ्रष्टाचार और इस हेराफेरी पर कन्ट्रोल नही कर सकते । मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप वहा जाकर चाहो तो इस बात को मालूम कर लो कि वहां पर भ्रष्टा– चार था या नहीं । लेकिन मन्त्री महोदय ने तो सोनीपत जाने का. नेम कर रखा है एक दफा सिफ उसको तोड़ने के लिये वहां पर गये थे । इनको तो हिसार का और सिरसा का एक–एक गांव जाकर अभी कवर करना है, जब तक वह नहीं हो जाता वह कहीं और जा ही नहीं सकते । बाकी जिलों में तो फिर जायेंगे । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अगर वहां पर जायें तो इनको पता लग जायेगा कि वहां पर कितना भष्टाचार है, मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय एक द फा वहां जाकर सोनीपत शूगर मिल में जो कुछ हो रहा है, वह मालूम कर लें, इनको खुद पता लग जायेगा ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा अरबन (कंट्रोल आफ रैंट एंड इविक्शन) अमैंडमैंट बिल, 1978

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री सभापति : श्री हीरा चन्द आर्य ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू :आन ए प्यायंट आफ आर्डर, सर, मैं चेयरमैन साहब आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल सुषमा जी ने अपने बिल को एक्सप्लेन किया था, जब उन्होने वह बिल इडोडयूस किया था, उसी प्रकार से मिनिस्टर साहब को हाउस में यह बिल इटरोडयूस करते वक्त यह

बताना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ी है इसको इडोड्यूस करने की ।

Mr. Chairman : A member from the Treasury Benches has been called upon to speak. He will explain it during his speech.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : सुषमा जी ने भीतो इडोड्यूस करते वक्त एक्सपलेव किया था, वे भी एक्सप्लेन कर दें तो क्या हर्ज है?

वित मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : बिल के पीछे जो स्टेटमैंट आफ. आब्जैक्टस एन्ड रीजन्ज दी हुई हैं, उसमें दिया हुआ है, वह पढ़ लें । (व्यवधान व शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : चेयरमैन साहब, आज के दिन जो हरियाणा अर्बन(कन्ट्रील आफ रैट एन्ड इविक्शन) अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है मैं इसका उस हद तक तो. समर्थन करता हूं जिस हद तक जनता पार्टी ने जनता से जो वायदा किया था कि जुडीशियरी को ताकत पुनरू देंगे, वह ताकत पुनरू जुडीशियरी को दी गई है । जुडींशियरी को ताकत देने के बारे में सैक्शन 8 है जिसके द्वारा पुन उसे अधिकार दिया गया है । हमने जनता के सामने यह वायदा किया था उसको पूरा करने के लिये हमने यह कदमें बढ़ाया है । लेकिन..... (चौधरी जगजीत सिंह जी की ओर से विघ्न)

श्री सभापति : काम की बात कहने लगें तो आप इन्ट्रप्ट कर देतें हैं । ..... (विध्न व शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य : मैं यह समझता हूं कि 1973 में जो अमैंडमैंट पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रो–लैडलार्ड की थी, जो एक विधान बनाया गया था, वह उन्होंने मालिकान के हक में पास किया था । अगर हम इस बिल को इसी तरह से पास कर देते हैं तो यह मालिकान के हक में एक और कदम आगे होगा । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो अमैंडमैंट सैक्शन 5 द्वारा प्रोपोज की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि इसे पास कर देने से टेनेन्टस की सिक्योरिटी नही रहेगी । आपको पता ही है लैड लार्ड साधन सम्पन्न होता है और वह साधन सम्पन्न होने के नाते, गलत तरीके इस्तेमाल करके चाहे कोई बीस–बीस साल से किरायेदार बैठा है, उनसे खाली करवा लेगा और टैनेन्टस को खाली करना पड़ेगा । अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जनता के सामने जो वायदा करके आये है, उस वायदे को पूरा नहीं करेंगे ऐसा कहने में मुझे कोई शक नहीं है । मैं तो यहां तक समझता हूं कि जिस प्रकार से करनाल के चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहाहै, उसमें जनता ने जनता पार्टी को एक झटका दिया है (व्यवधान).. जनता पार्टी जीत रही है और जनता यह चाहती है कि जनता पार्टी की सरकार अपनी पालिसी को ठीक करे । इसीलिये जनता ने जनता पार्टी में अब फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है ।. मैं मन्त्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस विल को अभी पोस्टपोन करके जो यह

किरायेदारों के, टैनैन्ट्स के विरुद्ध पेश किया है, इसको वापिस लिया जाये । दोबारा इस पर विचार करके इस बिल को लाया जाये । क्लाज 5 द्वारा प्रिंसीपल एक्ट का जो सैक्शन 13 है उसमें यह अमैंडमैंट की जा रही है ।

"(ii) he requires it for use as an office or consulting room by his son who intends to start praetice as a lawyer, qualified architect or ehartered accountant or as a "registered practitioner" within the meaning of that expression used in the Punjab Medical Registration Act, 1916, the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963, or the Punjab Homoeopathic Praetitioners Act, 1965, or for the residence of his son, who is married" :

तो जो मैरिड हैं, एक तो उसके लिये खाली हो सकती है, दूसरे जो अनमैरिड हैं, जब उनकी शादी हो जायेगी वे इन्डीपैन्डैन्ट हो जायेंगे उनके लिये भी खाली हो सकती है । आपको पता ही है आजकल कोई भी अनमैरिड तो रहता ही नहीं है क्योंकि लड़कियों की कमी नहीं है । या वे किसी ऐसे आदमी के नाम करा देंगे जो नौजवान होगा, उनके नाम करा कर वे टैनेन्ट्स से खाली करवा लेंगे । इसलिये मैं यह दरखास्त करता हूं मन्त्री महोदय से और सरकार से कि जिस प्रकार से सिक्योरटी आफ लैड टैन्योर एक्ट के तहत मुजारे को यह अधिकार दिया गया है कि वह जमीन खरीद सकता है, उसी प्रकार से इस एक्ट के तहत किरायेदार को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे भी उसे खरीद सकें । मैं यह चाहता हूं कि अगर जमीन खरीदने का

उनको अधिकार मिल सकता है तो क्यों नहीं किरायेदारों को भी यह हक मिल जाए कि वे जो भी उसकी रैन्टल वैल्यू है उसका वन–थर्ड या जिस किसी भी प्रकार से इन्सटालमैंट्स में या कुछ हिस्सों में उसकी पेमैंट करके उसे खरीद सकने का अधिकार दिया जाये । जिससे हम यह साबित कर सकें कि वास्तव में जनता पार्टी ने जनता के सामने जो वायदा किया था कि हम वीकर सैक्शन को पर उठाने के लिये काम करेंगे । किरायेदार आम तौर पर गरीब होता है और इसी वजह से वीकर सैकशन को 0ंचा उठाने के लिये सही तौर पर इन्तजाम हमको करना चाहिए और अपने वायदोंको पूरा करना चाहिए । इसी तरह से क्लाज ' 4' में जो ' 6' ए' जोड़ी जा रही है वह वास्तव में बिल्कुल ठीक किया है । इसमें कुछ गल्त नहीं है । मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर किरायेदार चौक, ड्राफट या मनीआर्डर से पैमैंट करे तो वह भी वेलिड टेन्डर गिन लेना चाहिए क्योंकि अदालत में अगर वह देगा तो कई बार टाईम ज्यादा लग जाता है, ज्यादा खर्च करना पडता है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । इसी तरह से यह जो क्लाज 2 है उसमें. पहले एक्ट में यह था –

"(3) Nothing in this Act shall apply to any building the construction of which is completed on or after the commencement of this Act for a period of ten years from the date of its completion".

इसको मैं समझता हूं कि ऐन्टी–टेनेन्ट है । 1973 में जो एक्ट बना था उसमे यह था. इसमें अमैंडमैंट करने की बजाए उसको ही खत्म करदेना चाहिए था पहली सरकार प्रो– लैंड लार्ड थी (व्यवधान) । इसलिये मैं चाहता था कि उसको खत्म ही कर दिया जता न कि उसमें एडीशन की जाती । यह ठीक है कि जनता पार्टी का मैम्बर होने के नाते मुझे इस बिल का समर्थन करना ही पड़ेगा । लेकिन मैं समझता हूं और मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर फिर से गौर करें और जो टेनेन्ट के खिलाफ बातें हैं उन पर दुबारा से विचार करें ताकि हम सही मायने में जनता पार्टी के प्रतिनिधि साबित हो सकें ।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : स्पीकर साहब, यह जो बिल हरियाणा अर्बन (कस्ट्रांल आफ रेट एन्ड इविक्शन) अमैंन्डमैंट बिल, 1978 हाउस के अन्दर रखा गया हे इसके. बारे में मैं मन्त्री जी का ध्यान सैक्शन 5 के नीचे जो 3 ए नया सैक्शन ऐड किया जा रहा है, की ओर दिलाना चाहता हूं । इससे जनता को बहुत भारी नुक्सान होने का अन्देशा भी है और इससे बहुत भारी कुरप्शन होगी । इसमें लिखा है –

"(3A) In the case of a non-residential building, a landlord who stands retired or discharged from the armed forces of the Union of India on who was a minor son at the time of death of the deceased landlord "

चेयरमैन साहब, यहां तक तो हम सहमत हैं कि कोई फौजी नौजवान रिटायर होकर आता है तो सरकार उसको सहूलियत दे, हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसमें सरकार यह करे कि इस एक्ट के बनने के पहले उसकी प्रापर्टी होनी चाहिए और जब वह रिटायर होकर आए तो उसे स कराने का हक हो । इसमें कोई नुकसान नहीं है । अगर रिटायर होने से दो दिन पहले कोई लैडलार्ड उस फौजी को एप्रोच कर लेता है या उसको कोई लोभ देकर किसी तरह से उस फौजी को अपने साथ मिला लेता है अथवा वह फौजी ही रिटायर होने से दी दिन पहने कोई जायदाद खरोद लेता है तो जो टेनेन्ट पिछले बीस साल से बैठा है वह कहां जाएगा । वह लैंड लार्ड जिसकी जायदाद खाली नहीं हो रही है वह उस रिटायर होने वाले फौजी भाई से मिलकर बेचारे गरीब टैनेन्ट को बाहर निकाल देगा । इस प्रकार वे इस गीज का बड़ा मिसयूज होगा । चेयरमैन साहब, मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इस बात पर वे विचार करें । मेरा' कहना यह है कि जो फौजी भाई रिटायर होकर आता है और अगर उसकी प्रापर्टी इस एक्ट के बनने से पहले है तो वह खाली करचा सकता है लेकिन अगर इस सट के बाद वह प्रापर्टी बनाता है तो उस पर यह रूल लागू नहीं होना चाहिए ।

दूसरी बात माईनर सन के बारे में हैं । इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । इससे क्या होगा कि एक तो यह हो जाएगा कि जो लैड लार्डज हैं, वे कभी बच्चे पैदा

करना बन्द नही करेंगे (व्यवाधान) चेयरमैन साहब, यह मजाक में टालने की बात नहीं है । यह बहुत जरूरी मसला है । माइनर सनकी जो बात है उसके बारे –में अगर लैंडलार्ड के एस माइनर–सन है वो यहां तक तो ठीक है । अगर एक माइनर–सन हो और दूसरा कोई लड़का न हो..

चौधरी हरस्वरुप बूरा : चेयरमैन साहब, मेरे साथी ने यह नही देखा कि फादरलैस शब्द दिया हुआ है अगर फादर नही होगा तो बच्चा कहां से पैदा होना ।

श्री मांगे राम गुप्ता : चेयरमैन साहब, फादरलैस दो –तीन बच्चे भी हो सकते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आप माइनर को तो सहूलियत दे रहे हैं और दो या तीन बच्चे बड़े हों डो वे उस माइनर का फायदा उठाएंगे और इस तरीके से इसका मिसयूज किया जाएगा । आप जो टेनेन्ट्स को फायदा पहुंचाना चाहते है वह फायदा उसको नहीं हो पाएगा बल्कि बड़ा भारी मिसयूज होगा । चेयरमैन साहब, मैं हाउस का ज्यादा समय न लेता, हुआ मच्छी जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस––पर गौर करे जिससें कि इस अमैंडमैंट का मिसयूज न हो सके ।

श्री बलदेव तायल (हांसी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं इस अमैंडिंग बिल का स्वागत करता हूं । कांग्रेस सरकार ने एक बिल के द्वारा टेनेन्ट्स के अधिकारों का हनन किया था, उनके अधिकार छीन लिए थेऔर जुडिशियरी से निकालकर सारे के सारे

मामलात एग्जैक्टिव को दे दिए थे । यह देखने में आया था कि कई साल से इस तरह । के केसिज पैंडिंग हैं । इस बिल के द्वारा वे मुकद्दमात फिर जुडिशियरी को चले जाएंगे और लोगों को इन्साफ मिलेगा तथा टेनेन्ट्स के लिए एक नया दिन आएगा । इसके साथ–साथ मैं मन्त्री जी का ध्यान बिल की कई क्लाजिज की ओर दिलाना चाहूंगा । मन्त्री महोदय ने क्लाज 6 ए के द्वारा चेष्टा की है कि टेनैन्ट्स को राहत मिले, टेनैन्ट्स के साथ ज्यादती न हो, उनका किराया डिपोजिट हो जाए । अगर लैडलार्ड शरारत करता है तो टेनैन्ट्स को रास्ता दिखाया गया है कि वह किराया अदालत में जमा कर दें । अक्सर यह होता है कि कई बार लैडलार्डज किराए के दस्तखत नहीं देते । टेनैन्ट्स गरीब होता है, अनपढ़ सरकारी नौकर मजदूर या गरीब दुकानदार होता है । उसके पास न समय होता है, न पैसा होता है परन्तु फिर भी उसको कचहरी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं । इस सिलसिले में दरखास्तें देनी पड़ती हैं, वकील करना पडता है । मन्त्री महोदय से मेरी दरखास्त है कि जहां टेनंन्ट्स को इतनी राहत देने की चेष्टा की है वहा इसमें एक क्लाज और एड कर दें कि अगर बिना किसी सफीशेंट ग्रांउड के कोई लैण्डलार्ड किराया लेने के लिये नहीं आता और किरायेदार को वह किराया कचहरी में जमा करवाना पड़ता है तो some penalty should be imposed on that landlord and he should be made to pay the cost. इससे किरायेदार को बड़ी दिक्कत होती है, उसका खर्चा होता है और लेण्ड लार्ड की शरारत के कारण उसे तकलीफ उठानी पड़ती है ।

इसलिये यह सारा खर्चा उस पर ही पड़ना चाहिए । मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार इस पर जरूर गौर फरमाये । इससे आगे क्लाज 5 के बारे मेरी गुजारिश है कि यह क्लासीफिकेशन क्यों? या तो यह राहत इंजीनियर्ज को भी और दूसरी क्लासिज को भी दो, वकीलों और डाक्टरों के कोई चार चांद नहीं लगे हुये, ऐसा नहीं होना चाहिए या तो यह राहत वकीलों और डाक्टरों से भी उड़ा दो या फिर यह राहत सब के लिपे हो । यह इनइक्वैलिटी कि एक क्लारा 'के लिये एक कानून और दूसरी क्लास के लिये दूसरा कानून यह बात कहां तर्क उचित है? यह मेरी समझ से बाहर की बात है । इस लिये मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि इस क्लाज को डिलीट कर दिया जाए अगर डिलीट नही कर सकते तो कोई ऐसा कानून बनायें जिनके जरिये सकको समान अधिकार मिलें । इंजीनियर्ज भी आएं, आर्कीटैक्ट भी आएं दूसरे भी आए, सबको एक समान समझा जाए वरना इस क्लाज को डिलीट कर देना चाहिए । इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं मन्त्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि इन सब बातों की तरफ उचित ध्यान दिया जाए ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोनने का टाईम दिया । मैं आपके जरिये अपने वजीर साहब, डा0 मंगल सैन जी से कहूंगा जो कि हमारे साथ मीसा में जेल में रहे हैं, वहां भी. वे

अमूमन जिकर करने थे यी जो बगल हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियंत्रण)

संशोधन विधेयक 1978 इस हाउस में आया है, यह बहूत इम्पौर्टटैन्ट बिल है । इस बारे में मैं अपने वजीर साहब से कहूंगा, हमारा कहने का हक भी है कि इस बिल को जल्दी में न पास किया जाए, यह सारा मामला एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए क्योंकि हरेक की यह मन्शा है कि सब को रोटी, कपड़ा, मकान दिया जाए । चेयरमैन साहब, शहरों में इतनी जायदाद पड़ी हए, एक एक के पास 5 0— 50 दुकाने—मकान हैं और कई किस्म की अ। मदनी के साधन भी हैं । जैसे देहात में लैण्ड सीलिंग लागू कर दी जाए, हमें इससे कोई एतराज नहीं ताकि इससे गरीबों को राहत मिले लेकिन शहरों में भी अरबन प्रोपटी पर सीलिंग लगायें और वहां से जो प्रापटी मिले । वह गरीबों को दें । कई ऐसे टेनैन्ट्स हैं जो बेचारे दुकानों की मकानों की जितनी कीमत पड़ती है, उतना तो वे किराया भी दे चुके हैं. और उन्हें हर किस्म की तकलीफ होती है, यह मर्ज बहुत पुरानी है, काग्रेस सरकार तो इसे ठीक नही कर सकी पर जनता सरकार को तो इसे ठीक करना चाहिए, इस तरह का कोई प्रोवीजन इस एक्ट के अन्दर आना चाहिए । यह बातें तो मामूली हैं कि एग्जैक्टिव से जुडिशियरी में चली जाने और जुडिशियरी से एग्जैक्टिव में चली जाए । इसलिये मैं अपने वजीर साहब को यह कहना चाहता हूं कि वे इस बिल को मामूली बिल न समझें, यह

प्रोलैन्डलार्ड है, इस पर कुछ लोगों का दबाव है इसमें पैसे . वालों को, लैन्डलार्डज को इतनी फैसिलिटीज दी गई हैं, यह अनकांस्टीयूशनल –रहे, कांष्टीटयूशनल नहीं है । मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मुजारा जिस तरह से गांव की जमीन पर बैठा हुआ है उसको ठीक कीमत पर जमीन खरीदने का हक –होना चाहिए, उसी तरह से शहरों में भी अगर कोई टैनेन्ट्स बैठा हुआ है तो उसको भी उस का मालिक बना दिया जाए और उससे बहुत नार्मल प्राईस ली जाए और वह सरकार ले, फिर सरकार आगे लेन्डलार्ड को वह नार्मल प्राईस दे । जिस तरह सरकार से कर्जा लेकर लोग मकान बनाने है उसी तरह से सरकार किश्तों में ले और किश्तों में दे । इस लिये टेनैन्ट्स को प्रापर्टी राइट्स दिये जाएं और इस बात की जनता पार्टी के आनरेबल मैम्बर भी ताईद करेंगे और जनता पार्टी का विकार भी इससे बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी से हुसको पर करके दिखाएंगे । सरकार जब गरीबों से वोट लेकर आई थी उस वक्त गरीबों को यह कहा गया था कि आपको मालिक मकान बनाया जाएगा, इलैक्शन मैनीफेरटों में भी ऐसा है इसलिये जितने भी लोग शहूरों में बैठे हुए हैं उनसे थोड़ी थोडी कास्ट सरकार खुद ले और लेन्डलार्ड को दे और उनको आज से ही मालिक बना दिया जगा यौन यी जो दिन आज हाउस में जेरे गौर है, इसको आज ही पारा न किया जाए, इसमें बडी कम्पलीवेशनज' हैं । इसको एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए और दोबारा फिर सैशन बुलाकर

उस पर गौर किया जाए । इतना कहते हुए चेयरमैन साहब मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : चेयरमैन साहब, आज हा0स के सामने जो हरियाणा अरबन (कन्टरोल आफ रेण्ट एण्ड इविक्शन) अमैंडमैंट बिल, 1978 आया है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं इस बिल के मुताल्लिक कुछ शब्द कहने जा रहा हूं । चेयरमैन साहब, अपना क्यना नजरिया होता. है । अगर इस स्वइल के एग्क और आब्बैक्ट्स को फा जाए तो तीन बातें खास तौर से इस बिल के अन्दर कहीं गई हैं, जैसे एक तो नानरैजीडैंशियल बिल्डिंग्ज जो 31–3–62 के बाद लैट आउट की गई थीं, वे ण्क्ट के परव्यु से बाहर रखी गई, दूसरे रैजीडैऐंशल बिल्डिंग्ज बनने के बाद. दस साल तक एग्जैम्पट कर दी गई और तीसरे रैन्ट के डिपाजट करने के बारे में इस बिल में प्रोवीजंज रखी गई हैं । उन को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल प्रो लैन्ड लार्ड नहीं है, प्रो–टेनैन्ट है और इसके लिये मैं अपने मन्त्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं । मेरा हर साथी अपने अपने ढंग से बोला है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, केवल दो तीन सुझाव ही देना चाहता हूं । एक तो यह है कि जो पास की बिल्डिंग्ज में रैन्ट का डिफरैन्स है, यह ठीक नहीं है क्योंकि एक दुकान है जिसका किराया 10 रुपये है और एक उसके साथ लगने वाली दुकान है, जिसका किराया 300 रुपये है, इन दोनों को देखते हुए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा. कि इसके

लिये एक रैन्ट टेबल होना चाहिए ताकि यह जो इतनी भारी डिस्किपैसी है यह खत्म हो सके । इसी कारण लोग कोर्ट –में जाते हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कतें होतीहै, लोगों को इससे राहत मिल सके । अतः सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए । इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से साथियों के अपने मकान बने हुए हैं लेकिन वे किराये पर रह पे हैं और अपने मकानों को किराया पर दे रखा है क्योंकि उन्होंने जो मकान ले रखे है वह बहुत पहले के कम किराये पर ले रखे हैं और अब उन्होंने अपनी आमदनी के हिसाब से अपने मकान बना लिये हैं और वे अपने मकानों का किराया 50 0–6 00 रुपये मासिक लेते हैं और खुद 40– 50 रुपये महीने पर मकान लेकर रह रहे हैं । तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह कोई ऐसा कानून बनाये कि यदि किसी व्यक्ति का अपना मकान है और वह दूसरे के मकान में रह रहा है तो उस मकान मालिक को उसको इविक्ट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए । इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

मास्टर शिव प्रसाद (अम्बाला शहर) : आदरणीय चेयरमैन साहब, सदन के सामने जो बिल रखा गया है इसका स्वागत करते हुए भी कुछ सन्देह ऐसा मन में है जिसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल में जो किरायेदार के लिये समस्या थी जैसे मालिक

ने किराया लेना बन्द कर दिया और मनी– आर्डर वापिस कर दिया उस समस्या का हल इस बिल में कर दिया गया इसलिए मैं इसका स्वागत करता हू दूसरी बात यह है कि जो कन्ट्रोलर के हाथ से सारे केसिज निकाल कर जजिज के पास जा रहे हैं, यह भी स्वागत के योग्य बात है । लेकिन इसके साथ–साथ मैं कुछ बातों की ओर छगन दिलाना चाहता हूं । पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस सरकार ने समाज के लोगो को 'खाओ पाओ और ऐश करो' का नारा दिया । इससे लोग आपस में ताल्लुक छोड्कर पैसा इकट्ठा करने के पीछे भाग रहे है । इस चीज को ध्यान में रख कर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूगा कि आज एक बीमारी सारे देश के अन्दर' बढ्ती जा रही है । वह बीमारी है पगडी लेने की । यह बीमारी बडे बड़े, शहरों से निकल कर अब छोटे शहरों और कसबों तक पहुंच गई है । क्योंकि जब किसी दुकान के मालिक को यह लालच मिल जाएगा कि उसकी दुकान खाली होने के बाद उसे पांच या दस हजार पगड़ी मिल सकती है तो वह उन बातों का सहारा लेकर जिनका जिक्र इस बिल में किया गया है, दुकान खाली करवाना चाहेगा । इसके लिये मैं लहना चाहता हूं कि शायद ऐसा नियम है कि अगर कोई चार महीने तक दुकान को बन्द रखता है तो वह दुकान खाली हो सकती है । जब वह चार महीने में खाली हो सकती हए तो फिर इसमें 12 महीने का समय क्यों रखा गया है । जहां तक हमारे मिलिटरी के भाई जो रिटायर होते हैं उनका सवाल है, उनके बारे में कहा गया है यदि उनको जरूरत हो तो वह अपनी दुकान या मकान खाली करवा सकते हैं

। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो सर्विस के बाद कारोबार करना नहीं चाहते बल्कि किसी प्राइवेट नौकरी की तलाश में रहते हैं ऐसे आदमी दुकान खाली करवाने के बहाने पहले दो चार महीने अपनी दुकान खोल लेने और बाद में उसे पगडी लेकर फिर किराये पर दे देंगे तो ऐसा करने से कुरप्शन को बढावा मिलेगा । एक भाई 10— 1 5 साल मेहनत करके अपने खुन पर्सीने की कमाई से अगर दुकान का काम ठीक चलाता है और उसके बाद उसे इस तरह से दुकान खाली करने के लिये कह दिया जाए तो वह बेचारा कहां जाएगा । यह तो वही बात हुई कि एक घर उजाड़ कर दूसरा घर बसा दिया गया । ऐसा करने से तो पहले वाला रोटी से भी महफूज हो जाएगा । मिलिटरी से या दूसरी सर्विस से जो भाई रिटायर होकर आते हैं उनके लिये यह तरीका है कि जो दुकानें हमारी म्यूनिसिपल कमेटियां या इम्प्रुवमैट ट्रस्ट बनासे हैं उनमें उनको प्रैफरैन्स दे दिया जाए । यह दिक्कत ज्यादातर शहरों और कसबों में है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है । इसलिये इसकी ओर सरकार ध्यान दे । इसके बाद इस विल में एक जगह नाबालिग बच्चे का शब्द आया है । इसमें शक नही कि अगर किसी का एक ही बच्चा है और वह दुकान खाली करवाना चाहता है, तब तो ठीक है लेकिन अगर किसी के दो तीन बच्चे हों और दुकान खाली करवाने के लिये वह दुकान नाबालिग बच्चे के नाम पर करवा देता है तो यह बात ठीक नही है, इससे कुरप्शन और भी बढ़ेगी । एक तरफ तो हम कहते हैं कि कुरप्शन को खत्म करना है लेकिन दूसरी तरफ ऐसी प्रोवीजन से कुरप्शन और बढेगी इसलिये सरकार

इम तरफ भी ध्यान दे । इसके बाद मान लो एक दुकानदार किराया भी नही देता है औन्रू वह दकान के अन्दर तोड फोड करता है या कुछ किरायेदार ऐसे भी है जो पगडी लेने के लिये दुकान सब–लैट कर देने है । दम बीस रु0 महीना किराया खुद देने है और दो तीन सौ रु0 पर सब–चौट कर देते हैं ऐसे किरायेदारों की तरफ भी सरकार को ध्यान (एना चाहिए । इसके लिये ऐसा कानून चाहिए कि अगर कोई दुकानदार दुकान कौ सब–नैट करता है तो उससे फौरन दुकान खाली करवा ली जाए । मैं आखिर में निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं इनको ध्यान में रख कर बिल पास किया जाए ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे जो बाते हाउस में कही गई हैं उनमें में जो इसके अच्छे फीचर्ज है मिसाल के तौर पर एग्जैविटव से निकाल कर ये केसिज जुडिशियरी को देना, रैन्ट का डिपाजिट करवाना, 3 1–3– 62 के बाद की बनी जिन दुकानों पर यह एक्ट लागू नहीं होता था अब उन पर भी लागू करना बशर्ते कि वे नई न बनी हों, इन सारी बातों के लिये मैं नन्दी महोदय को बधाई देता हूं । कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं बहुत जल्द–जल्द कहूंगा क्योंकि बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है । कई सदस्यों ने कहा कि इस बिल में लैड सीलिंग कानून की तरह कुछ धारा रखी जानी चाहिए । सन् 1949 हे यह कानून बना हुआ है और बाद ये 1973 में हरियाणा ने इसको कुछ दूसरा रूप दिया । सरकार ने जो

कमेटी बचाई बी उसक ओं ये सुझाव भेजे गये थे जैसे कोई आदमी 20 वर्ष से किसी दुकान या मकान में बैठा है और वह खुद भी 29 दु कार्गो या मकानों का मालिक है तो मैं नहीं समझता कि ऐसे किरायेदार को उस दुकान में बैठने दिया जाए गौर उसका मालिक बना दिया जाए । मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस सुझाव पर विचार करे । यह मैं मानता हूं कि अब तो यह चीज कार्पोरेट नही हो सकती लेकिन आगे के लिये ध्यान रखें । देहातों के भाइयों को यह शिकायत रही है कि उसकी सम्पत्ति पर तो पाबन्दी लगती है लेकिन शहरी सम्पत्ति पर पाबन्दी नहीं लगती । मैं बहुत नम्रता से.मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह ऐसी सम्पत्ति पर भी पाबन्दी लगाए । फर्ज करो एक गरीब दुकान का मालिक है और उसकी दुकान को किरायेदार ने कानून के मुताबिक । खाली नही किया जबकि उस किरायेदार के पास अपनी भी कई दुकाने हैं तो अगर ऐसे किरायेदारों को मालिक बनाया जाता है तो यह गल्त बात होगी इसलिये इस तरफ सरकार क्ते सोचना चाहिए । अभी एक सुझाव हमारे साथी हरस्वरूप बूरा जी ने दिया था । मैं हमेशा प्रो–टेनैन्ट रहा हूं फिर भी (रक बात की तरफ मेरा ध्यान गया कि अगर एक टेनैन्ट बीस साल से बैठा है और इस दौरान में उसने बराबर में अपनी दुकान बना ली है और वह उसे किराये पर दे देता है । यानी खुद तो सस्ते किराये पर बैठा है और अपनी दुकान ज्यादा किराये पर दे दी है तो ऐसे दुकानदार के लिये बेदखली की इजाजत होनी चाहिए । यह कोई नई बात नहीं है मैंने देखा है कि एक आदमी खुद तो सस्ती दुकान पर बैठा है

और अपनी दुकान उससे दस गुना या बीस–गुना किराये पर चढ़ा रखी है तो ऐसे किरायेदार को बेदखल होना चाहिए । एक बात और कह कर मैं बैठूगा । मन्त्री महोदय ने जो अमैंडमैंट दी है, सरकार की तरफ से जो बिल में अमैंडमैंट आई हैं, उस में कमीशन्ड आफिसर को इस रियायत से निकाल दिया है, उसको कोई रियायत नही होगी । मिल्ट्री का सिपाही जो रिटायर होकर आता है, उसको तो खाली करवाने की इजाजत है लेकिन कमीशन्ड आफिसर को इजाजत नहीं, मैं समझता हू यह मुनासिब नहीं । इजाजत हो तो सब को होनी चाहिए चाहे कोई फौजी सिपाही है, चाहे कमीशड आफिसर है । मेरे भाई श्री मांगे राम ने भी कहा कि इस कानून के द्वारा रिटायर होने वाले फौजी भाइयों को, जो लालची लैडलार्ड है, उसका आलाकार न बनने दिया जाए । मन्त्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन है, जैसा कि पक सुझाव भी आया है, मेरा ख्याल है श्री शिव प्रसाद जी ने दिया था कि इस कानून बनने से पहले अगर कोई मिल्ट्री आफिसर मालिक है और रिटायर होने के बाद अपनी दुकान करना चाहता है तो उसको खाली करवाने के लिये इजाजत होनी चाहिए । अभी तो वह मालिक है नही लेकिन इस कानून ने बेदखली की इजाजत दे दी है । ऐसे किरायेदार भी हैं जिनको मालिक बेदखल नहीं कर सकते । इस कानून के पास होने पर क्या होगा? इसके बारे में मैं सुझाव दूंगा, मेरा सुझाव शायद स्वीकार न हो, और भी कई सुझाव मैंम्बरों की तरफ से आये हैं । मिल्ट्री आफिसर के रिटायर होने से पहले, एक या दो दिन पहले, वह मालिक उस दुकान को उसे

ट्रांस्फर कर देगा, बेनामी भी ही सकती है, मेरे साथी जो वकील हैं और दूसरे भी इस साधारण बात को समझते होंगे रिटायर होने से दो दिन पहले रिटायर होने वाला आदमी मालिक बन जाता है क्योंकि कानून उसको बेदखली की इजाजत दता है । यह बहुत खतरनाक बात होगी किरायेदारों के लिये जहां तक स्व साल के अन्दर–अन्दर कब्जा लेने की बात है, कानून के अनुसार एक साल के अन्दर दुकान का कब्जा अपने पर्सनल यूज के लिये ले सकता है । लेकिन अगर बेनामी ट्राजेक्शन होगी तो मुकद्दमें बढेगे । इसलिये मेरी नम्र निवेदन है और मैंने सुझाव भी दिया है कि अगर रिटायर होने के 10 वर्ष पहले ही वह मालिक बने तो फिर खतरा नहीं क्योंकि 10 वर्ष में बेनामी की बात नहीं आयेगी 10 वर्ष में अगर रिटायर होना है तो कौन मालिक उसके पीछे–पीछे भागेगा और यह देखेगा कि कौन मिल्ट्री आफिसर रिटायर होने वाला है, दस वर्ष के बाद इससे मुकद्दमेबाजी होगी । इसलिये बेनामी की जो गलत भावना है, वह नहीं होनी चाहिए । जो अमैंडमैंट आयेगी उस पर मैं फिर जरूर कहूंगा, आप इन चीजों पर विचार करें । जहां तक बिल में प्रोविजन का ताल्लुक है, यह पहले कानून के मुकाबले में काफी अच्छा है, कुछ लैडलार्ड के खिलाफ भी है । जैसा कि शिव प्रसाद जी ने कहा कि बहुत कम फौजी दुकान कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहें तो फौजी भाइयों को खाली करवाने की इ जाजत होनी चाहिए । अगर एक साल के अन्दर–अन्दर वह फौजी भाई दुकान नहीं करेगा तो उसी दुकानदार को वह दुकान वापिस देगा । मैंने जो सुझाव दिये हैं

इन पर माननीय मन्त्री महोदय ठंडे दिल स विचार करें । इन शब्दों के साथ हें इसका समर्थन करता हूँ ।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा (किलोई) : चेयरमैन साहब, मेरी पहली अर्ज यह है कि यह काम एग्जैक्टिव से जुडिशरी में दे दिया गया है । एग्जैक्टिव का ग्रेड एक सात पहले बढ़ा दिया था और जुडिशरी के जो आफिसर हैं उन के ग्रेड यूं के यूँ हे । अब ग्रेड बढ़ाया हुआ है...

श्री सभापति : बिल में तो किराया बड़ाने की बात है, ग्रेड की नहीं ।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा : जब ये एग्जैक्टिव आफिसर्ज से जिनके ग्रेड बढाये हुए हैं, उन ग्रेडज से सैटिसफाईड नहीं हैं तो जुडिशियल आफिसर्ज कैसे सैटिसफाई होंगे जिन के ग्रेड में 30 0– 400 रुपये का डिफेंस है । जुडिशियल आफिसर कैसे केसिज को डील करेंगे? दूसरी बात यह है कि किरायेदार को यह सहूलियत दी गई है कि वह मालिक द्वारा किराया वसूल न करने पर उसको कोर्ट में डिपोजिट करवाय, इससे झगड़े बढ़ते हैं । मेरा सुझाव यह है कि अगर शहरी प्रौपटी की सीलिंग 3 लाख रुपये रख दी जाए और इससे ज्यादा जो जायदाद उसके पास फालतू है वह गवर्नमैंट को दे दे तो यह होगा कि वह तीन लाख रुपया लेकर बाकी प्रौपटी से फ्री हो जायेगा, उसके पर कोई बर्डन नही होगा । बाकी प्रौपटी को, गवर्नमैंट जिसको चाहे दे दे । इस तरह

से सभी झगड़े खत्म हो जायेंगे मुझे उम्मीद है सरकार मेरे सुझाव को जरूर मानेगी ।

ठाकुर वीर सिंह (भिवानी) : चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा बस्त में नही जा0ंगा क्योंकि सदन मे बहुत क्उरूछ कहा जा चुका है । मेरे ख्याल से इस ऐक्ट मे थोड़ी सी कमी है, इसको प्वायट आउट करने की कोशिश करूंगा । क्लाज 2 में लिखा है –

"(3) Nothing in this Act shall apply to any building the construction of which is completed on or after the commencement of this Act for a period of ten years from the date of its completion"..

इसमें वर्ड 'कम्पलीट लिखा हुआ है । इस कम्पलीशन का मतलब क्या होगा और यह 'कम्पलीट' वर्ड कितने साल तक चलेगा? हरासे कोई नतीजा हासिल नही होगा क्योंकि अगर एक आदमी एक दीवार को छोटा रख देता है और 10 साल के बाद तक वह छोटी ही रखता है, उसके बाद भी कम्पलीट नहीं करता तो इसका मतलब यह हो गया कि उसको 10 साल और मिल गये । The word 'complete' has not been defined. It should be defined.

दूसरा सैक्शन 8 (ए) है जो रैटं के बारे में दिया गया है । इस क्लाज के तहत जो सुविधा दी गई है वह बहुत अच्छी है लेकिन सीलिंग एक्ट के तहत, अगर कोई लैडलार्ड किराया लेकर रसीद देने से इन्कार करता है तो उसकी प्रासीक्यूशन का

अख्तियार टेनेंट को दिया गया है । इसी तरह इस एक्ट में भी प्रोसीफ्युशन का अख्तियार टेनेंट को दिया जाये, अगर कोई मालिक किराया लेकर रसीद देने से इन्कार करता है तो टेनेट को कोर्ट में जाने की इजाजत होनी चाहिए ।

इसके इलावा सैक्शन 5 में दिया हुआ है –

`Provided that such son is not occupying in the urban area concerned any other building for use as office, consulting room or residence, as the case may be, and has not vacated it without sufficient cause after the commencement of the 1949 Act",

चेयरमैन साहब, इसमें जो प्रोवीजन दिया गया लै वह लड़के की जायदाद के बारे में है अगर बाप के पास काफी जायदाद है और उसका लड़का, उस दुकान में आफिस चला सकता है तो वह प्रौपर्टी जो टेनेंट से खाली करवानी चाहता है, वह लडके को न दी जाए । मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास काफी प्रौपर्टी है तो लड़के को वह दूसरी प्रौपर्टी न दी जाये । इस में यह प्रोवीजन दिया गया है कि अगर लड़के के पास कोई जायदाद नहीं हए तो शादी करने के बाद या अपना प्रोफैशन शुरू करने के लिये जायदाद को खाली करवा सकता है । इसमें यह रखा जाये कि अगर बाप के पास ज्यादा जायदाद नहीं है तो वह उस में प्रोफशन चला सकता है या मैरिज के बाद उस में फ सकता है, इस सूरत में उसको सुविधा दी जाए ताकि खाली करवा कर अपना प्रोफैशन शुरू कर सकता है या टेनेंट उसकी मर्जी से

रह सक्ता है । अगर बाप के पास काफी जायदाद हो और बड़के के पास न हो तो वह लड़के को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि बाप के पास काफी है ।

इसके बाद सैक्शन 3 (यु) मे लिखा है –

"(3) In the case of a non-residential Building a landlord who stands retired or discharged fnom the armed forces of the Union of India or who was a minor sun at the time of death of the deceased landlord, and requines it for his personal use ."

अगर एक बाप के चार लइके है और ज्वायंट परिवार है, ज्वायंट प्रापर्टी. है, बाप की डैथ के बाद माइनर लइके को प्रौपटी खाली करवाने का अधिकार है । बाप की डैथ के बाद वह अगना हक टेनेंट से ले सकता है । चुकि वह ज्वायंट प्रोपर्टी हैं और बाप की डैथ के बाद चारों भाइयों का हक है । लेकिन एक्ट कं मुताबिक माइनर लड़का अपने हिस्से को खाली करवा सकता है और माइनर लड़के के बाद तीन मेजर लड़के भीं हैं । इसं एक्ट में यह कलीयर करना चाहिए 'कि क्या माइनर लड़का केवल अपने हिस्से को हीं बैकेट करवा सकता है या सारे हिस्से को खाली करवा सकता है । This is very vague and it is not dear. अगर माइनर लड़का अपना हिस्सा खाली करवाता है तो उसका फायदा ज्वायंट प्रौपटी होने के नाते चारों भाई उठाएंगे । इसकी एक्ट में कोई कलैरिटी नही है और इससे लिटिगेशन बढेगी । दूसरा सैक्सन 8 ए इस प्रकार है ––

"all proceedings pending before Sub-Divisional Offrcers (Civil) appointed to perform the functions of the Controllers shall stand transferred to the subordinate Judges from the date of their appointment under clause (b) of section 2 to perform the functions of the Controllers".

यह डेट आफ अप्वायंटमैट जजिज की दी है । तो इस एक्ट की अमैंडमैंट के बाद उनको पावर आएगी या जिस दिन उसको जज लगाया उस दिन पावर आएगी यह तो एक्ट की अमैंडमेंट को डेट से ही लागू होनी चाहिए और जिस जज के पास वह जाए वह उसी दिन से उसके पास ट्रांसफर होनी चाहिए । मेरे यह कुछ सुझाव हैं । इनको अगर सरकार क्लीयर कर दे तो ऐक्ट बहुत प्रिसाइज और क्लीयर 'होगा और मुकद्दमेबाजी भी कम होगी ।

उद्योग मन्त्री (डा0 मंगल सैन) : चेयरमैन साहब, मैंने अपने दोस्तों को इस बिल पर बोलते हुए बड़े गौर से सुना । शुरू में माननीय सदस्यों ने कहा कि कल जैसे एक अमैंडिंग बिल पर मन्त्री महोदय ने बिल के औबजैक्टस एन्ड रीजन्जू को ऐक्सप्लेन कर दिया था उसी तरीके से इस बिलु के बारे में भी ऐक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिए था लेकिन मैं अपने माननीय सदस्यों को कहना हूं कि ये बिल आपके घरों में पहुंचे होते हैं, आपके मेज पर होते हैं और आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप भी कुछ होम वर्क करके आया करें क्योकि आप जनता के प्रतिनिधि कुंद, आपको सब सुविधाएं प्राप्त है और आपका यह कहना आपको शोभा नहीं देता

। '' साहब, हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक्शन) अमैंडमैंट बिल, वास्तव में उस कानून को ठीक करने के लिये लाया गया है जो पिछली सरकार ने पूंजीपतियों के इशारे पर चल कर बनाया था । इस कानून ने गरीब किरायेदार को बड़ी मुसीबत में फसा दिया था । ऐसा था कि 31 मार्च, 1962 के बाद किसी भी 'किरायेदार को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था । जब मालिक चाहे उसे खदेड कर बाहर फैक सकता था । लेकिन चेयरमैन साहब, जनता पार्टी ने चूकि यह वायदा किया था कि हम हैव–नोट के साथी है, गरीब के साथी हैं, मेहनत –कश के साथी हैं, इसलिये जनता पार्टी की यह सरकार किरायेदार की मदद के लिये यह बिल लाई है । (प्रशंसा)

चौधरी जगजीत सिंह : पोहलू . इन्हे मालिक बना दो । (विध्न)..

डा0 मंगल सैन : तुम भी अपनी साडी जमीन दे दो । (विध्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : ले लो । (विध्न)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको तो इस बिल को ऐप्रिशिएट करना चाहिए था, इन्हें हमें बधाई देनी चाहिए थी, इन्हें हमारा मश्कूर होना चाहिए था क्योंकि हमने हजारों बेचारे गरीब किरायेदारों की आवाज सुनी

है और आवाज सुन कर ै स विधेयक को सदन में लाए हैं । चेयरमैन साहब, हमने तो इनके किए हुए गल्त कामों को दुरुस्त किये हैं । इन्होंने मारे काम जुडीशियरी से खोंस कर ऐग्जैक्टिव को दे दिए थे क्योंकि ये चाहते थे कि इनके इशारे पर चलने वाली नौकरशाही जिसको ये चाहेंगे उजाड देगी, जिसका बसा बसाया घर ये बरबाद करना चाहेंगे उसे ये कर देगी । इनका चेयरमैन साहब, यह मन्शा हुआ करता था । लेकिन चेयरमैन साहब इस बिल के द्वारा हम न्यायपालिका में अपनी आस्था प्रकट 'कर रहे हैं । मेरे मिल हड्डा साहब ने ठीक कहा है । वे बड़े सियाने है, मेरे पड़ौसी है, मेरे जिले के हैं और वैसे भी इनका हल्का मेरे पड़ौस का हल्का है । इन्होंने जुडीशियल आफिसर्ज की बात की । लेकिन आपने देखा कि इसी सदन में न्यायपालिका को हमने रुतबा दिया है, उनकी जिस प्रैसटेज को इन्होंने अन्डर– माइन किया था उपको हमने बहाल किया है । चेयरमैन साहब मकान मालिक आम तौर पर दुकाने खाली कराने के लिये किराया नहीं लेते थे । किरायेदार की चक्कर काटते काटते जूतिया घिस जाती थी । हमने कहा कि अदालत में पैसा जमा करा दो, पैसा आया समझ लिया जाएगा । यह रिकार्ड की बात है क्योकि हिन्दुस्तान में ऐसा प्रोवीजन किसी स्टेट में नहीं है १ (प्रशंसा) फिररू सेवा निवृत सेना से आए हुए औफिसर्ज को नौन– कमिशंनड औफिसर्ज को हम सुविधा देना चाहते हैं । मेरे एक मित्र ने शंका प्रकट की है कि कहीं माल प्रैक्टिस शुरू न हो जाए । इसकी हमने अमैंडिंग बिल में व्यवस्था कर दी है और बडी चौकसी के साथ बडे

विजिलैट होकर हम इसका ध्यान रखेंगे कि हम जो सुविधा दे रहे हैं उसका कोई दुरुपयोग न करे । (विध्न) फौजी बडे साहसी और अदभुत प्रतिभा के मालिक हैं ।... (विध्न).. चेयरमैन साहब, रोसा लगता है मेरे माननीय मित्रों' ने औबजैक्टस एंड रीजन्जं रीजन्ज ध्यान से नहीं पढा इसलिये उन्होंने कुछ ऐतराज उठाए । मेरे मित्र हीरानन्द आर्य जी ने कहां किं इस बिल के कुछ प्रावधान प्रो–लैड लार्डज हैं । ऐसी बात नहीं है । हमने जो प्रावधान किया है वह यह है कि एक पिता का पुत्र यदि सियाना हो जाता है और किसी ऐसे प्रोफेशन था वोकेशन मे जाना चाहता है जिसके लिये उसके पास जगह नहीं लेकिन उसकी अपनी प्रौपर्टी मौजूद हैतो क्या यह न्यायोचित नहीं है कि वह उसको खाली करा लं? चेयरमैन साहब, कुछ भाइयों ने इस बिल का स्वागत तो कर दिया लेकिन कुछ अगर मगर के साथ बात कुछ और भी कर दी कि चौक और ड्राफट द्वारा पैमैंट का प्रावधान भी कर लेना चाहिए था । पहले यह प्रावधान था कि लोग चाहे किराया मनीआर्डर से भेज दें, चौक से भेज दें या ड्राफट से भेज दें लेकिन मालिक दुकान उसे लिया नहीं करता था इसलिये उसको बांधने के लिये, गवाह बनाने के लिये और फूलप्रूफ अरैंजमैंट करने के लिये हमने यह प्रबन्ध किया है । चेयरमैन साहब, मेरे मिल बलदेव तायल ने इस बिल का स्वागत करते हुए यह कहा कि एक सजा इसमें और जोड़ देनी चाहिए । उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किरायेदार किराया देने जाए और मालिक दु कान किराया न ले तो उसको कोई पैनल्टी लगादी जाए लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसमें हम

पैनल्टी का प्रोविजन रख देंगे तो मुकद्दमेबाजी और छिड़ जाएगी । इसके लिये हमने इतना ही सोचा कि किरायेदार यदि कचहरी में पैसा जमा करा दे तो उसका कर्त्तव्य पूरा हो जाता है । पोहलू जी मेरे पुराने मिल हैं । हम जेल में भी इकट्ठे रहे हैं । इन्होंने एक समझदारी की बात की है क्योंकि ये पढ कर तो' आए नहीं थे क्योंकि मेरा और पोहलृ जी का पढ़ाई से ज्यादा वास्ता है भी नहीं । जेल में भी मैं और ये बड़ी से बड़ी पंजाब केसरी अखबार पढ़ा करते थे क्योंकि और कुछ हमें आता नहीं था (हंसी). खैर, तो मैं निवेदन करुंगा, चेयरमैन साहब कि इन्होंने कहा कि अर्बन प्रोपर्टी की सीलिंग होनी चाहिए । जो लोग सौ सौ दुकाने लिये बैठे हैं, उनकी दुकानें किरायेदार को मिल जानी चाहिए । मैं चेयरमैन साहब, हाउस को बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी जहां प्रो–लेबर है, वहां यह प्रोटैनेन्ट भी है और सीलिंग में भी यह विश्वास रखती है । हम चाहते हैं कि शहरी सम्पदा के पर भी सीमा लगनी चाहिए लेकिन साहब यह बिल उससे सम्बन्ध नहीं रखता । हर बात को अगर आप इसमें घुसेडने की कौशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी । यह बात ठीक है कि आपके जजबात का इजहार हो जाएगा और कुछ अखबारों में भी आपका नाम चला जाएगा । (विध्न)..

Mr. Chairman : No interruptions please.

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मांगेराम गुप्ता जी ने कुछ एतराज किया कि साहब यह जो फौजियों को इजाजत दे

रहे हो, यह ठीक नही है । बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी ऐसी बात कही ।

श्री सभापति : यह बात पहले आ चुकी है ।

डा0 मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मैं तो माननीय सदस्यो को इतना ही बताना चाहता हू कि यह जो अमैंडिंग बिल है यह हमने गरीब किरायेदार के हक से बनाया है क्योंकि यह सरकार तो हैव–नोट के लिये स्टैन्ड करती है । हमारा 8–9. महीने का रिकार्ड इस बात की बोलती हुई तस्वीर है । चेयरमेन साहब, मैं इतना ही इसके बारे में अर्ज करनाचाहता हूं ।

श्री मांगे राम गुप्ता : चेयरमैन साहब, मेरा एक प्यायंट आफ आर्डर है । डाक्टर साहब ने माइनर सन के बारे में रोशनी नहीं डाली ।

Mr. Chairman : Please take your seat Re has covered every thing. Question

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration it once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman : I have received notice of an

amendment to this clause by Shri Mool Chand Jain, who may please move his amendment.

Shri Mool Chand Jain (Sambhalka): Sir, my amendment reads—

In the proposed sub-seetion (3) of section 1 of the principal Act, line 3, for the words "ten years" substitute the words "five years".

चैयरमैन साहब, मेरी अमैंडमट में कोई लम्बी–चौड़ी बहस की बात नहीं है । समय थोड़ा है उसका मुझे भी पूरा ख्याल है । मैं तो सिर्फ एक–दों बातें ही कहूंगा । जैसा कि अभी मन्त्री जी ने कहा है कि इस धारा को जोड़ने से हमारी सरकार की प्रो–टेनैन्ट की पालिसी टपकती है न कि प्रो–लैन्डलार्ड की । पहले की धारा के मुकाबले में यह धारा इन्होंने सबसटीच्यूट की है । पहले जैसा उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 1962 के बाद की बनी हुई बिल्डिंगों पर यह कानून लागू नहीं होता था लेकिन अब इन्होंने नह धारा लागू की है कि बिल्डिग बनने के दस वर्ष बाद तक जब से वह बिल्डिंग बनी हए वह कानून लागू नहीं होगा । मै ने सुझाव दिया है कि दस वर्ष की अवधि प्यादा है । दस वर्ष की मियाद जो रख दी है वह नहीं रखनी चाहिए थी । यहं अंदेशा कि प्राइवेट आदमी बिल्डिंग नही बनायेंगे और शहरों में बिल्डिंगें बननी बन्द हो जायेंगी, गलत है । आप पांच वर्ष की मियाद कर दें जो भी नयी बिल्डिंग बनेगी , उसकी किराये की तौ पाबन्दी है नहीं । जो बाजार भाव है उसके हिसाब से किराया बढाता चला जायेगा ।

पहले वर्ष भी बढा. सकेगा, दूसरे वर्ष भी बढ़ा सकेगा और तीसरे वर्ष भी बढा सकेगा तो इस तरह से आप उसको दस वर्ष तक किराया बढ़ाने की इजाजत दे रहे हैं । पाँच वर्ष तक बढाने की इजाजत दे, उसके बाद फिर यह किराया का कानून लागू हो जायेगा लेकिन अब आप दस वर्ष की छूट दे रहे हैं

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वह पांच वर्ष की छूट ही काफी है । उसमें के बिल्डिग बनाने की बात है और जिस की वजह से छूट दी जा रही है, वह तो क्त भे की यों रह जाती है । मालिकान इतना ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकेंगे और न इतनी ज्यादा छूट मिल सकेगी इसलिए मेरी क्ही प्रार्थना है और सुझाव है कि मन्त्री महोदय इस बारे में गौर करे ।

Mr. Chairman : Motion moved—

In the proposed sub-section (3) of section 1 of the principal Act, line 3, for the words proposed years" substitute the words "five years".

उधोग मन्त्री (डा0 मंगल सैन) : डिप्टी स्पीकर साहब मेरे सवाल का जवाब उन्होंने स्वयं ही दे दिया है । बिल्डिंग वनाने की एकटीविटी जारी रखना भी बड़ा जरूरी है और टेनैन्ट का इन्ट्रैस्ट वाच करना भी बडा जरुरी है थोडी देर के लिए हम संरक्षण देंगे तो परिणाम क्या होगा कि दुकानें नहीं बनेगी, दुकानें नहीं बनेगी तो किराया बढ जायेगा, किराया बढ़ जायेगा तो कौन सफर करेगा, वह किरायेदार सफर करेगा, टेनैन्ट सफर करेगा ।

इसलिए उनके इन्ट्रैस्ट में बिल्डिंग एक्टीविटीज जारी रहनी चाहिए । सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने बिल्डिंग एक्टीविटीज को जारी रखने के लिए काफी सुविधायें दी हैं । बाबू मूल चन्द जैन जी अच्छे मूड में हैं, इनको यह अमैंडमैंट विदड्रा कर लेनी चाहिए ।

श्री सभापति : क्या आप इसको विदड़ा करना चाहते हैं?

श्री मूल चन्द जैन : चौयरमैन साहब अगर ये ऐसा चाहते हैं तो मैं बिदड्रा कर लेता हूं ।

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

(**Voices :** Yes).

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr, Chairman : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

New Clause 2 A

Mr. Chairman : There is a notice of an amendment for insertion of New Clause 2.A, after clause 2 by Shri Gajraj Bahadur Nagar. He may please ask for the leave of the House to move it.

Shri Gajraj Bahadur Nagar : Sir, I beg to ask for

leave to move the following new clause 2 A—

"2A. After Sub-Section (i) of Section 2 of Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973, the following Sub-section shall be inserted, namely

(F)' "Scheduled building" means a residential building which is being used 'by a parson engaged in one or more of the professions, specified in the Scheele to the Act partly for This profession and partly for his residence.

डा मंगल सैन : मैं आपसे रिक्यैस्ट करखा हूं कि आप इसको वापिस लेते ।

श्री गजराज बहादुर नागर : आप इजाजत दें तो एक सैकिन्ड में अपनी बात कह लूं ।

Mr. Chairman : If the House permits then it is alright.

Has the Hon'ble Member the leave of the House to move the new clause 2A ?

(**Voices :** No).

The leave was refused.

श्री गजराज बहादूर नागर : क्योंकि यह बडी जस्की अमैंडमैंट है, मैम्बर साहेबान इसको पढ ले, तो बडी अच्छी बात है ।

Mr. Chairman : The House has refused leave and,

therefore, it cannot be moved.

श्री गजराज बहादूर नागर : मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि यह अमैंडिंग बिल इन–कम्पलीट रह जायेगा । जैसे कि हमने जनता से वायदे किये हैं, वे पूरे नहीं हो पायेगे ।

Mr. Chairman : The House has not granted leave. You can, however, discuss it later with the Hon. Minister in his Chamber.

श्री गजराज बहादुर नागर : चेयरमैन साहब, मेरी यही रिक्वैस्ट है । इस धारा को देख लें तो अच्छा रहेगा । डाक्टर मंगल सैन जी तो इस को देख लें ।

Mr. Chairman : You can discuss it in his Chamber.

Clause 3

Mr. Chairman : Question is—That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Chairman : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried,

Clause 5

Mr. Chairman : There are notices of amendments to

this clause by the Industries Minister. He may please move his amendments.

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, .I beg to Move---.

In sub-clause.(ii), in the proposed sub-section (3A), for the words " who stands retired or discharged", substitute the words "who stands retired if` discharged as a Non-Commissioned Offrcer".

For sub-clause (iii), substitute the following sub-clause, namely :—

"(iii) in sub-section (6), for the words "for a Continuous period of Months from the date of obtaining possession", the words, brackets, figure and letter "for a continuous period of twelve month from the date of obtaining possession or if possession was obtained under sub-section (3A) he does not occupy it for his exclusive personal use, for a continuous period (f three years" shall be substituted".

Mr. Chairman : Motion moved—

In sub-clause (ii), in the proposed sub-section (3A), for the words "who stands retired or discharged' ;.substitute the words "who stands retired or discharged as a Non-Commissioned Officer".

For sub—clause (iii), substitute the following sub-clause, namely:—

"(iii) in sub-section (6), for the words "fora continuous period of twelve months from the date of obtaining

possession", the words, brackets, figure and letter "for a continuous period of twelve months from the date of obtaining possession or if possession was obtained under sub-section (3A) he does not occupy it for his exclusive personal use, for a continuous period of three years" shall be substituted".

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : चेयरमैन साहब, यह जो अमैंडमैंट छ, मनी जी ले कर आये हैं, उस में कमीशंड आफिसर्ज को यह सुविधा नहीं होगी सिर्फ आर्मी से डिसचार्ज या रिटायर्ड नान–कमीशंड आफिसर्ज को ही यह सुविधा होगी 1 मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे जो फौजी भाई हैं और खास तौर पर जिनका सम्बन्ध देहात से है वे अगर अपनी काबलियत से और अपने साहस से बड़े अफसर बनते हैं, कमान्डैन्ट, मेजर, कैप्टन और जनरल का रैंक हासिल करते हैं तो वह हमारी हरियाणा स्टेट के लिए गौरव की बात है । उन आदमियों को जो इतने बड़े देश में हमारी हरियाणा स्टेट का जनता में नाम 0ंचा करते हैं उन व्यक्तियों को इन सुविधाओं से महरूम रखा जाना, वंचित रखा जाना, यह किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है । जो भी सैनिक माई हैं, चाहे वे सिपाही हैं, चाहे जनरल हैं उनको वही सुविधा होनी चाहिए जो नान–कमीशनड आफिसर्ज को है। जब वह बीस– पच्चीस साल नोकरी करके अपने गांव या शहर में आयेगा तो उसको अपने मकान या जायदाद को खाली करवाने का पूरा. हक होना चाहिए था । एक आदमी को इसलिए महरूम किया जा रहा है कि वह अफसर है, यह नाजायज बात है । मैं. निवेदन करूंगा कि मंत्री

महोदय इस 'बात पर गौर करें । हरियाणा के हर फौजी या जवान को वही सुविधा होनी चाहिए जो नान–कमीशंड आफिसर्ज को है । इस बारे में मन्त्रीोद नहीं होना चाहिए । यह सारे फौजी जवानों का सवाल है, एक्स–सर्विसमैन का सवाल है ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं । एक तो मैं इस. अमैंडमैंट के बारे में यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे साथी ने यह कहा कि कमीशन्ड और नानकमीशन्ड आफिसर्ज में हमें कोई पार्क नही रखना चाहिए । आखिर वे भी तो आर्मी के ही आदमी हैं । मेरा कहना यह हे कि कमीशन्ड और नान–कमीशन्ड आफिसर्ज में इस बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नही होना चाहिए । अफसर जो शायद कैप्टन या लैफ्टीनैट आदि रिटायर हो, अगर उसने दुकान खोलनी हो तो उसको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए । वैसे उस की दुकान वगैरा खोलने की सम्भावना तो बहुत कम है लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए । इसके साथ–साथ मेरी एक और अमैंडमैंट है उसके बारे मैं डाक्टर साहब ने मूव भी किया है, उसके बारे में मै यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो यह बात रखी हुई है वह प्रो–टेनैन्ट थी लेकिन अब उसको इन्होंने एकसप्लेनेशन में यह दे दिया है कि उसका पोजैशन एक बर्ष की बजाय तीन वर्ष क्रान्टीन्यूअस रहना चाहिए । तभी वह खाली करवा सकता है जब कि वह खाली करवाने के बाद तीन साल तक अपने कब्जे में वह दुकान वगैरा

रखे । एक वर्ष की बजाय यह तीन वर्ष वाली अमैडमैंट पता नही एकदम इनके दिमाग में कहां से आ गयी । अब यह इन्ट्रोडयूस कर रहे हैं कि वह एक साल की बजाय तीन साल तक अपने कब्जे 'में रखेगा । यह एक वर्ष ही रहना चाहिए । तीन वर्ष नही होना चाहिए । एक बात मैं और अज कर दूं । मेरे कुछ माइयों को शायद इस बारे में गलतफहमी है । यह धारा सिर्फ दुकानों पर लागू है । जहाँ तक रहने के मकानों का ताल्लुक है, फौजी भाइयों को, चाहे वह रिटायर हो या न हो, अगर उनको निजी तौर पर जरूरत है तो उनकी निजी जरूरत के लिये, उनके खुद के रहने के लिये मकान खाली करवाया जा सकता है । अगर वाकई उन्हें दुकान खाली करवाने की अपने लिये जरूरत है तो जैसे उनके साथ नौकिरयो में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, न रहने के मकानों को खाली करवाने के लिये कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हए, उसी तरह से दुकानें खाली करनाने में नहीं होना चाहिए । पहले दुकानें बिल्कुल भी खाली नहीं हो सकती थी । हमारी सरकार पहली दफा यह रियायत दे रही है कि अगर रिटायर्ड फौजियों को उनकी अपनी जरूरत के लिये चाहिए तों वह दुकान खाली करवा सकते हैं । अगर कोई रिटायर्ड फौजी, एक वर्ष के अन्दर अर्जी दे तो वह खाली हो सकती है । इसके अलावा यह कन्सेशन नाबालिग बच्चों को भी दे रहें हैं । इन दोनों को ही यह रियायत दे रहे हैं । इस बारे में दोनों ही बातें कही जा सकती हैं कि यह रियायत बहुत ज्यादा है और बहुत कम है बशर्ते कि यह पावर्ज एब्यूज न हों । अगर यह पावर्ज एब्यूज न हों तो मुझे कोई

एतराज नही है । लेकिन जो एक' वर्ष की बजाय तीन वर्ष की मियाद रखी गयी है? उसकी कोई जरूरत नहीं है । अगर वह इसमें न रखें तो ठीक है वरना अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जो अपनी अमैंडमैंट मूव कर दूं । यही मैं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

ठाकुर वीर सिंह (भिवानी) : चौयरमैन साहब, यह जो अमैंडमैंट रखी गयी है, नान कमशिन्ड आफिसर्ज और कमीशन्ड आफिसर्ज में जो भेद भाव किया है, यह ठीक नहीं हे । इससे मैं यह समझता हूं कि इस अमैडिंग बिल को लाने का जो मकसद है वह बिल्कुल ही– डिफीट हो जालू है । जैसे मूलचन्द जी ने कहा कि एक तो अनमैरिड बच्चों को. और दूसरे फौजियों. को जो रिटायर होने के बाद बिजनैस करने की सोचते हैं, यह रियायत दी गयी है । अगर कोई फौजी रिटायरमैट के बाद अपना मन बना लेता है, दुकानदारी या बिजनैस करने का, तो उसके लिये भी दुकान खाली हो सकनी है । आपको पता ही है किं किसी छोटे फौजी के पास तो इतना पैसा भी नही होता कि वह इस बारे में सोच भी सके । इस लिये मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर (वाली नान–कमीशन्ड आफिसर्ज ही रख लें तो जो आयजैक्ट है, इस सैक्शन के लाने का वह बिल्कुल ही डिफीट हो जाता है । इससे एक परसैट लोगों को भी फायदा नहीं होगा । जब इसका एक परसैंट भी फायदा नहीं होगा तो ऐसे सैक्शन को लाने. का कोई फायदा नहीं है । इसलिए मेरा कहना यइ है कि यह जो

नान–कमीशन्ड आफिसर्ज के बारे में अमैंडमैंट है, इसको हटा कर जो पहला सैक्शन है, उसे यूं ही रखा जाय, यही मेरा सुझाव है । धन्यवाद ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) रू चेयरमैन साहव, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को जाना चहिए । मिनिस्टर साहब ने जो यह कहा कि इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है । मुझे पता लगा है कि यह दरियाओ सिंह जो अभी रिटायर हुए हैं, उनकी दुकान खाली करवाने के लिये लाया गया है । (व्यवधान व शोर) मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिख सिलक्ट कमेटी को जाना चाहिए क्योंकि इस बिल को यू ही पास कर देने से कोई फायदा नही है ।

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सेन) : चेयरमैन साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि इस सदन में इस बिल के पर कई मित्रों ने विचार रखे और उसमें उन्होंने यह कहा कि सेवा में और सेवा निवृत्त जो सेना के अधिकारी हैं, उनको भी जरूर सुविधा मिलनी चाहिए । यह भी कहा गया कि वे अपने साहस और पराक्रम के कारण सेना में काम करते हैं । जब वे लौट कर आएं या जब वे लौट कर आने के 3 साल के अन्दर अपना मन बना लें कि हमने कारोबार करना है तो खाली करा सकते हैं 1 यहां पर यह शंका भी प्रकट की गई, यह खदशा भी यहां पर जाहिर किया यया कि कुछ जो चालाक मालिक हैं दुकानों के, वे उन भोले–भाले आदमियों को जो रिटायर होकर आयेंगे, भूल भुलैयों में डालकर

बेनामी कर देंगे और फिर उसको खाली करवाने के बाद उसको अपने नाम चेन्ज करा लेंगे । यानी बाद में फिर उसको वापिस ले लेंगे । इस लिए इसमे च रखा गया है कि जहां तक छोटी आमदनी वाले लोगो का सवाल है, वहां सक हमारा मन्शा यह है कि जो छोटे अफसर हैं, हमें बड़े अफसरों से कोई नाराजगी नहीं है, हम उनकी उतनी ही इज्जत करते है जितनी छोटे अफसरों की करते हैं, जब वे रिटायर होकर आए तो उनको इतनी सुविधा जरूर होनी चाहिए, मेरे ख्याल में बड़े अफसर तो शायद इस तरफ सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं होती हैं । चेयरमैन साहब, इसलिए यह सोच–विचार करके इस बिल में संशोधन लाया गया है । यह संशय भी दूर करना चाहता हूंकि उनका 10 पैसे का किसी ने हिस्सा रख दिया और फिर एक साल बाद उसको बेच दिया हम उस संशय को भी दूर करना चाहते हैं । इसलिए हमने यह तीन साल की पाबन्दी लगाई है औक वह वाली होने के बाद तीन साल तक उसे, परसनली यूज करेगा । चेयरमैन साहब, मेरी जनता पार्टी बड़ी मजबूर है । हम छोटे आदमी को राहत देने के लिएयह काम करना चाहते है । इसके साथ ही हम माल–प्रैक्टिस भी नहीं होने देना चाहते । इसलिए मैं अपने माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में आश्वस्त रहें इसके पीछे और कोई मुद्दा नहीं है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए । धन्यवाद ।

Mr. Chairman : Question is—

In sub-clause (ii), in the proposed sub-section (3A), for the words "who stands retired or discharged", substitute the words "who stands retired or discharged as a Non-Commissioned Officer".

For sub-clause (iii), substitute the following sub-clause, namely :-

"(iii) in sub-section (6), for the words "for a continuous period of twelve months from the date of obtaining on", the words, brackets, figure and letter "for a continuous period of twelve months from the date of obtaining possession or if possession was obtained under sub-section (3A) he does not occupy it for his exclusive personal use, for a continuous period of three years" shall be substituted".

The motion was carried.

Mr. Chairman : I have also received notices of amendments to clause 5 by Shri Mool Chand Jain. He may please move his amendments.

श्री मूल चन्द जैन (सम्मालखा) : चेयरमैन साहब, मेरी तीन अमैंडमैंटस हैं । पहली अमैडमैंट यह है—

In clause 5(i), for proviso to the proposed sub-clause (ii), the following proviso be substituted :—

"Provided that such son is not occupying in the urban area concerned any Other-building for ufe as office, consulting room or residence, or has not vacated it without suficient cause after the commencement of the 1949 Act.

दूसरी अमैंडमैंट में मैंने यह लिखा है–

At the end of part (ii) i.e. at the end of proviso to proposed sub-section (3A), add the following Explanation :—

"Explanation :—This section will not apply to a landlord who becomes a landlord, except by inheritence, within ten years of his retirement or discharge from the Armed Forces of the Union of India or who was a minor at the time of the death of his deceased father if he had a major brother living at that time".

The next amendment reads—

After the existing proviso to proposed sub-section (3A) of sub-clause (ii), add—

"Provided further a land lord can also eject his tenant from a non- residential building if the tenant has subsequently acquired possesion of or erected such building which is sufficient for his requirement the in Urban area concerned".

चेयरमैन साहब, ये मेरी तीन अमैन्डमैंटस हैं । पहली तो ग्रामेटिकल चीज है और अगर मिनिस्टर साहब किसी आफिसर से सलाह मशविरा करना चाहते हैं तो बेशक कर लें । इसमें जो ओरिजनल प्रोवाडजो में चार–पांच शब्द हैं As the case may be वे मैने डिलीट किए है और आगे 'एण्ड' की बजाए छह शब्द सबस्टीच्यूट किया है । चेयरमैन साहब, आप भी लायर है 'एण्ड' के मायने हैं कि दोनों क्वालिफिकेशनज को पूरा करना चाहिए । ये

दोनों क्यालिफिकेशंज कन्ट्राडिक्टरी है । or का शव्द ही यहां पर ठीक मुनासिब हो सकता है अगर यहां पर 'एण्ड' रहेगा जैसा कि अमैन्डिंग बिल में है तो इससे वह दोनों क्वालिफिकेशंज पूरी नहीं हो सकती और यह एक्ट की मन्शा भी नही है । मिसाल के तौर पर मंशा तो यह है कि उस लड़के के पास जो पर्सनल यूज के लिए किसी जायदाद को खाली कराना चाहता है..उसके पास उसी किस्म की कोई बिल्डिंग नहीं होनी. 'चाहिए और यह भी न हो कि 1949 के बाद उसने कोई खाली करवाई हो तो अगर यहां पर 'एण्ड' रहेगा तो उसको दोनों शर्ते पूरी करनी पड़ेगी । 1 949 के बाद खाली भी न कराई हौ और वह अकुपाई भी न करता हो । इसलिए मैंने यह कहा है कि यहां पर 'एण्ड' शब्द के बजाए or शब्द होना चाहिए । यह मेरी पहली अमेंन्डमैंट है जो मैं समझता हूं कियह उन्हीं की मंशा को पूरा करेगी, जो मंशा सरकार की है । दूसरी अमैंन्डमेंट में मैंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया अगर उसको यह स्पीकर कर ले तो जो बहुत से किरायेदारों को शुबहा है और वैसे मैं मानता हूं कि हमारे फौजी भाई आमतौर पर गल्त बात नहीं करते लेकिन कभी कोई वीकनैस आ जीती है कि कोई लालची लैडलार्ड उनको अपने दाव में फंसा लेतरू हैतो उसके लिए यह जो मेरा एनसप्लेनेशन अगर मन्त्री महोदय स्वीकार कर लें तो उसका नतीजा यह होगा कि रिटायरमैंट होन के दस वर्ष के अन्दर अगर कोई मालिक बनेगा इनहैरिटेन्स से आएगी जैसे किसी का बाप शहर में किसी दुकान का मालिक था और अब वह फौजी अफसर ही रहा क्योंकि नान–कमीशडं आफिसर की अमैन्डमैंट

स्वीकार कर ली है तें उस नान–कमीशंड आफिसर को अगर विरासत में कोई जायदाद आई है तो वह बेदखल कहा सकेगा । विरासत से अगर नहीं आई है तो वह तस साल पहले खरीदेगा । अगर इस कानून को यूं का यूं रहा दिया जाए तो इस डत मतलब यह जाएगा कि किसी फौजी अफसर के रिटायर होना है और लैड लार्ड को पता है कहां कहां पर उसके जायदाद के झगड़े हैं और उसको राह भी मालूम है कि फोजी जी अफसर रिटायर होने वाला है । वह लैंड लार्ड इस बा' की तलाश में रहे और नान–कमीशंड़ आफिसर को ऐप्रोव करेगा और फौजी अफसर को एप्रोच करके उसका मालिक तना दो और बेना दी ट्रांजेक्शन होगी और वह रिटायरमैंट से आने पर बेदखली सा दाव– करके उसको बेदखल कर देगा । उनकी प्रोटेक्शन के लिए यह एक्सप्लेनेशन देना भै समझता हूं मेरा कर्तव्य था । मंत्री महोदय ने कहा तो मैंने अपनी अमैंन्डमैंट विदड्रा कर ली । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी अमैंन्डमैंट को स्वीकार करेंगे । उससे यह केस और मजबूत होगा औत वे बेचारे किराएदार जो पिछले दिनों यहां पेर चक्कर लगाते रहे । मंत्री महोदय को भी मिले, उन किराएदारो को यहं तसंल्ली होगी कि उनके साथ हेराफेरी नहीं होगी। जैसपा कि मैरे एक भाई श्री शिव प्रसाद ने कहा कि दुकानो को खाली कराने के लिए लाखों रुपए तक पगडी पहुंच गई हैं तो जब एक मालिक मकान दुकान खाली कराने के लिए एक लाख रुपया पगड़ी के खर्च कर सकता है तो किसी फौजी नान–कमीशंड आफिसर को अपना आलाकार बना ले यह कौन सी ताज्जुब की बात है । इसलिए कृपा

करके इस पर विचार किया जाए । मैंइस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता । अगर वह चाहते हैं तो आज इस पर ज्यादा बहस न करें, फिर आफिसर भी बैठ जाएंगे (व्यवधान) सिलेक्ट कमेटी की तो बात नहीं है । डिपार्टमेंट के लोग बैठ जाएंगे, मन्त्री जी बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे, विचार कर लेगे । तीसरी जो अमेन्डमैंट है वह मैंने पढ़ तो. । दी है । उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक दृष्टि से वह प्रो–लैन्ड लार्ड अमैन्डमैंट है लेकिन जैसा मैंने बिल की फर्स्ट रीडिंग पर बूरा साहब का समर्थन करते हुए कहा था कि हमने ऐसे किराएदारों की भी सहायता नहीं करनी है और न ही कानून ने ऐसे गल्त किराएदार की सहायता करनी हे जो दस बीस वर्ष से बहुत थोड़े किराए पर बैठें हैं, खुद एक दुकान बना ली हए और अपनी वह दुकान बहुत ज्यादा किराए पर चढ़ा दी है और चेयरमैन साहब ऐसी बाते आपके नोटिस में भी आई होंगी और हमारे नोटिस में भी हैं । उसके लि रू मैंने अमैन्डमैंट के द्वारा सुझाव रखा है कि मालिक मकान दुकान ऐसे किराएदार को भी बेदखल कर सकता है जिसने किराएदारी शुरू होने के बाद किसी ऐसी ही जायदाद का कब्जा हासिल किया है या खुद बना ली है, इस मेरी अमैंडमैंट को स्वीकार करेंगे तो मालिकान को भी लाम होगा । हम मालिकान के भी दुश्मन नहीं हैं । गरीब किराएदारों की भी हम मदद करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है । यह हमारी पार्टी मैनीफेस्टो में भी है लेकिन ऐसे किराएदार जो खुद अपना मकान बना लेंगे तो वह गरीब किराएदार नहीं रहे वे अमीर किराएदार हो गए । उसके

मुकाबले में अगर किसी जायदाद की मालिक कोई बेवा है, उसका कोई लड़का है उसके लिए भी दुकान खाली न करा सके अ और वह केवल पांच–सात या दस रुपया महीना किराया लेती रहे अ और किराएदार ने खुद उसी मोहल्ले में अपनी दुकान बनाकर पांच सौ या सात सौ रुपए में चढ़ा दी हो । यह तीसरी अमैन्डमैंट इस सम्बन्ध में है । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन तीनों अमैंन्डमेंट्स को स्वीकार करेंगे और मेरा विश्वास है कि इन तीनों अमैंन्डमेंट्स से यह एक्ट और बेहतर एक्ट बनेगा ।

Mr. Chairman : Motion moved-

In clause 5(i), for proviso to the proposed sub-clause (ii), the following proviso be substituted :-

"Provided that such son is not occupying in the urban area ocncerned any other building for use as offrce, consulting room or residence, or has not vacated it without sufficient cause after the commencement of 1949 Act".

At the end of part (ii) i.e. at the end of proviso to proposed sub-section (3A), add the following Explanation :-

"Explanation :—This section will not apply to a landlord who becomes a landlord, except by inheritence, within ten years of his retirement or discharge from the Armed Forces of the Union of India or who was a minor at the time of the death of his deceased father if he had a major brother living at that time".

After the existing proviso to proposed sub-section

(3A) of sub-clause (ii), add—

"Pro vided further a landlord can also eject his tenant from a non-residential building if the the tenant has subsequently acquired possession of or erected such building which is suffcient for his requirement in the urban area concerned".

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : चेयरमैन साहब, बाबू मूल चन्द ने जो बातें कहीं और उन्होंने जो दूसरी अमेन्डमेंट दी है वह तो शाब्दिक है । मैंने आपकी अमैन्डमेंट को वहुत गौर से पढ़ा है, विचार भी किया है । आपकी जो भावना है, मेरी भी वही भावना है इसलिए आप यह केवल क्वालिफाई करने के लिए यह शब्द as the case may be के बारे में आस्वत रहें । आपने जैसा कहा कि आपकी अमैन्डमैंट से यह विल बड़ा मजबूत हो जाएगा । बाबू जी आपके आशीर्वाद से यह बिल पहले ही काफी मजबूत है और यह प्रो—टे नैन्ट है । आपने जो बात कही है उससे यह रिगोरस हो जाएगी । एक अमैन्डमैटं तो हम ले आए हैं और जो खदशा आपने, श्री मांगे राम ने और कुछ अन्य सदस्यों ने बताया कि उसका मिसयूज न करू, तीन साल की पाबन्दी ठीक है । इस वक्त काम करने दीजिए अगर कोई अड़चन आएगी या मिसयूज हुआ तो सदन भी यहीं है, हम भी यहीं है । चेयरमैन साहब तीसरा संशोधन इन्होंने यह रखा हे —

"Provided further a landlord can also eject his tenant from a non-residential building if the tenant has subsequently acquired possession of or ejeeted such a

building which is suffrcient for his requirement in the urban area concerned".

मतलब है कि किराएदार ने कोई अपनी दुकान बना ली और उसके लिए सफीशिएन्ट है तो किराएदार से खाली कराई जा सकती है । चेयरमैन साहब, एक दुकान तो शहर करनाल में चौड़ा बाजार में है और किराएदार ने अपनी दुकान रामनगर में बना ली हो और दुकान मालिक अदालत में पहुंच जाए कि साहब दुकान इन्होंने बना ली है, वह सफीशिएन्ट है चेयरमैन साहब, उस जगह की जो गुडविल है, उस जगह की उसने जो कमाई की हुई है, वह किराएदार की रामनगर वाली दुकान से पूरी नहीं हो सकती । इसलिए बाबू जी, मैंने आपकी बात को बड़े गौर में देखा है, विचार भी किया है । हम जानते हैं कि आपकी बात बड़ी पायेदार होती है । मैं मजबूरी बता रहा हूं । जो आपकी मंशा है वही मेरी भी मंशा है क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस संशोधन को वापिस ले लें ताकि अगली कार्यवाही की जा सके

श्री सभापति : जैन साहब, क्या आप वापिस ले रहे हें?

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, चूंकि मन्त्री महोदय ने अश्योरैसं दी है कि अगर इसका मिसयूज होगा तो हम वापिस ले लेंगे । इस अश्योरेंस के पेशेनजर मैं अपनी अमैन्डमैट वापिस लेता हूं

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of

the House to withdraw his amendments ?

(**Voices :** Yes)

The amendments were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That clause 5, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Chairman : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Chairman : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Chairman : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : I have received notice of an amendment to the Title by the Industries Minister. He may please move it.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to move—

In the long title, for the word "Haryana", substitute the words "Haryana Urban".

Mr. Chairman : Motion moved—

In the long title, for the word "Haryana", substitute the words "Haryana Urban, '

Mr. Chairman : Question is—

In the long title, for the word "Haryana", substitute the words "Haryana Urban".

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That the Title, as amended, be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, as amended, be passed.

श्री दीपचन्द भाटिया : चेयरमैन साहब. मेरा प्वांयट आफ आर्डर है.....

Mr. Chairman : Please take your seat, Bhatia Sahib.

श्री दीपचन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो मूलचन्द जैन हैं ये खुद ही अमैन्डमैट पेश करते हैं और खुद ही उसको वापिस कर लेते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे कि हाउस का टाईम खराब हो ।

Mr. Chairman : Please take your seat.

Shri Mool Chand Jain : I want to speak.

Mr. Chairman : You may please speak. But try to be as brief as possible.

श्री मूलचन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, जनता पार्टी ने जो लोगों से वायदा किया था इस बिल के जरिये उसने कफी हद तक उस वायदे को पूरा किया है, जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं । सिर्फ पक ही बात कहकर मैं बैठता हूं कि अमैन्डमैट नं. 2 को ग्रामैटीकल मिसटेक समझ कर as the or case may be भी आना चाहिये मैं भी मानता हूं जैसा कि मिनिस्टर साहब ने वहा लेकिन उसके आगे and है उसकी जगह or शब्द हो, इसलिये ये इस पर विचार करें तभी जाकर इसका मकसद पूरा होगा । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर गौर किया जाए ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amedment Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

Mr. Chairman : The Development Minister may please introduce the next Bill.

शेष बिलों का स्थगन

आवाजें : अब कल करेंगे ।

Mr. Chairman : If this is the sense of the House then the remaining Bills will be taken up tomorrow.

The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 5th April, 1978.

18.25 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 5th April, 1978)